खण्ड-447, अंक-3
गुरुवार, 13 अग्रहायण, शक संवत् 1925
(4 दिसम्बर, 2003 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2003)

खण्ड 447 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–च
प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या से संबंधित नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ... (जारी)	1-2
प्रश्नोत्तर	2-43
प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या से संबंधित नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ... (जारी)	43
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	43
शाहजहांपुर में प्रस्तावित रोजा थर्मल पावर प्लान्ट में शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
मेरठ महानगर के नालों की सफाई एवं जल भराव आदि समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, नैनी में व्याप्त अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों के मानक के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
जनपद हरदोई के कतिपय ब्लाकों के ट्यूबवेलों का नियंत्रण, अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव से न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	46
लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय तथा डेन्टल विश्वविद्यालय में शिक्षारत छात्रों की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
जनपद जौनपुर की जिला पंचायत जलालपुर के अन्यपति प्रमाण-पत्र जारी कर पुल सहित जिला पंचायत जौनपुर को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
प्रदेश के वार्षिक बजट पर सामान्य चर्चा हेतु मात्र दो दिन तथा अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु तीन दिन निर्धारित किये जाने पर औचित्य का प्रश्न	47-48
प्रदेश के विकास संबंधी नीतिगत निर्णय मंत्रि-परिषद् के स्थान पर उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा लिये जाने से उत्पन्न स्थित पर औचित्य का प्रश्न ...	49-52
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0 नि0-2-10-94/ग्यारह-9 (15)-99 उत्तर प्रदेश अधि0 15-48 आदेश (8) 2003, दि0 25 फरवरी, 2003 ... (सदन के पटल पर रखी गयी)	52

विषय	पृष्ठ-संख्या
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0 नि0-2-1086/ग्यारह-9 (15)-99 उत्तर प्रदेश अधि0 15-48 आदेश (10) 2003, दि0 25 फरवरी, 2003 ... (सदन के पटल पर रखी गयी)	52
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0 नि0-2-1324/ग्यारह-9 (35)-2003, उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 नियम 1948-2003(13) दि0 7 मार्च, 2003 ... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	52
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0 नि0-2-2234/ग्यारह-9 (152)-96, उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 नियम 1948-2003(18) दि0 30 अप्रैल, 2003 ... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	52
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0 नि0-2-2490/ग्यारह-9 (81)-91, उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000 आदेश (20)2003 दि0 9 मई, 2003 ... (सदन के पटल पर रखी गयी)	53
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या क0 नि0-2-2493/ग्यारह-9 (16)-99, उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 आदेश (23) 2003, दि0 09 मई, 2003 ... (सदन के पटल पर रखी गयी)	53
यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1999-2000 का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)..	53
उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2000 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	53
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) नियमावली, 2003 (सदन के पटल पर रखी गयी)	54
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं संम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 2003 में नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	54
उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव... (स्वीकृत)	54
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक 2003 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	55
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक 2003 (पुरःस्थापित) ...	55
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	55

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	56
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ... (जारी)	56-65
विधान सभा के उपचुनाव नव निर्वाचित सदस्य श्री दिलीप कुमार वर्मा द्वारा शपथ ग्रहण	65
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	65-69
आय-व्ययक पर साधारण चर्चा आरम्भ करने हेतु नेता विरोधी दल की अनुपस्थिति पर व्यवस्था का प्रश्न	69-70
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	71-88
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव (वापस)... ...	88-90
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा... ...	90-106
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	106
प्रदेश के पी0 सी0 ओ0 के दुकानों में बने केबिनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	106-107
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	107-108
जनपद बलिया के नरहेजी इण्टर कालेज के लिपिकों के बकाये एरियर का भुगतान न किये जाने एवं कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	108-109
जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में राज्य योजना, जिला योजना, दीन दयाल योजना, के फेज 4, 5, 6 में अपूर्ण कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	109-110
जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल वर्मा आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	110-111

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में विकास मदों की विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा [illegible] धनराशि का सदुपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार [illegible] गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	111-112
जनपद मिर्जापुर मे विकास संबंधी बैठकों में जनप्रतिनिधियों/विभागीय अधिकारियों के स्थान पर राजनैतिक दलों को जिला अध्यक्षों के प्रस्तावों को शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कैलाश चौरसिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	112-113

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-340

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, श्री	बागपत
अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुणबीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ऊषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर

ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल,श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
[illegible], श्री	हमीरपुर
[illegible]सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
परागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी0के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा वशीर चौधरी, श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल, चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूलचन्द्र, श्री	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद

मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बांदा
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुं0	इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव कक्का, श्री	इटावा

विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा"	ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंखलाल मांझी, श्री	सन्त कबीरनगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रो0	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सत्य नारायण, श्री	हरदोई
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

*** दिनांक 2 दिसम्बर, 2003 को घोषित उप चुनाव में निर्वाचित।

नोट :-मा0 मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती कुसुम राय), परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह), प्रोटोकाल, नागरिक उड्यन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री (श्री बनवारी सिंह यादव), उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 ई0

प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

श्रीमन् गन्ने के सवाल पर 311 में सूचना दी है गन्ना बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है वह चयनित हो गई है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

गन्ना किसान परेशान है गन्ना किसानों का उत्पीड़न हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 की गन्ना मिल और चीनी से संबंधित सूचना नियम-56 में परिवर्तित कर दी गई है और वह चयनित भी हो गई है। नियम-56 में पहले क्रम पर आ जाएगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

गन्ने के संबंध में दी गई सूचना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें नियमों को निलम्बित करके चर्चा कराई जाए। यह सारे गन्ना किसानों का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उसी समय कहिएगा।

(घोर व्यवधान)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, डा0 रामबाबू हरित, श्री नवाब सिंह नागर तथा श्री राम इकबाल सिंह आदि विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(सदन के फ्लोर से)-नियमों को निलम्बित करके इस पर सुना जाए। यह किसान विरोधी सरकार है, जनहित विरोधी सरकार है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(सदन के फ्लोर से)-किसानों को पर्ची दे दी गई है जिलाधिकारी द्वारा उद्घाटन 28 तारीख को हो गया है किसानों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है ....

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है जब क्रम आए तब बोलिएगा।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 विनोद तिवारी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा कुंवर भारतेन्द सिंह आदि सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे तथा सूचना पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

जब क्रम आए तब कहिएगा। नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की बैठक की कार्यवाही 11.30 बजे स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त लिये गये कार्यों का विवरण

**1-श्री धनन्जय सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से विगत दो वर्षों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उनसे कौन-कौन से कार्य लिए गये ? क्या इस प्रकार के शिक्षणेत्तर कार्यों से सरकार के सर्व शिक्षा अभियान पर कोई विपरीत असर पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य लिए गये हैं :-

1-स्कूल भवन निर्माण कार्य।
2-साक्षरता अभियान।
3-परीक्षा सम्बन्धी कार्य।
4-जनगणना।
5-पल्स पोलियो।
6-वोटर लिस्ट तैयार किया जाना।
7-निर्वाचन सम्बन्धी कार्य।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिये जाने से शिक्षण कार्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट -उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु नयी कार्य योजना

**2-श्री रविन्द्र पुण्डीर, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार कोई नई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री राजवीर सिंह)-

जी हां।

स्वास्थ्य विभाग से पृथक एक स्वतंत्र "खाद्य एवं औषधि प्रशासन" की स्थापना की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय

*1-श्री अजीम भाई-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बंजर भूमि का क्षेत्रफल क्या है ? बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाये जाने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? जनपद फिरोजाबाद में इस सम्बन्ध में क्या कोई योजनाएं चलायी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवपाल सिंद यादव)-

जी हां, प्रदेश में लगभग 11.52 लाख है0 क्षेत्रफल बंजर भूमि का है।

बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद में ई0सी0 सहायतित बीहड़ स्थिरीकरण योजना, समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना, ऊसर सुधार परियोजना तथा एकीकृत जल समेट प्रबंधन परियोजना (आर0आई0डी0एफ0-8) संचालित की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के ग्राम-इस्माइलगंज परगना/तहसील सदन पर निर्मित डा0 अम्बेडकर पार्क व चबूतरा को दबंग भू-माफियाओं द्वारा तोड़कर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जे की जांच

*1-श्री कल्याण सिंह दोहरे तथा श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या राजस्व मंत्री के जानकारी है कि लखनऊ स्थित ग्राम-इस्माइलगंज परगना व तहसील-सदर, लखनऊ में खसरा संख्या-1135 पर निर्मित डा0 अम्बेडकर पार्क व चबूतरा को दबंग भू-माफियाओं द्वारा तोड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बेदखल कर भूमि का विक्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर अनियमित कब्जे एवं विक्रय को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी नहीं। गाटा संख्या 1135 स्थित ग्राम इस्माइलगंज परगना तहसील व जिला लखनऊ जो अभिलेखों में तालाब दर्ज है, में कहीं पर भी अम्बेडकर पार्क व चबूतरा निर्मित नहीं था, बल्कि अम्बेडकर पार्क का एक बोर्ड लगा था जो गिरकर नष्ट हो गया है। गाटा संख्या 1135 पर 12 मकान अवैध रूप से निर्मित थे जिनमें से 11 मकान नगर निगम द्वारा पुलिस बल के सहयोग से दिनांक 17-7-2003 को गिरा दिये गये हैं। शेष एक मकान जे0 सी0 बी0 खराब होने के कारण नहीं हटाया जा सका। नगर निगम लखनऊ द्वारा उसे अब तक न हटाने के लिए दोषी व्यक्तियों को संज्ञानित कर उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न नहीं उठता।

* 2-डा0 अशोक बाजपेयी-

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

राज्य सरकार द्वारा आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु की गयी कार्यवाही

*3-श्री रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार आलू उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबू लाल)-

राज्य सरकार द्वारा आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

1-आलू निर्यातकों को रु0 25 प्रति कुन्तल या परिवहन भाड़े का 25% जो भी कम हो, परिवहन भाड़ा सहायता राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी।

2-देश से बाहर पड़ोसी देशों में आलू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बन्दरगाहों के समीप आलू के भण्डारीकरण हेतु परिवहन किराये का 40% अथवा रु0 100/प्रति कुन्तल, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य किया गया।

3-बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत भारत सरकार की संस्था नेफेड के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा पी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो तथा उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख आलू उत्पादन करने वाले 29 जनपदों में रु0 190/प्रति कुन्तल की दर से आलू क्रय करने की कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

*4-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत बभनी की भूमि का पट्टा खारिज कर बभनान शुगर मिल के पक्ष में कर) की जांच

*5-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज पर गोण्डा के अन्तर्गत तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत बभनी के गाटा संख्या 100/0-10 एकड़ खाता सं0-227 को परगनाधिकारी, मनकापुर द्वारा

दिनांक 6-7-2000 को खारिज करके खाता सं0-241 में अंकित कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त गाटा संख्या को आयुक्त, देवी पाटन द्वारा बभनान शुगर मिल के पक्ष में दिनांक 21-12-2000 को 90 वर्ष के लिए पट्टा कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त पट्टा किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रथम दृष्टया पट्टा अनियमित ढंग से किया जाना पाया गया है। अतः इसे निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण किसानों को बीज पर सब्सिडी दिये जाने पर विचार की मांग

*6-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सूखा पड़ने से किसानों की माली हालत खराब है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के किसानों को बीज पर सब्सिडी दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गत वर्ष 2002 में सूखे के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है।

ऐसी कोई योजना पृथक से विचाराधीन नहीं है, क्योंकि धान्य, दलहनी एवं तिलहनी बीजों पर अनुदान की सुविधा पूर्व से ही अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार गारन्टी योजना लागू करने की मांग

*7-श्री अजीम भाई-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार गारन्टी योजना लागू करने की कोई कार्य योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

प्रदेश के युवाओं के लिये रोजगार गारन्टी योजना लागू करने की कोई कार्य योजना फिलहाल युवा कल्याण विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*8-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश में आलू उत्पादन की खपत हेतु उद्योगों की स्थापना की योजना

*9-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज आलू उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आलू उत्पादन की खपत हेतु चिप्स, पापड़, नमकीन एवं आटा बनाने का उद्योग स्थापित करने की किसी कार्य योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी हां, जनपद कन्नौज का प्रदेश में आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के विकास के संबंध में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान की योजना चलायी जा रही है जिसमें चिप्स, पापड़ नमकीन एवं आटा बनाने का उद्योग भी शामिल हैं। प्रदेश में इन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एक "नोडल एजेन्सी सेल" की स्थापना की गयी है जिसके द्वारा वित्तीय सहायता हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं से मिले प्रस्तावों को परीक्षण कर संस्तुति सहित प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार को अग्रसारित कराया जाता है। भारत सरकार की इस वृहद योजना के कारण प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य हेतु कोई नवीन कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में दैवी आपदा के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता/गृह अनुदान राशि में वृद्धि की मांग

*10-श्री आनन्द सेन-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार प्रदेश में दैवी आपदा के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता/गृह अनुदान राशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं, दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता व गृह अनुदान के मानक का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार के पत्र दि0 23-4-2003 द्वारा जो मानक परिचालित किये गये हैं उसी के अनुसार सहायता/राहत अनुमन्य है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक में परिवर्तन करने हेतु राज्य सरकार सक्षम नहीं है।

*11-श्री पारस नाथ यादव-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

*12-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[3रे सोमवार के तारा0 प्र0 सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं का विवरण

*13-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के

खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां।

वर्तमान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनायें संचालित की हैं :-

(1) शासनादेश सं0-3967/बयालिस-2001-2/एस0पी0/12/94, दि0 14 दिसम्बर, 2001 द्वारा बढ़ोत्तरी दर के अनुसार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निम्नवत् नकद पुरस्कार दिया जा रहा है :-

एकल गेम्स	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1-सब जूनियर	रु0 6,000	4,000	3,000
2-जूनियर	रु0 8,000	6,000	4,000
3-सीनियर	रु0 20,000	12,000	9,000
टीम गेम्स			
1-सब जूनियर	रु0 4,000	3,000	2,000
2-जूनियर	रु0 6,000	4,000	3,000
3-सीनियर	रु0 10,000	6,000	4,000

(2) उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा नेशनल गेम्स में नया रिकार्ड बनाने पर शासनादेश संख्या-1224/बयालिस-94/2/एस0पी0/12/94, दिनांक 27 अगस्त, 94 द्वारा खिलाड़ी को रु0 10,000/- का पुरस्कार भी दिया जाता है।

(3) वर्ष 2002-2003 में राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0-1204/बयालिस-2003-126/एस0पी0/75, दिनांक 29 मार्च, 2003 के द्वारा लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की धनराशि रु0 25,000/-से बढ़ाकर रु0 50,000/-कर दी गई है।

वर्तमान में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट, किराया, भोजन आदि सुविधायें अनुमन्य कराई जा रही है। भविष्य में भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार और सुविधाओं व पुरस्कार देने पर विचार किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज के ग्राम बाराबुजुर्ग में 3 बीघा एक बिस्वा बंजर भूमि बंजर से खारिज कर न्यायालय के आदेशानुसार मालगुजारी कायम किए जाने के आदेश का अनुपालन कराये जाने की मांग

1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद उन्नाव तह0 हसनगंज स्थित ग्राम बाराबुजुर्ग में गाटा सं0-243, 18 बिस्वा 326-13 बिस्वा 275-13 बिस्वा 121-7 बिस्वा 146-10 बिस्वा

3 बीघा एक बिसवा बंजर से खारिज कर श्री राम शंकर पुत्र श्री भगवान दीन के नाम पट्टे के आधार पर अपील संख्या-33 शंकर बनाम ग्राम सभा दि0 24-11-79 का न्यायालय आदेश बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उन्नाव द्वारा सीरदारी में दर्ज करते हुए मालगुजारी नियमानुसार कायम किए जाने हेतु आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण जमीन का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार अब तक कब्जा न दिलाये जाने के संबंध में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

प्रस्तर एक में संदर्भित भूमि का पट्टा पर जिलाधिकारी (वि0 एवं राजस्व) उन्नाव के वाद संख्या-3 में पारित निर्णय दिनांक 3-2-77 अन्तर्गत धारा-198, जिसका अमलदरामद अभिलेखों में दि0 22-7-77 को किया गया, के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। ब0अ0च0 ने अपने संदर्भित आदेश दिनांक 24-11-79 में अपर जिलाधिकारी के पट्टा निरस्तीकरण के आदेश को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया था जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण था। बन्दोबस्त अधि0 के निर्णय के विरुद्ध दि0 27-11-03 को निगरानी दाखिल की गयी है। संबंधित चकबन्दी अधि0 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु चकबन्दी आयुक्त को लिखा जा चुका है। ऐसी स्थिति में संदर्भित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपर्युक्त कारण से।

जिला एटा ग्राम उमेदपुर में कृषि हेतु आवंटित भूमि में की गयी अनियमितता की जांच

2-श्री उदय राज-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-2 नं0-779211 दि0 23-8-2001 जो ग्राम सभा सेवाकाल ग्राम उमेदपुर, तहसील व जिला एटा में कृषि हेतु आवंटित भूमि में की गयी अनियमितता की जांच के संबंध में है, विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

उक्त प्रकरण में जांच करायी गयी जिसमें कृषि आवंटन में अनियमितताये पायी गयी थीं जिसके फलस्वरूप तत्कालीन लेखपाल श्री उमेश कुमार को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी तथा अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण हेतु जिलाधिकारी न्यायालय में धारा-198 (4) के अन्तर्गत वाद दायर किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम पिलखुआ में ग्राम सभा की आबादी की भूमि के अतिक्रमण हटवाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

3-श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-पिलखुआ (मोलवी का पूरा), वि0 खं0 मऊ आइमा, तहसील सोरांव, जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा की सम्पत्ति श्रेणी 6 (2) जो आबादी (सं0-55) की भूमि का अतिक्रमण श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री महादेव व श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री बद्री प्रसाद द्वारा करने के सम्बन्ध में उक्त ग्राम के ही श्री राम लखन पुत्र श्री बृजलाल द्वारा उप जिलाधिकारी, सोरावं, इलाहाबाद को तहसील दिवस के अवसर पर अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में दि0 18-6-2002 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

आराजी सं0-55 रकबा 0.106 हे0 स्थित श्रेणी-6 (2) आबादी की भूमि है जिसके रकबा-0.034 हे0 पर रामचन्द्र व सुरेश चन्द्र पुत्रगण बद्री प्रसाद द्वारा धान लगाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था जिसे मौके पर हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर रामगढ़ताल में पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

4-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

क्या पर्यटन विकास मंत्री को जानकारी है कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में पर्यटन विभाग द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से बनवाये गये पचास शैय्या वाला पर्यटक आवास विगत बारह सालों से निष्प्रयोज्य पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके कारणों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

पर्यटन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)-

जी नहीं। रामगढ़ताल गोरखपुर में पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 समाज कल्याण निगम और वर्ष 2002 में रु0 279.14 लाख व्यय कर पूर्ण किया गया है, जिसका लोकार्पण तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 18-12-2002 को किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

5-कुं0 रेवती रमण सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद-शाहजहांपुर के तहसील जलालाबाद, विकास खण्ड मिर्जापुर/कलान के ग्रामों को तहसील अमतपुर, जनपद फर्रुखाबाद में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को समाप्त करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

6-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर एवं कलान के ग्रामों को तहसील अमतपुर जनपद फर्रुखाबाद में सम्मिलित करने

के प्रस्ताव को समाप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-10-2002 प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 लागू किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत परिसीमन आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं के जब तक परिसीमन का कार्य चल रहा है तब तक राज्यों द्वारा प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन न किया जाय। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

7-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

8-श्री विमल कृष्ण अग्रवाल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

9-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

10-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

11-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद अम्बेडकर नगर, थाना सम्मनपुर के ग्राम जोरियन कटुई की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

12-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम जोरियन कटुई (तिहईया) थाना-सम्मनपुर जिला अम्बेडकर नगर के ग्राम समाज की जमीन के गाटा संख्या-896 का एक हिस्सा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर सार्वजनिक प्रयोग के लिए छोड़ी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर गांव के श्री बलकरन पुत्र गोगई तथा कमलेश व गोपाल पुत्रगण बलकरन द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 20-6-2002 को उक्त कब्जा हटवाये जाने हेतु जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए अवैध कब्जा हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

गाटा संख्या-896 ग्राम समाज की भूमि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां।

गाटा संख्या-896 विभिन्न खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खातेदारों की सहमति के आधार पर 0.051 हे0 भूमि पुरानी आबादी के किनारे शादी विवाह व अन्य प्रयोजन हेतु छोड़ी गयी है जिसमें अंश भाग 0.002 हे0 भूमि पर नाद व दीवाल बनाकर कब्जा कर लिया गया था जिसे ग्राम प्रधान द्वारा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में समझौता कराकर खाली करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

13-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

14-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

15-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

16-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

17-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

18-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

19-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

20-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद, ग्राम सभा इन्चौली के तालाब/बंजर भूमि पर भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करके अनाधिकृत कब्जा हटवाने की मांग

श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में महमूदाबाद-लखनऊ मार्ग पर ग्राम सभा इन्चौली के तालाब/बंजर भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करके अनाधिकृत कब्जा हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम सभा इंचौली में तालाब नवीन परती व ऊसर की भूमि पर अनुसूचित जाति के 14 व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया।

अनाधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली का वाद योजित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध निर्माणकर्ता श्री राम संवारे के विरुद्ध दायर वाद की जांच

22-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2003 जो अवैध निर्माण करा लिए जाने के सम्बन्ध में था, पर मा0 राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग के आदेश दी0आई0पी0-101 दिनांक 23-01-03 अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती कुसुम राय)-

जी हां।

अवैध निर्माणकर्ता श्री राम संवारे पुत्र स्व0 श्री भुलई के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वाद दायर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

23-डा0 अशोक बाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी तहसील व जिला लखनऊ के भूखण्ड संख्या-1329 की स्थिति तथा चकबन्दी में संशोधन किये जाने की मांग

24-दयाशंकर वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे गुरु के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सख्या-81 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखनऊ के न्यायालय में दायर वाद संख्या-254/94 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19-1-96 को दिये गये आदेशों की प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराकर सम्बन्धित खातेदारों को संशोधित स्थिति के अनुसार पैमाइश कराकर उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

वाद के निर्णय के अनुसार भूचित्र संशोधित कर दिया गया है। हिस्से के अनुसार कब्जा हेतु सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद दाखिल करना होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में संग्रह अमीनों के रिक्त पदों पर शिक्षित संग्रह चपरासियों की प्रोन्नति करने की मांग

25-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुर जिले में 119 (एक सौ उन्नीस) पद संग्रह अमीन के रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संग्रह अमीन के रिक्त पदों पर शिक्षित संग्रह चपरासियों की प्रोन्नतियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

उपलब्ध सूचनानुसार जनपद सीतापुर में 8 मई, 2003 तक संग्रह अमीनों के कुल 98 पद रिक्त थे।

संग्रह अमीन सेवा नियमावली के अनुसार कार्यरत पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा कार्यरत संग्रह चपरासियों से भरे जाने का विधान है। कुल कार्यरत 219 संग्रह अमीनों में 33 पद प्रोन्नति के होते हैं, जिसके सापेक्ष 7 पदोन्नतियां पूर्व में तथा 2 पदोन्नतियां वर्तमान में की जा चुकी हैं। शेष पदों को भरे जाने हेतु चयन समिति की बैठक की जा चुकी है। प्रोन्नति के उपयुक्त पाये जाने वाले चपरासियों की पदोन्नति शीघ्र कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी सहायकों की स्थानान्तरण नीति विषयक जानकारी

26-श्री उदय राज यादव-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मण्डी सहायकों की स्थानन्तरण नीति क्या है हरदोई मण्डी समिति में तैनात मण्डी सहायकों जो विगत 10 वर्षों से तैनात हैं उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

शासन के कार्मिक विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जारी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही मण्डी परिषद् द्वारा स्थानान्तरण किये जाते हैं। मण्डी सहायकों के स्थानान्तरण हेतु पृथक से मण्डी परिषद् की कोई स्थानान्तरण नीति नहीं है।

मण्डी समिति हरदोई में कोई भी मण्डी सहायक 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में बभनान कस्बे में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

27-चौधरी विजेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोण्डा में बभनान से खोड़ारे जाने वाली सड़क पर बभनान कस्बे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-ग्रहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वाद दायर कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा जमुआवा स्थित 989 बीघे के तालाब को विकसित कर पर्यटन केन्द्र बनाने की मांग

28-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा जमुआवा में स्थित 989 बीघे के तालाब को विकसित कर पर्यटन केन्द्र बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस स्थल पर पर्यटकों का आवागमन नगण्य है।

जनपद आजमगढ़ में बेसो नदी पर पुल निर्माण की मांग

29-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद-आजमगढ़ में बहोरिकपुर (कर्ता) बेसो नदी पर पुल न होने के कारण वर्षा ऋतु में आवागमन बाधित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेसो नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी नहीं। ग्राम-बहोरिकपुर (कर्ता) खरीहानी-बेलहाडीह-टंडवा खास मार्ग से सर्व ऋतु सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। यह सम्पर्क मार्ग टाप कोट तक पूर्ण है।

गत वर्ष में विधान सभा परिसर में लगाये गये कूलरों के विषय में जानकारी

30-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 में विधान सभा परिसर में कितने कूलर लगाये गये हैं ? क्या उनमें नये कूलर भी लगाये गये हैं ? नये कूलर किस कम्पनी से खरीदे गये हैं ? प्रति कूलर की कीमत क्या है ? क्या यह सही है कि अधिकांश लगाये गये कूलर ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अनुरक्षण खण्ड, लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

वर्ष 2003 में ग्रीष्मकाल में विधान सभा परिसर में पहले से उपलब्ध 538 कूलर लगाये गये हैं।

जी नहीं।

कोई नया कूलर नहीं खरीदा गया है।

चूंकि कोई नया कूलर नहीं खरीदा गया इसलिए कीमत का प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं। सभी कूलर ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

31-डा0 अशोक बाजपेयी-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

राज्य सम्पत्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी कालोनियों के भवनों की अनुरक्षण दरों के अनुरूप अनुरक्षण में सुधार की जांच

32-चौधरी विजेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी कालोनियों के भवनों का अनुरक्षण दर 72/- से बढ़ाकर 133/- (एक सौ तैंतीस रुपया मात्र) कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त बढ़ायी गयी धनराशि का उपयोग निदेशालय द्वारा अनुरक्षण कार्य पर न व्यय करके अन्य मदों में व्यय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अनुरक्षण दरों के अनुरूप अनुरक्षण में सुधार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

33-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

34-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

35-श्री कौशल किशोर-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

36-श्री कौशल किशोर-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद बलरामपुर, तहसील मुख्यालय, उतरौला में मण्डी समिति द्वारा मण्डी के निर्माण की मांग

37-श्री अनवर महमूद-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-बलरामपुर, तहसील मुख्यालय, उतरौला में मण्डी समिति द्वारा मण्डी का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मण्डी का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी नहीं।

मण्डी समिति की आय, आवक एवं व्यापारियों की संख्या न्यून होने के कारण मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र उतरौला में उतरौला-सादुल्लानगर मार्ग की मरम्मत की मांग

38-श्री अनवर महमूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र उतरौला में उतरौला-सादुल्लानगर मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां, के ग्राम मइला में बिना नामान्तरण आवक के दर्ज भूमि में दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही/एवं भूमि पर आवंटियों को कब्जा दिलाये जाने का प्रकरण

39-श्री द्वारिका प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मइला, तहसील-सहजनवां, जिला-गोरखपुर के जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 नियम-97 में नई गाटा सं0-76 रकबा 36 डि0 व गाटा सं0-77 रकबा 99 डि0 पर बिना नामान्तरण आदेश के श्रीमती रंजना विधवा रामलगन तथा पुत्र शिवनाथ यादव का नाम दर्ज कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि सीलिंग खातेदार श्री राधे प्रसाद व श्री गोरख प्रसाद निवासी ग्राम पाली की अतिरिक्त घोषित की गई थी और पात्र व्यक्तियों को दिनांक 25-7-97 को पट्टा कर आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम मईला, तहसील-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर के जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 के नई गाटा सं0-76 रकबा 0.36 डि0 व गाटा सं0-77 रकबा-0.99 डि0 के सावक नम्बरों का बैनामा राधो सिंह व बलदाऊ सिंह पुत्र रामराज सिंह द्वारा दिनांक 14-9-1965 को श्रीमती रंजना देवी पत्नी रामलगन के पक्ष में किया गया था किन्तु अभिलेख में बिना नामान्तरण आदेश के ही श्रीमती रंजना विधवा रामलगन का नाम दर्ज किया गया था। श्रीमती रंजना के मृत्यु के पश्चात् उनके स्थान पर उनके लड़के शिवनाथ पुत्र रामलगन का नाम वरासतन अंकित हुआ था। इसके लिये दोषी तत्कालीन लेखपाल श्री रामशब्द लाल व तत्कालीन अभिलेखागार लिपिक श्री शिवनाथ पुत्र श्री राम लगन के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज करा दी गयी थी तथा विभागीय कार्यवाही कर दण्डित किया गया था। उक्त भूमि सीलिंग खातेदार श्री राधे प्रसाद व गोरख प्रसाद निवासी ग्राम पाली की दिनांक 13-3-97 को अतिरिक्त घोषित की गयी थी जिसे 5 पात्र व्यक्तियों में दिनांक 25-7-97 को कृषि पट्टा कर आवंटित कर दिया गया था तथा दिनांक 13-2-2001 को उक्त भूमि पर आवंटियों का कब्जा दिला दिया गया

था। सीलिंग वाद के अपील प्राधिकारी और आयुक्त के आदेश दिनांक 21-12-2000 द्वारा प्राधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिए जाने के कारण उपरोक्त आराजी 76 वा 77 अतिरिक्त घोषित भूमि की श्रेणी में नहीं रह गयी है। अतः फिलहाल पट्टा/कब्जा देना सम्भव नहीं है।

40-श्री कौशल किशोर-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

41-श्री कौशल किशोर-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

42-श्री कौशल किशोर-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

43-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

44-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

45-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

46-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

47-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

48-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

49-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ग्राम सभा पलिया लोहंगी स्थित भूमि सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

50-श्री चन्द्र भद्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, की मिल्कीपुर, तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा पलिया लोहंगी में स्थित खाता सं0 896 गाटा सं0 1381/347, 1392/129 की भूमि को रामकेवल पुत्र कन्हैया लाल ने फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र मणि त्रिपाठी ने राजस्व राज्य मंत्री को 12-12-02 में कोई शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

गाटा सं0-1381/0.347 हे0 व 1392/0.129 हे0 ग्राम पलिया लोहानी गांव सभा की भूमि अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाते में अंकित है। इसका विनिमय जमी0 वि0अधि0 की धारा-161 के अन्तर्गत रामकेवल पुत्र कन्हैया लाल, निवासी कदनपुर के खाता सं0-871 के गाटा सं0-442/0.721 हे0 की भूमि से विनिमय वाद सं0-3 ता0फै0 10-10-2000, न्यायालय उप जिलाधिकारी,

मिल्कीपुर फैजाबाद के रामकेवल के हक में निर्णीत हुआ। पुनः न्यायालय उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर ने अपने आदेश दिनांक 13-9-01 के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10-10-2000 को निरस्त करते हुए इसे गांव सभा भूमि घोषित कर दी। न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन, फैजाबाद मण्डल द्वारा अपील सं0-283 धारा-331(3) के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 13-9-01 का अनुपालन अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वाद न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है।

जी हां।

न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र पर प्रशासनिक आधार पर कार्यवाही उचित नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर, ग्राम उमस्सड, विकास खण्ड जलालाबाद में स्वीकृत डामरीकरण तथा कटरा सिउरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराने संबंधी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

51-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-8-02 जो ग्राम उमस्सड, विकास खण्ड जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में स्वीकृत डामरीकरण तथा कटरा सिउरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए हैं ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्र संख्या 2009 दि0 18-8-02 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

जी हां।

उमस्सड सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में है। कटरा-सिउरा मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गड्ढा मुक्त सड़कों के कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

52-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-7-2002 जो कि माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2000 तथा जनवरी, 2001 में गड्ढा मुक्त सड़कों के कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने पत्र संख्या 14023 दिनांक 27-6-02 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम तथा द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

जी नहीं, मा0 विधायक जी का पत्रांक-14023 दिनांक 27-7-2002 जिलाधिकारी शाहजहांपुर के पत्रांक-1956/ओ0एस0डी0/कैम्प/02, दिनांक 28-7-2002 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर को भेजा गया।

उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापन करने पर कार्यों को संतोषजनक पाया गया तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, शाहजहांपुर ने पत्रांक 2489/16 एम0जी0, दिनांक 6-8-02 द्वारा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तथा मा0 विधायक जी को आख्या उपलब्ध करा दी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम धरलिया में चकबन्दी का कार्य कराये जाने विषयक जानकारी

53-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम धरलिया में चकबन्दी का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम का चकबन्दी कार्य पूर्ण होने का निश्चित समय निर्धारित करना संभव नहीं है।

जनपद बाराबंकी, परगना व तहसील रामनगर के ग्राम लोहटीजई, में ग्राम समाज व कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी खनन करने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

54-श्री राम लाल अकेला-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-लोहटीजई, परगना व तहसील-रामनगर, जिला बाराबंकी में सम्पर्क मार्ग, कब्रिस्तान ग्राम समाज की भूमि, खलिहान तथा चकमार्ग की भूमि की मिट्टी अवैध ढंग से रेलवे के ठेकेदार को बेचे जाने के सम्बन्ध में [illegible] व के निवासी श्री मुरारी लाल अवस्थी पुत्र स्व0 शिवमंगल अवस्थी तथा श्री शिवमंगल शरण त्रिवेदी के अलग-अलग शिकायती प्रार्थना-पत्रों पर राजस्व मंत्री के आदेश सं0 2261 दिनांक 26-8-02, [illegible]2 दिनांक 27-12-02, 4013 दिनांक 12-12-02, 839 दिनांक 4-4-03 तथा मुख्य मंत्री कार्यालय का आदेश सं0 355/पी0आर0 ओ0/सी0एम0 आवास दिनांक 8-4-03 जिलाधिकारी [illegible]राबंकी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराई गयी। जांच में ग्राम समाज का चकमार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाया गया जिसकी पटायी का कार्य कराया जा रहा है। चकमार्ग की पैमाईश कराकर निशान लगवा दिया गया है।

कब्रिस्तान एवं खलिहान में मिट्टी की खुदाई का कार्य नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

56-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

57-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

तहसील कार्यालय, तिलहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-8-2000 व दिनांक 4-9-2000 जो तहसील कार्यालय तिलहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक-325 व पत्रांक-327 दिनांक 16-9-2000 द्वारा उप जिलाधिकारी तिलहर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर उप जिलाधिकारी, तिलहर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 सदस्य के उक्त पत्र दिनांक 31-8-2000 व दिनांक 4-9-2000 कार्यालय तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में न होकर बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत-सहायता वितरित कराये जाने के संबंध में थे। इन पत्रों को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक-325 व 327 दिनांक 16-9-2000 द्वारा उप जिलाधिकारी, तिलहर को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा था।

जांच के उपरान्त अतिवृष्टि से प्रभावित ग्राम जगत पिपरथना के 47 व्यक्तियों को रुपया 28,200.00, ग्राम रुद्रपुर के 25 व्यक्तियो को रु0 16,600.00, ग्राम दभौरा के 146 व्यक्तियों को रु0 87,600.00, ग्राम बस्तीनगला के 9 व्यक्तियों को रु0 5,400.00 तथा ग्राम रपडिया के 27 व्यक्तियों को रु0 16,200.00 गृह अनुदान एवं ग्राम मरेना के एक व्यक्ति को रुपया 2000.00, ग्राम जगत पिपरथना के 2 व्यक्तियों को रुपया 4000.00 एवं रुद्रपुर के 04 व्यक्तियों को रुपया 52,500.00 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

60-श्री संजय गर्ग-

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जिला रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं व्यायामशाला के निर्माण की मांग

61-श्री राम कृपाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों, को बढ़ावा के उद्देश्य से क्या सरकार ग्राम पंचायत पश्चिम गांव, विकास खण्ड हरचन्द्रपुर, जिला रायबरेली में

ग्रामीण स्टेडियम एवं व्यायामशाला का निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं।

क्योंकि उक्त स्थान पर स्टेडियम एवं व्यायामशाला के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि युवा कल्याण विभाग के नामें दर्ज नहीं है।

निर्धारित मानक के अनुसार भूमि युवा कल्याण विभाग के नामें दर्ज होने पर।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतिवृष्टि से गिरे मकानों के मालिकों को आर्थिक सहायता दिलवाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

62-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-2000 जो अतिवृष्टि से गिरे मकानों के मालिकों को आर्थिक सहायता दिलवाने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्रांक 392 दिनांक 28-9-2000 द्वारा उप जिलाधिकारी तिलहर को उपरोक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर उप जिलाधिकारी तिलहर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

उप जिलाधिकारी, तिलहर द्वारा मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 19-8-2000 की जांच तहसीलदार, तिलहर से कराई गई। जांचोपरान्त अतिवृष्टि से गिरे मकानों के मालिकों को ग्राम जगत-पिपरथना में 47 व्यक्तियों को रु0 28,200 ग्राम रुद्रपुर में 25 व्यक्तियों को रु0 16,600 ग्राम डभोरा में 146 व्यक्तियों को रु0 87,600 ग्राम बस्ती नगला में 09 व्यक्तियों को रु0 5,400 एवं ग्राम रपड़िया में 27 व्यक्तियों को रु0 16,200 गृह अनुदान मद में तथा ग्राम मरेना में एक व्यक्ति को रु0 2,000 ग्राम जगतपिपरथना में 02 व्यक्तियों को रु0 4,000 एवं ग्राम रुद्रपुर में 04 व्यक्तियों को रु0 52,500 अनुग्रह अनुदान मद में वितरित किया गया। पत्र में उल्लिखित अन्य ग्रामों यथासरसवा, कन्हानी, वटिप्रतिहरपुर, रवडा, अमरेडी, धसाकल्याणपुर, रमपूरा, नवादा, नगरिया निजामपुर में कोई क्षति न होने के कारण सहायता वितरित नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील सोनहा-भानपुर के कतिपय ग्रामों को थाना एवं ब्लाक राम नगर से निकालकर थाना व तहसील एवं ब्लाक रुधौली में सम्मिलित करने पर विचार

63-श्री अनिल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बस्ती की तहसील भानपुर सोनहा के ग्राम पंचायत अमारेडीहा, तुरकोलिया राय, परसोहिया, सगरा, बढ़यालाल सिंह, खम्हरिया, अतरडीहा, पदवरिया, गंधरिया खुर्द, गंधरिया बुजुर्ग की दूरी उनके थाना/तहसील मुख्यालय एवं ब्लाक से 35-40 कि0मी0 दूर

है जब कि रुधौली थाना व तहसील एवं ब्लाक की दूरी इन गांवों से मात्र 5 से 10 कि0मी0 है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांववासियों की समस्याओं को देखते हुए थाना व तहसील एवं ब्लाक का पुनर्गठन करके उक्त गांवों को जनपद बस्ती की तहसील सोनहा-भानपुर व थाना एवं ब्लाक राम नगर से निकाल कर थाना व तहसील एवं ब्लाक रुधौली में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम-2002 लागू किया जा चुका है। परिसीमन आयोग ने यह निर्देश दिये हैं कि जब तक परिसीमन का कार्य चल रहा है, प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन न किया जाय। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा की न्याय पंचायत बिजौरा के राजस्व ग्रामों को तहसील डुमरियागंज में सम्मिलित करने की मांग

64-श्री अनिल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा की न्याय पंचायत बिजौरा के राजस्व ग्राम बिजौरा, बेलवा, बोनाजोत, मोहम्मदपुर इजरहवा, कोदईजोत रोहांव खुर्द, रोहांव बुजुर्ग, परसोहिया तिवारी, गागापुर, गुलरिया, सिकन्दरपुर, दखिनहवा, सफियापुर, सिंगारजोत को भौगोलिक एवं सुविधा की दृष्टि से तहसील इटवा से निकाल कर तहसील डुमरियागंज में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम, 2002 लागू किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत परिसीमन आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि जब तक परिसीमन का कार्य चल रहा है, राज्यों द्वारा प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन न किये जाय। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

तहसील सण्डीला, जिला हरदोई चक मार्ग संख्या 1965 तथा चक मार्ग संख्या 1935 पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

65-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुन्नू खेड़ा, मजरा ककराली, परगना व तहसील सण्डीला, जिला हरदोई में चक मार्ग संख्या 1965 पर मूल चन्द्र पुत्र मंगलू आदि तथा चक मार्ग 1935 पर बसीर, अजीज पुत्र गट्टर आदि द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गड्ढा युक्त सड़कों में कराये गये कार्यों में किये गये व्यापक भ्रष्टाचार संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

66-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-2002 जो माह अक्टूबर, 2000 से जनवरी, 2001 के मध्य गड्ढा युक्त सड़कों में कराये गये कार्यों में किये गये व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने पत्रांक 1934 दिनांक 24-7-2002 अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 खण्ड प्रथम शाहजहांपुर को भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

जी हां।

इस प्रकरण में जांच कराई गई तथा शिकायत संबंधी कार्य संतोषजनक पाये गये। आख्या जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तथा मा0 सदस्य को भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली, विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के चन्धासी हरिशंकरपुर हिनौली, कैथापुर हड़िया मार्ग के निर्माण की मांग

67-श्री राम किशुन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगल-सराय के चन्धासी हरिशंकरपुर हिनौली होते हुये कैथापुर हड़िया मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

68-श्री राम गोविन्द चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

69-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों में सभी पात्र कृषकों को गेहूं, बीज की सुविधा प्रदान करने संबंधी जानकारी

70-श्री अनिल सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुफ्त बीज वितरण योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2002 में मनवापुर, डुमरियागंज, खुनिभाव इटावा विकास खण्डों के किन-किन ग्रामों

में सभी पात्र कृषकों को गेहूं, बीज की सुविधा प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करा कर दोषी को दण्डित किया जायेगा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जनपद सिद्धार्थनगर के इंगित विकास खण्डों के गांवों में सभी पात्र कृषकों को गेहूं बीज की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी।

गेहूं बीज वितरण की सुविधा उपलब्ध स्टाक के अनुसार "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्धान्त पर पात्र कृषकों को प्रदान की गयी। अतः जांच कराने तथा किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के कतिपय गांवों के काश्तकारों की भूमि के प्रतिकर भुगतान की मांग

71-श्री अनिल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज बढ़नी मार्ग पर राप्ती नदी पर वर्ष 1967-68 में पुल का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या कोसी खुर्द, डुमरियागंज एवं शाहपुर के किसानों की भूमि का मुआवजा प्रतिकर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या डुमरियागंज के उक्त गांवों के काश्तकारों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराया जायेगा ? यहि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां। ग्राम डुमरियागंज के 183 किसानों की अधिग्रहीत भूमि हेतु अवार्ड घोषित किया गया जिसमें से 153 कृषकों द्वारा प्रतिकर का भुगतान प्राप्त किया गया व अवशेष 30 कृषकों द्वारा भुगतान न लेने के कारण उन्हें देय प्रतिकर की धनराशि रेवेन्यू डिपाजिट में जमा है। ग्राम कोसी खुर्द एवं शाहपुर के किसानों को प्रतिकर देय नहीं है

उपरोक्तानुसार।

डुमरियागंज के अवशेष 30 कृषकों द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नियमानुसार कराया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद/तहसील मिल्कीपुर अन्तर्गत ग्राम रानीपुर से ग्राम पूरे लाल खां को जाने वाली सड़क को नाबार्ड योजना में सम्मिलित करने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

72-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत ग्राम रानीपुर से ग्राम पूरे लाल खां (कुंहवा) को जाने वाली सड़क को नाबार्ड योजना में सम्मिलित करने के संबंध में डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर मा0 राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग के आदेश संख्या वी0 आई0 पी0-22/रा0मं0/लो0 नि0 वि0/199 दिनांक 06 मार्च, 2003 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

मा0 राज्य मंत्री के आदेशानुसार कार्य को नाबार्ड योजना में सम्मिलित करना संभव नहीं हुआ चूंकि वित्तीय वर्ष 2002-2003 में बजट प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण मार्ग कार्यों हेतु नाबार्ड को कोई प्रस्ताव नहीं भेजे गये।

73-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

74-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

75-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद लखीमपुर खीरी में गोला बाईपास के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में जानकारी

76-श्री अरविन्द गिरि-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी में गोला बाईपास का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो गोला बाईपास का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती कुसुम राय-

गोला बाईपास के निर्माण हेतु 30 वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहण करके आंशिक मार्ग में मिट्टी का कार्य डिफेन्स आफ इण्डिया नियम में लेटरल रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कराया गया था, परन्तु गोला बाईपास को इस प्रोजेक्ट से हटाये जाने के कारण इस पर कार्य नहीं हो सका। वर्तमान में यह बाईपास किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

77-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद फैजाबाद कलेक्ट्रेट में लिपिकीय संवर्ग में रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण कराने की मांग

78-श्री आनन्द सेन-

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में सहायक वासिल बाकी नवीस के कुल पदों में से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति में रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है ? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग में सहायक वासिल बाकी नवीस का अलग से कोई संवर्ग नहीं है । वर्तमान में कलेक्ट्रेट फैजाबाद के लिये लिपिकीय संवर्ग में कुल 135 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाजहांपुर, ग्राम उमरसड़ विकास खण्ड जलालाबाद में स्वीकृत डामरीकृत पूर्ण कराने एवं कटरा-सिउरा मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

79-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-2002 जो कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम उमरसड़ विकास खण्ड जलालाबाद में स्वीकृत डामरीकरण पूर्ण करने तथा कटरा, सिउरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराने के संबंध मे था, जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या-2009 में दिनांक 18-8-02 को अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

जी हां।

उमरसड़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में है। कटरा-सिउरा मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

80-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद सिद्धार्थनगर के कार्यालय भवन के किराये के भुगतान संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

81-श्री अनिल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर के कार्यालय भवन के किराये के भुगतान के संबंध में जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक सं0 848/लेखा दिनांक 23-11-92 जो कि दिनांक 1-8-88 से किराया 700/- प्रतिमाह के स्थान पर 1200/- रु0 प्रतिमाह देने की संस्तुति के साथ निदेशालय को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि से 1200/- रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

रुपया 1200/- प्रतिमाह की दर से किराये के भुगतान का औचित्य नहीं पाया गया इसलिये इस दर से किराये का भुगतान नहीं किया गया।

82-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

83-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

84-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बांसी, ग्राम झंझवापार के श्री आत्मा राम के सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाये जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

85-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जुगुल किशोर राय पुत्र श्री हीरा राय द्वारा सार्वजनिक रास्ते में किये गये अतिक्रमण हटाये जाने विषयक श्री आत्मा राम ग्राम झंझवापार, पोस्ट-मरवटिया बाजार थाना व तहसील-बांसी, जिला-सिद्धार्थनगर का प्रार्थना-पत्र श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा मनकापुर गोण्डा के उपरिपत्र ग-3 सं0 277350 दिनांक 16-4-2003 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

संदर्भित पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच उप जिलाधिकारी/तहसीलदार बांसी द्वारा स्थलीय जांच कराई गई है। जांच में यह पाया गया कि गोबर प्लांट सार्वजनिक रास्ते में नहीं है बल्कि आबादी में स्थित है। आवेदक का रास्ता इससे बाधित नहीं है। आवेदक के आवागमन के लिये रास्ता उसके मकान के पूरब तरफ में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

86-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मैनपुरी में कृषकों की सूखा राहत धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

87-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में वर्तमान समय में कृषकों को सूखा राहत के रूप में प्रति परिवार मात्र 125.00 रुपया दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सूखा राहत राशि बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद मैनपुरी में धनावंटन की उपलब्धता एवं प्रभावित कृषकों की संख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सूखा राहत के रूप में सीमान्त कृषकों को रु0 140/- की दर से, लघु कृषकों को रु0 160/- की दर से तथा दो हेक्टेअर से अधिक भूमि वाले कृषकों को रु0 915/- दर से धनराशि वितरित की जा रही है। सूखा राहत राशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी

88-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्रस्तावित शुक्लापुर खिलौली मार्ग, बाबा की बाजार-सैरपुर मार्ग, बड़ागांव अइहार मार्ग, अमौनी घाट मार्ग, रुदौली-इन्टौना मार्ग से जलालपुर मार्ग, आजादनगर से नरौली मार्ग तथा रौजागांव-अलियाबाद मार्ग से इचौलिया तक सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त सभी मार्गों का लेपन स्तर तक कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, कस्बा रुदौली अन्तर्गत स्थित मुख्य मार्ग के निर्माण कार्य सम्बन्धी जानकारी

89-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कस्बा रुदौली अन्तर्गत स्थित मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2002 में कराया जाना प्रारम्भ किया गया था ? क्या यह सही है कि सड़क का आधा भाग रुदौली थाना से रेलवे क्रासिंग तक गिट्टी डलवाकर छोड़ दिये जाने के कारण नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयां एवं दुर्घटनाएं हो रही हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग लेपन स्तर तक कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

रुदौली थाने से रेलवे क्रासिंग तक के भाग में टापकोट तक का कार्य पूर्ण है। लेपन का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री किरनपाल सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

91-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

92-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत बभनी में तालाब को अवैधानिक तरीके से बभनान शुगर मिल के पक्ष में करने का प्रकरण

93-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील-मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बभनी का गाटा संख्या-98 च/1.29 एकड़ तालाब को बभनान शुगर मिल के पक्ष में अवैधानिक तरीके से आयुक्त देवीपाटन मण्डल ने दिसम्बर, 2000 में 90 वर्ष के लिये पट्टा कर दिया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि शुगर मिल बभनान द्वारा उक्त गाटा नम्बर में स्थित तालाब को पाट दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अनियमित पट्टे को खारिज करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

पट्टा खारिज कर दिया गया है ?

94-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

95-श्री बंशीधर राज-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

96-श्री बंशीधर राज-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

97-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

98-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

99-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

100-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मैनपुरी, भोगांव में राजघाट काली नदी पर पुल निर्माण सम्बन्धी जानकारी

101-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि वर्ष 1991-92 में जनपद मैनपुरी में विधान सभा क्षेत्र भोगांव में राजघाट काली नदी पर पुल बनाने के लिये विदेशी सहायता राशि की सहायता प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल बन गया है ? यदि नहीं, तो उक्त राशि किन-किन कार्यों पर खर्च कर दी गई है ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी स्थित डेढुवा-फतेहपुरवा मलौली लिंक मार्ग के निर्माण की मांग

102-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तहसील रामनगर जनपद बाराबंकी स्थित डेढुवा-फतेहपुरवा मलौली लिंक मार्ग लम्बाई 4 कि0मी0 का खड़न्जा क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे जनता को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिंक मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं हैं।

जनपद मैनपुरी, विधान सभा क्षेत्र भोगांव में नयी कृषि मण्डी का निर्माण

103-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में नई कृषि मण्डी बनाने हेतु वर्ष 1991-92 में सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मण्डी का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

नई मण्डी बनाने हेतु उपयुक्त भूमि प्राप्त न होने के कारण।

104-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

105-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी0 सी0 मिश्रा द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2001 की चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति

डा0 एस0 बी0 सिंह, के विरुद्ध सशपथ ज्ञान सहित एक शिकायती-पत्र सचिव, उ0 प्र0 शासन, कृषि शिक्षा, विभाग को दिया गया था, जिसमें उन्होंने डा0 एस0 बी0 सिंह कुलपति के विरुद्ध साक्ष्य सहित कतिपय आरोप लगाये थे ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवायी गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण में डा0 एस0 बी0 सिंह, तत्कालीन कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इसमें परीक्षणोपरान्त ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिसके आधार पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता हो।

जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी के शंकरपुर घाट पर पुल निर्माण की मांग

106-श्री अजीम भाई-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी के शंकरपुर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत सेतु का निर्माण किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

107-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

108-डा0 वकार अहमद शाह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

109-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

अग्निपीड़ित परिवारों को शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली गृह अनुदान/अहेतुक सहायता राशि में वृद्धि की मांग

110-श्री आनन्द सेन-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अग्निपीड़ित परिवारों को शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली गृह अनुदान/अहेतुक सहायता राशि को बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को दिये जाने वाले गृह अनुदान/अहेतुक सहायता का मानक भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी सम्भव नहीं है।

उपर्युक्त कारण से।

जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पंचायत सिधौना में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज भूमि की प्रकृति को बदलकर काश्तकारों के नाम किये जाने की जांच

111-श्री आनन्द सेन-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सिधौना, तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद के ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज सैकड़ों बीघे भूमि की प्रकृति को बदल कर काश्तकारों के नाम वर्ष 1998 में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य को करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड जलालाबाद में अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

112-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-2002 जो ग्राम चुचुआपुर विकास खण्ड जलालाबाद में अग्नि पीड़ितों की आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या-1910 दिनांक 18-7-02 को तहसीलदार जलालाबाद शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ग्राम चुचुआपुर के 29 अग्निपीड़ितों को रु0 800/. प्रति व्यक्ति की दर से दिनांक 06-09-2002 को कुल रु0 23,200/- की गृह अनुदान सहायता वितरित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा अन्तर्गत मनकापुर-मसकनवा-बभनान मार्ग का पुनः निर्माण

113-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मनकापुर-मसकनवा-बभनान मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी हां।

जी हां। उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

114-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद् में वर्ष 1992 से चतुर्थ श्रेणी पद पर कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मी कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 में वर्ष 1992 से चतुर्थ श्रेणी के पद पर कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। 35 दैनिक श्रमिकों से दैनिक मजदूरी का कार्य लिया गया है, जिनकी मजदूरी का भुगतान मजदूरी मद से किया गया है।

नहीं, क्योंकि इनके विनियमितीकरण की कोई नीति नहीं है।

जनपद मैनपुरी में आये तूफान से मृतकों की संख्या एवं उनके आश्रितों को दी गयी आर्थिक सहायता

115-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मैनपुरी में दि0 14-5-03 को आये तूफान से कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? क्या सरकार उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्नगत दिनांक को जनपद मैनपुरी में आये तूफान से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

प्रत्येक मृतक परिवार के आश्रितों को नियमानुसार रु0 50 हजार की दर से कुल रु0 5.00 लाख की धनराशि का वितरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम द्वारिकापुर, तहसील कदर, जनपद फैजाबाद के गाटा सं0-255 एवं 265 नवीन परती के संबंध में अपर आयुक्त की अदालत से पारित आदेश

116-श्री अजीम भाई-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम द्वारिकापुर, परगना अमासिन, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद के गाटा सं0-255 एवं 265 नवीन परती के संबंध में धारा 122 बी0 के अन्तर्गत अपर आयुक्त की अदालत से वर्ष 2000-2001 में पारित आदेश का पालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील फैजाबाद के ग्राम द्वारिकापुर की अनाधिकृत भूमि के कब्जेदारों से मुक्ति दिलाने की मांग

117-श्री अजीम भाई-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" के अतारांकित प्रश्न संख्या-129 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-द्वारिकापुर परगना अमासिन, तहसीलदार जनपद-फैजाबाद के गाटा सं0-255 एवं 266 पर काबिज अनाधिकृत कब्जेदारों को दि0 22-02-2001 को शासन द्वारा बेदखल कर दिया गया था ? क्या यह सत्य है कि भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश सं0-प्र0स0 90/एक-1/02-9-1(33)/96-172-रा0-1, दिनांक 1-7-2002 के प्रस्तर-2 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 1-5-2002 तक के ग्राम सभा की भूमि पर ऐसे अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही न किये जाने का प्राविधान है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ब्लाक सुल्तानगंज में जी0 टी0 रोड बेवर से छिउकरिया तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

118-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मैनपुरी जनपद के विधान सभा भोगांव के ब्लाक सुल्तानगंज में जी0 टी0 रोड बेवर से छिउकरिया तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम रा -

(क) जी0 टी0 रोड से निकला पदमपुर छिनकारिया सम्पर्क मार्ग मरम्मत योग्य है ?

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

119-श्री अजीम भाई-

[1ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

120-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

121-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

122-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

123-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, आजमगढ़ यूनिट में कार्यरत स्थानिक अभियन्ता तथा उनके स्थानान्तरण की मांग

124-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, आजमगढ़ यूनिट में विगत 5 वर्षों से अधिक समय से कितने स्थानिक अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्यत्र यूनिट में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को आजमगढ़ यूनिट में विगत 5 वर्षों से अधिक समय से एक स्थानिक अभियन्ता कार्यरत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम एक व्यावसायिक संस्था है जिसमें किसी भी अभियन्ता का स्थानान्तरण यथासम्भव कार्य की आवश्यकता एवं महत्व के आधार पर किया जाता है। शासन द्वारा घोषित वार्षिक स्थानान्तरण नीति व्यावसायिक निगमों पर लागू नहीं होती है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रुदौली से अमानीगंज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

125-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रुदौली से अमानीगंज मार्ग कि.मी0 1 से 3 तक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयां आ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

मार्ग के कि0 मी0 1, 2 व 3 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

126-डा0 शिव प्रताप यादव-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों और कला को प्रोत्साहन देने की मांग

127-श्री अजीम भाई-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों और कला को प्रोत्साहन देने वाली किन-किन योजनाओं को विगत पांच वर्षों से वित्तीय सहायता बन्द कर दी गयी है ? क्या सरकार बन्द योजनाओं को पुनः चालू करने पर विचार कर रही है , यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों और कला को प्रोत्साहन देने वाली वित्तीय सहायता की कोई योजना विगत पांच वर्षों से बन्द नहीं की गई है, वरन् वर्ष 1999-2000 से बजट प्राविधान न हो पाने के कारण निम्नलिखित योजनायें संचालित नहीं हो रही हैं :-

(1) उ0 प्र0 सांस्कृतिक संस्था और संगठनों को अनुदान संबंधी योजना।

(2) सांस्कृतिक संस्थाओं/संगठनों को प्रेक्षागृह निर्माण/साज सज्जा हेतु अनुदान संबंधी योजना।

(3) उत्तर प्रदेश के अशासकीय संग्रहालयों को अनावर्तक अनुदान सम्बन्धी योजना।

(4) विशिष्ट निष्पादन कला परियोजनाओं के लिये स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं/दलों को वित्तीय सहायता की योजना।

(5) प्रदर्शन, रूपंकर एवं साहित्यिक कलाओं की विशिष्ट पत्रिकाओं को प्रोत्साहन की योजना।

(6) उ0 प्र0 सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की योजना।

(7) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में नवोदित प्रतिभाओं को छात्रवृत्ति देने की योजना।

(8) निष्पादन/रूपंकर (प्लास्टिक) कलाओं के क्षेत्र में शोध हेतु अध्ययनवृत्ति योजना।

(9) उ0प्र0 के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को वित्तीय सहायता की योजना।

जी नहीं।

उक्त इंगित योजनाओं का संचालन फिलहाल प्रदेश के उपलब्ध सीमित संसाधनों के दृष्टिगत धनराशि की व्यवस्था न हो पाने के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। भविष्य में प्रदेश के

संसाधनों में यदि वृद्धि होती है तो उक्त योजनाओं को पुनः संचालित करने पर विचार किया जा सकता है।

128-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाय गय]

ग्राम सभा लोहटीजई, परगना रामनगर, जिला बाराबंकी में सम्पर्क मार्ग कब्रिस्तान एवं ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि खलिहान, चकमार्ग एवं सम्पर्क मार्ग आदि की भूमि की मिट्टी ग्राम के दबंग लोगों द्वारा खुदवाये जाने की जांच

129-श्री राम स्वरूप सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व राज्य मंत्री का पत्रांक 258 दिनांक 11-12-02 तथा प्रमुख सचिव राजस्व का पत्र दि0 22-2-03 एवं मुख्य मंत्री कार्यालय आदेश सं0-355/पी0आर0ओ0/सी0एम0 आवास दिनांक 8-4-03 जो ग्राम सभा लोहटीजई परगना रामनगर जिला-बाराबंकी में सम्पर्क मार्ग कब्रिस्तान एवं ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि खलिहान, चकमार्ग एवं सम्पर्क मार्ग आदि की भूमि की मिट्टी ग्राम के दबंग लोगों द्वारा खुदवाये जाने की जांच के सम्बन्ध में थे, जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जांच करायी गयी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ शिकायतकर्ता की उपस्थिति में जांच में ग्राम समाज का चकमार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाया गया जिसकी पटाई का कार्य कराया जा रहा है। चकमार्ग की पैमाइश कराकर निशान लगवा दिया गया है। कब्रिस्तान एवं खलिहान में मिट्टी की खुदाई का कार्य नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम जलालपुर से सौहराम गढ़ी तक व ग्राम खेड़ा गनेशपुर से ग्राम हलपुर तक के क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

130-श्री अजीम भाई-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-फिरोजाबाद के ग्राम जलालपुर से सौहराम गढ़ी तक व ग्राम खेड़ा गनेशपुर से ग्राम हलपुर तक का मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

जी नहीं। आंशिक रूप से मार्ग क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा सर्वांगीण विकास हेतु गांवों का चयन तथा किये गये विकास कार्य

131-श्री अजीम भाई-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा सर्वांगीण विकास हेतु गांवों को गोद लेने की योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के कुल कितने ग्राम वित्तीय वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 तक गोद लिये गये हैं तथा उन ग्रामों में अब तक क्या-क्या विकास कार्य कराये गये हैं ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2001-2002 में दो ग्राम क्रमशः हिमाउपुर एवं कार्तिकी का चयन किया गया था। वर्ष 2002-2003 में कोई गांव चयनित नहीं था। उक्त चयनित ग्रामों में खड़न्जा एवं नाली का निर्माण कार्य कराया गया है।

132-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

133-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

134-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

135-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

136-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

श्री एस0 एन0 पी0 यादव, उप निदेशक (नि0) मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा की गयी अनियमितता की रिकवरी किये जाने के आदेश

137-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 एन0 पी0 यादव, उप निदेशक (नि0) मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा 21 लाख रुपये की अनियमितता की रिकवरी किये जाने तथा तत्काल हटाने विषयक आदेश मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि को दिनांक 6-3-2003 को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

श्री यादव के विरुद्ध की गयी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित आदेश दिनांक 6-3-2003 द्वारा सचिव, कृषि को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए थे।

निदेशक, मण्डी परिषद् के आदेश दिनांक 11-6-2003 द्वारा श्री यादव को दण्डित कर दिया गया है और उन्हें मण्डी परिषद् शाहजहांपुर से स्थानान्तरित भी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

138-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

कृषि निदेशालय में लिपिकीय कर्मचारियों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

139-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के मुख्यालय स्तर के कितने ऐसे लिपिकीय कर्मचारी हैं जो एक ही अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को अन्यत्र अनुभागों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

कृषि निदेशालय के विभिन्न अनुभागों में मुख्यालय स्तर के लिपिक वर्गीय 77 कार्मिक एक ही अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में लखनऊ स्थित मुख्यालयों के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके फलस्वरूप एक ही अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण की बाध्यता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान प्रभावी स्थानान्तरण नीति में, प्राविधान न होने के कारण।

जनपद सहारनपुर, पाँवधोई नदी पर जोगियान पुल के निर्माण की मांग

140-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में पांवधोई नदी पर जोगियान पुल का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कुसुम राय-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

141-श्री शाकिर अली-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

142-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

143-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

144-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

155-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर की सुरक्षित भूमि को अनियमित रूप से अपात्र को आवंटित कर दिये जाने के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

146-श्री आनन्द सेन-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-03 जो ग्राम सभा चिरौली तहसील-मिल्कीपुर जनपद-फैजाबाद की सुरक्षित भूमि को अनियमित रूप से अपात्र को आवंटित कर दिये जाने के विरुद्ध था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, दिनांक 21-4-03 का पत्र अनियमित रूप से अपात्र को भूमि आवंटन किये जाने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ग्राम सभा चिरौली की सुरक्षित भूमि को गांव में मंगली प्रसाद उर्फ माता प्रसाद के द्वारा अपने नाम दर्ज कराकर लाखों रुपये की राज्य सम्पत्ति के नुकसान से सम्बन्धित है।

दिनांक 21-4-03 के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई गई। जांच में गाटा संख्या-370,371,880,820,838,842,378 व 425 मि0 को लेखपालों द्वारा फर्जी तरीके से मंगली पुत्र औरी आदि के नाम खतौनी में दर्ज कर दिया गया। मंगली की मृत्यु हो चुकी है, तथा अब यह गाटा सं0 गया प्रसाद, इन्देसेन व गोकरननाथ पुत्रगण मंगली प्रसाद के नाम दर्ज है। फर्जी तौर से दर्ज इन गाटा नम्बरों में गया प्रसाद आदि का नाम खारिज करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। गया प्रसाद आदि द्वारा योजित रिट याचिका सं0-2782/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार उनके दावे को जिलाधिकारी के समक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना है। इसी निर्णय के अनुपालन में फर्जी प्रविष्टियों को खारिज करने के पूर्व गया प्रसाद आदि को उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर के स्तर से नोटिस जारी की गयी है। फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने वाले लेखपाल श्री सुखराम, श्री नरायन व श्री जनादेव तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो की मृत्यु हो चुकी है अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

ग्राम पंचायत सिधौना, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद की ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि को अपात्र व्यक्तियों को अनियमित ढंग से आवंटित किये जाने के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

147-श्री आनन्द सेन-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-4-03 जो ग्राम पंचायत सिधौना, तहसील मिल्कीपुर, जनपद-फैजाबाद की ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि को पात्र व्यक्तियों को तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा आवंटित न करके अपात्र व्यक्तियों को अनियमित ढंग से आवंटित किये जाने के विरुद्ध था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम सिधौना के कृषि आवंटन से सम्बन्धित आवंटियों के पात्रता की जांच की गयी। जांच में ग्राम सिधौना में दिनांक 14-6-97 को 3, दिनांक 30-7-97 को 4 एवं दिनांक 21-9-98 को 8 आवंटियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन स्वीकृत किया गया। इस तरह ग्राम सिधौना में कुल 15 कृषि आवंटियों में से 8 आवंटी अनुसूचित जाति, 6 पिछड़ी जाति तथा 1 सामान्य जाति का है। जांचोपरान्त 2 आवंटी श्री रामसमुझ पुत्र झूरहू एवं श्री रमेश पुत्र राम मूल अपात्र पाये गये। उक्त दोनों आवंटियों के कृषि योग्य भूमि के आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा पलिया गोवा, जनपद फैजाबाद की ग्राम सभा की परती भूमि को दबंग व्यक्तियों को अनियमित रूप से आवंटित कर दिये जाने के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

148-श्री आनन्द सेन-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-7-02 जो ग्राम सभा पलिया गोवा, तहसील सोहावल, जनपद-फैजाबाद की ग्राम सभा की परती भूमि को चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति के रिकार्ड में दर्ज न करके दबंग व्यक्तियों को अनियमित रूप से आवंटित कर दिये जाने के विरुद्ध था, उन्हें प्राप्त दुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रकरण की उप संचालक चकबंदी, फैजाबाद द्वारा जांच कराई गई। जांच के उपरान्त यह विदित हुआ कि प्रश्नगत प्रकरण में, पूर्व में, न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सन्दर्भ संख्या-1285 अन्तर्गत धारा-48(3) जोत चकबन्दी अधिनियम में दिनांक 20-12-86 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 20-12-86 के विरुद्ध गांव सभा एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बाजदायरा प्रार्थना-पत्र स्वीकार करके आदेश दिनांक 20-12-86 निरस्त करते हुए प्रश्नगत संदर्भ को मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

149-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

150-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद फिरोजाबाद में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम का विवरण

151-श्री अजीम भाई-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान समय में ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन विकास खण्डों में तथा कब से ? उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गयी है ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जी हां ।

जनपद फिरोजाबाद में संचालित ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों की अवधि का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :--

विकास खण्ड का नाम	उपचारित क्षेत्रफल (हे0)
नारखी, अरांव, जसराना एवं एका	899.570
एका, जसराना, खैरगढ़ एवं अरांव	1836.788
खैरगढ़, एका, अरांव एवं जसराना	1018.490
टूण्डला, जसराना, एका, अरांव, खैरगढ़ एवं मदनपुर	810.600
एका, टूण्डला, जसराना, अरांव, खैरगढ़ एवं शिकोहाबाद	983.500
जसराना, एका, अरांव एवं खैरगढ़	669.900
फिरोजाबाद	53.316

कृषि विभाग द्वारा संचालित उक्त ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों द्वारा कुल 5472.156 हे0 ऊसर भूमि का उपचार किया गया है।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के ग्राम पंचायत ककराली के ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों को ग्राम समाज की भूमि के पट्टे करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

152-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ककराली में वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र एवं अपने निकट सम्बन्धियों को ग्राम समाज की भूमि के पट्टे किये जाने के प्रस्ताव दिये जाने के सम्बन्ध में वहां के निवासियों द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2003 को शिकायती फैक्स मा0 मुख्य मंत्री को भेजा, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

153-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या से सम्बन्धित नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 विनोद तिवारी तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें। विपक्ष के सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। अभी औपचारिक कार्य हो जाने दीजिये। मैंने आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। आप मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लीजिए। थोड़े से औपचारिक कार्य हैं इन्हें हो जाने दीजिए। आपकी सूचना नियम-56 में चयनित हो गयी है। अगर आवश्यकता होगी तो चर्चा भी करा लेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आपके निर्देश का पालन होगा पहले औपचारिक कार्य हो जाने दीजिए।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना डा0 रामबाबू हरित की है, वह अनुपस्थित हैं। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की पढ़ी मान ली जाये, तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की पढ़ी मानी जाती है, चौथी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की पढ़ी मानी जाती है, पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की पढ़ी मानी जाती है, छठी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की पढ़ी मानी जाती है, सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की पढ़ी मानी जाती है। श्री रामबाबू हरित अनुपस्थित हैं अतः उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर श्री जगदीश नारायण राय की सूचना स्वीकार की जाती है।

डा0 विनोद तिवारी की सूचना अस्वीकार की गयी।

(स्वीकृत सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है।)

शाहजहांपुर में प्रस्तावित रोजा थर्मल पावर प्लांट में शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर में पिछले 11 सालों से थर्मल पावर प्लान्ट लगना प्रस्तावित है। परन्तु किन्हीं कारणों से अब तक टलता रहा। प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति मांग के मुकाबले लगभग 1400 मेगावाट कम है यदि 567 मेगावाट का रोजा थर्मल पावर स्टेशन लग जाय तो निश्चित ही यह प्रदेश की विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान होगा। पिछले वर्ष इसी विधान सभा के सत्र में ऊर्जा मंत्री के द्वारा वर्ष 2003 में कार्य प्रारम्भ होने का आश्वासन दिया था परन्तु वर्ष 2003 के 11 महीने बीत चुके हैं कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए रोजा थर्मल पावर प्लान्ट शाहजहांपुर में शीघ्र कार्य पारम्भ किये जाने की मांग करता हूं।]

मेरठ महानगर मे नालों की सफाई एवं जल भराव आदि समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर के नालों की वास्तविक सफाई न होकर जनता को जल भराव, मच्छरों, बदबू से मुक्ति के साथ-साथ सड़कों को टूटने से बचाने के सारे प्रयास नगर निगम के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण निरर्थक तथा परिणाम विहीन हो गये हैं। प्रत्येक वर्ष 60-70 लाख खर्च होता है, परिणाम वही ढाक के तीन पात अथवा नौ दिन चले अढ़ाई कोस होता है। काली नदी से चिन्दोड़ी ग्राम होते हुए शास्त्रीनगर तक आते ही प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण के कारण आगे काम अवरुद्ध है। अतः ओडियन नाला की स्थिति ज्यों की त्यों, अर्थात् ईदगाह व घंटाघर से लेकर नाले के दोनों ओर से मोहल्ले किशनपुरी, बागपतोर कबाड़ी बाजार, ब्रह्मपुरी, इन्द्रानगर, मास्टर कालोनी, भगवतपुर, लक्ष्मणपुरी, गौतमनगर गनेशपुरी, सद्दीकनगर, पखाइलाही, बख्श हरिनगर, पिलोखड़ोराडे, श्यामनगर, शास्त्रीनगर की लाखों जनता जल निकासी की समस्या का कष्ट भोग रही है।

इसी प्रकार सुभाषनगर, लक्ष्मीनगर, हनुमानपुरी, न्यू आर्य नगर, नेहरू नगर, मोहनपुरी की जनता भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। हनुमानपुरी मुख्य सड़क की पुलिया, नेहरू नगर गली नं0-1 की पुलिया डाट की न नीची होने के कारण जलभराव व जनता के कष्ट का कारण बन रहा है।

निम्नांकित कार्य तत्काल किये जाने चाहिए।

1-नालों की मशीनों से सफाई में बाधक नाला पटरी पर किये अनाधिकृत निर्माण/कब्जों से तुरन्त मुक्त कराया जाना चाहिए।

2-हनुमानपुरी मेन रोड/नेहरूनगर गली नं0 1 की पुलिया को तत्काल तोड़कर लिन्टर बनाया जाना चाहिए।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3-ओडियन नाला की शेष सफाई कार्य सुभाषनगर मोहनपुरी नाला, लक्ष्मीनगर हनुमान पट्टी, आर्य नगर नाला, रोडवेज पापरनगर नाला, फिल्मस्तान नाले की सफाई युद्ध स्तर पर तलीझाड़ कराया जाना जन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट नैनी में व्याप्त अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[मान्यवर, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) नैनी में एक साथ दो वित्त नियंत्रक काम कर रहे हैं। वित्त नियंत्रक स्टीफेन दास अधिकृत रूप से तथा दूसरे वित्त नियंत्रक रंजन जान बिना किसी अधिकारिक अनुमति के ही मात्र कुलपति की इच्छा से कार्य कर रहे हैं। लेन-देन का सारा काम रंजन जान ही कर रहे है, जबकि स्टीफेन दास नाम मात्र के ही वित्त नियंत्रक हैं। अमेरिका की प्रेस ब्रिटेरियन चर्च ने इंस्टीट्यूट को हाल में ही पांच लाख डालर दिये जो कि संस्थान के खाते में भारतीय विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के तहत् हस्तान्तरित हुए। इसके बावजूद कर्मचारियों और विशेषकर शिक्षकों को पिछले छः महीने से वेतन नहीं मिला है। छात्रों में भी संस्थान की कार्य पद्धति तथा मनमाने ढंग से शुल्क लेने के कारण असंतोष व्याप्त है। विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च स्तरीय जांच की अपेक्षा है। अतः लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों के मानक के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा धन उपलब्ध कराते हुए ऊसर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0 आई0 डी0 एफ0 ! एवं 4 के अधीन कुल 15 मार्ग निर्मित किये गये थे, जो मार्च, 1999 से अक्टूबर, 2001 के मध्य र्ग किये गये हैं। जो उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में लगा था। वर्ष 999 के मई माह से ही मेरे द्वारा समय-समय पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण, प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम तथा स्थानीय इकाई को भी अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा सचिव, लोक निर्माण के शासनादेश जून, 2001 का अब विवरण दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड ने मार्गों को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में मैंने कई दर्जन शिकायती-पत्र लिखे हैं। निर्माण एजेन्सी द्वारा यदि खराब गुणवत्ता का कार्य किया गया है तो उसे मानकों के अनुरूप जनहित में ठीक कराना होगा और लोक निर्माण विभाग द्वारा यदि अनुरक्षण हेतु निर्मित मार्ग को ग्रहण नहीं किया गया है तो उनके

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खिलाफ भी दायित्व निर्धारित करना उचित होगा। इन 15 मार्गों का विधान सभा क्षेत्र के लगभग 75 ग्राम के लाखों लोगों का ,आवागमन प्रभावित है, असुविधा हो रही है और लगभग 3 करोड़ रुपये राजकीय धन के दुरुपयोग का मामला भी प्रकाश में है।

अतः सरकार से उपरोक्तानुसार समयबद्ध जनहित को देखते हुए तथा राजकीय धन के दुरुपयोग की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए लाखों लोगों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के कतिपय ब्लाकों के ट्यूबवेलों का नियंत्रण अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव से न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[मान्यवर, हरदोई जनपद के ब्लाक हरपालपुर, सांडी, बिलग्राम, माधौगंज, मधौवा के सैकड़ों ट्यूबवेलों का रख रखाव नियंत्रण तथा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ता आदि सभी का संचालन हरदोई जनपद के अधिशासी अभियन्ता के बजाय उन्नाव जिले के अधिशासी अभियन्ता जो कि उन्नाव जिले के मुख्यालय उन्नाव में ही बैठता है द्वारा होता है। जो किसानों व कर्मचारियों दोनों के लिए अत्यन्त ही असुविधाजनक है क्योंकि उपरोक्त सभी ब्लाक उन्नाव शहर से 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की दूरी में पड़ते हैं। जिसके कारण किसान व कर्मचारी सभी में आक्रोश व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त पांचों ब्लाकों के ट्यूबवेलों का नियंत्रण पूर्णतया हरदोई जिले के अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण में लाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय तथा डेन्टल विश्वविद्यालय में शिक्षारत छात्रों की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न तथ्यों को लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ में मेरी विधान सभा में स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी कर दिया साथ ही साथ इस मेडिकल यूनीवर्सिटी जो पूर्व में किंग जार्ज कालेज के नाम से विश्वविख्यात था से सम्बद्ध दंत संकाय को किंग जार्ज डेन्टल सूनीवर्सिटी बनाने की भी घोषणा कर दी। मा0 मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा से चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा डेन्टल कालेज में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में पड़ गया है। वास्तविकता यह है कि किसी भी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये मेडिकल एवं डेन्टल फैकल्टीज का होना अनिवार्य है क्योंकि बी0 डी0 एस0 के छात्रों को भी एनाटिमी, फिजियोलोजी, सर्जरी बायोकेमेस्ट्री फर्माकालोजी तथा मेडिसिन विषयों का अध्ययन करना पड़ता हैं अभी तक डेन्टल कालेज, साइंस विषय का भी अध्ययन करना पड़ता है। अभी तक, डेन्टल कालेज, चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक संकाय के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रूप में कार्य कर रहा था इस कारण बी0 डी0 एस0 तथा एम0 बी0 बी0 एस0 के छात्रों के सामने कोई संकट नहीं था क्योंकि उसे एम0 सी0 आई, डी0 सी0 आई0 तथा यू0 जी0 सी0 से मान्यता प्राप्त थी। चिकित्सा विश्वविद्यालय से जुड़े डेन्टल फैकल्टीज को विश्वविद्यालय घोषित कर देने से डेन्टल कालेज में सभी अन्य आवश्यक विषयों की शिक्षा देने हेतु फैकल्टीज खोलनी पड़ेगी और डी0 सी0 आई0 के मानक के अनुसार इसके लिये कम से कम 5 एकड़ भूमि निर्माण सहित 100 शय्याओं वाले अस्पताल की सम्बद्धता होनी वाहिए जो वर्तमान डेन्टल कालेज परिसर में सम्भव नहीं है। भूमि की उपलब्धता तथा भवन एवं चिकित्सालय निर्माण हेतु जो धन आवश्यक है उसका भार उठाना भी वर्तमान सरकार के लिये असम्भव है। किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय एवं किंग जार्ज डेन्टल यूनिवर्सिटी की घोषणा करके वर्तमान सरकार ने बी0 डी0 एस0 एवं एम0 बी0 बी0 एस0 के शिक्षारत छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, सरकार इस विषमता को दूर कैसे करेगी और मेडिकल छात्रों का भविष्य नहीं बिगड़ेगा, इस सम्बन्ध में समस्या की गम्भीरता को देखते हुए मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और सरकार से इस विषय पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर की जिला पंचायत जलालपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर पुल सहित जिला पंचायत जौनपुर को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के विधान सभा बयालसी के अन्तर्गत सई नदी पर पुराना शाही ऐतिहासिक पुल जलालपुर बाजार के पास स्थित है। बाईपास बन जाने के कारण उक्त पुल की देखभाल नहीं हो रही है। इस पर आवागमन में कठिनाई है। उसकी मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए शासन से दशम् वित्त आयोग का पैसा रुपये 12 लाख जिला परिषद् को प्राप्त करा दिया गया है। परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति न मिलने से कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए जलालपुर पुल पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिला पंचायत जौनपुर को जारी करे तथा पुराने मार्ग को पुल सहित जिला पंचायत जौनपुर को हस्तान्तरित करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के वार्षिक बजट पर सामान्य चर्चा हेतु मात्र दो दिन तथा अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु तीन दिन निर्धारित किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 दिसम्बर को नियम 300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियमावली में व्यवस्था है और सदन की परम्परा है कि वास्तविक बजट पर सामान्य चर्चा के लिये न्यूनतम 5 दिन और अनुदान मांगों पर 24 से अनधिक की चर्चा कराई जाये 27 तारीख को जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है उसमें मात्र 4, 5 दिसम्बर को सामान्य चर्चा और 8, 9,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

10 दिसम्बर को अनुदान मांगों पर मात्र 3 दिन की चर्चा होगी। मैंने अपनी सूचना के साथ सन् 85-86 से लेकर 2003 तक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहली बार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

सन् 91-92 में दो दिन हुई थी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अच्छी परम्पराओं का पालन करना चाहिए। अगर कोई गलत परम्परा बनी हो तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। मान्यवर, सन् 86-87 में 4 दिन साधारण चर्चा हुई और 20 दिन अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। सन् 88-89 में 3 दिन सामान्य चर्चा और 15 दिन अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, इसी प्रकार सन् 91-92 में 2 दिन और 9 दिन, मान्यवर, इसी तरीके से सन् 92-93 में 5 दिन और 16 दिन, 96-97 में 5 दिन और 12 दिन, सन् 97-98 में 4 दिन और 9 दिन, 2001-02 में 5 दिन और 16 दिन, 2002-2003 में 5 दिन और 15 दिन और इस बार मात्र 2 दिन और 3 दिन ।

मान्यवर, मैं माननीय वर्तमान मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा सन् 89-90 और 90-91 में पांच दिन, सत्रह दिन और पांच दिन, सोलह दिन चर्चा हुई। आपके कार्यकाल में पांच दिन और सोलह दिन चर्चा हुई तो यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण बजट पर जबकि यह प्रदेश की जनता के विकास से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है ? इतने कम समय में यह कैसे हो सकता है। पहले चुनाव का समय था तो स्थगित कर दिया। आज कौन सी ऐसी विपदा आ गयी, कौन सी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं, जो आप दो दिन और तीन दिन में निपटा रहे हैं ? इस पर मैं आपकी कृपापूर्वक दृष्टि चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब नेता विरोधी दल थे और जब वह इधर बैठते थे तो इस बात की दुहाई देते थे कि सदन 90 दिन चलना चाहिए। आज जो सबसे जरूरी काम है बजट पास करना, उसके लिये केवल दो दिन और तीन दिन का समय निर्धारित किया है। इसके लिए जैसा कि बाजपेई जी ने कहा है कि पांच दिन और चौबीस दिन निर्धारित होना चाहिए। आपने केवल दो दिन और तीन दिन निर्धारित किया है। जब बजट पर चर्चा होती है तो विधायकगण जो क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं उन समस्याओं का पचास प्रतिशत निदान हो जाता है। यह जनहित का सबसे बड़ा प्रश्न है वरना फिर विधान सभा का औचित्य क्या रह जायेगा। मान्यवर, एक उदाहरण दूंगा कि 12 मार्च, 1990 को 41 विभागों की मांगें मात्र 12 मिनट पर पास कर दी गयी थी और सदन को स्थगित कर दिया था। मेरा आपसे आग्रह है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कटौती न की जाय।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह बहस का मौका नहीं है कि पहले सरकार और इस सरकार में क्या अन्तर है। लेकिन यह भी याद होगा, बाजपेई जी ने कहा कि इतने दिन बजट सत्र चला है और किस तरह से पास हुआ है 'हो गया-हो गया' करके। जो हमारा कहना था कि 90 दिन से कम नहीं चलना चाहिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो हम अभी भी कायम हैं और इस लोकप्रिय सरकार के आने के पहले दिन से आपने देखा है सत्र चलाने में किसी तरह की कोई कटौती या कंजूसी नहीं की जायेगी अब भी हम यही चाहते हैं और इस मंशा को सामने रखते हुए जबकि चुनाव का तर्क सामने था लेकिन उस तर्क को नहीं माना। ऐसा माहौल बन रहा था कि उसी वक्त बजट पास कर दिया जाय और चुनाव में चला जाय लेकिन सरकार का यह मानना था कि चुनाव में भी चला जाय ओर सत्र जयादा से ज्यादा चले। आपको मालूम है कि केवल तीन महीने का बजट है और तीन महीने के लिये जितनी बैठकें हो रही हैं उससे बाजपेई जी वाकिफ हैं। अगले सत्र में जितना ज्यादा आप चाहेंगे, जब तक आप ऊब नहीं जायेंगे और यह नहीं कहेंगे कि अब बहुत ज्यादा हो गया है तब तक हम उसे चलायेंगे और आपकी मंशा के अनुरूप चलेगा। लोकतांत्रिक मान्यताओं को सदन में बहाल रखा जायेगा। कुल 11 दिन बजट चला है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसकी मिसाल देंगे। आपने खुद विपक्ष को संरक्षण दिया था और कहा था कि सदन को चलना चाहिए और सदन चल रहा है और इससे बाजपेई जी भी सहमत होंगे। यह नियम-300 में नहीं आता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 300 में तो यह सूचना आती है, बाकी जो आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने जो कहा है उससे माननीय बाजपेयी जी सहमत होंगे, सदन अभी चल रहा है और आगे भी कई दिन चलेगा मैं समझता हूं कि इतना समय पर्याप्त होगा। अगले सत्र में आपको यह शिकायत नहीं होगी जो शिकायत आज आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी ने और माननीय खन्ना जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विचार रखे हैं, और आज ही बैठक के बाद कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें हम इन सब तथ्यों पर विचार कर लेंगे, उसमें सब कुछ तय हो जायेगा।

प्रदेश के विकास सम्बन्धी नीतिगत निर्णय मंत्रि-परिषद् के स्थान पर उ0 प्र0 विकास परिषद् द्वारा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय और श्री सुखेदव राजभर की है, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः अग्राह्य की जाती है।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जो भी निर्णय लिये जाते हैं, वह मंत्रि-परिषद् लेती है या जो सदन में माननीय मंत्री जी घोषणा कर देते हैं उस पर निर्णय लिया जाता है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 163 में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। मान्यवर, मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का जो गठन हुआ, उसका संवैधानिक औचित्य क्या है ? आज जब सत्र आहूत है, तो सदन के अन्दर इसकी

घोषणा की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके कल तक यह निर्णय लिये जा रहे हैं कि निजी क्षेत्र में विद्युत वितरण की व्यवस्था पूरे प्रदेश में संचालित की जायेगी। आज यह निर्णय विधान मण्डल के समक्ष आना चाहिए और उसका यहां अनुमोदन होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी सुनने में आ रहा है कि जो राज्य पर्यटन निगम के होटल है या मोटल है उनका भी निजी क्षेत्र में विक्रय करने का निर्णय लिया गया है, इस तरह की खबरें आयी हैं, अगर सत्र आहूत है तो उ0 प्र0 विकास परिषद् द्वारा निर्णय लेने का क्या औचित्य है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जो निर्णय उ0 प्र0 विकास परिषद् द्वारा लिये जा रहे हैं उसको सरकार मानने के लिये बाध्य है ? मान्यवर, इस सूचना का संवैधानिक औचित्य है। आज यह स्थिति स्पष्ट हो जाय कि जब यह सदन आहूत है तो इसमें यह निर्णय होना चाहिए था, वह न होकर के ऐसा किया गया है। मेरा यह कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा चाहे विद्युत वितरण की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी पर्यटन विभाग के होटल या मोटल विक्रय करने का निर्णय हो, या अन्य कोई भी निर्णय हो, क्या सरकार इसको मानने के लिये मजबूर है ?

श्री अध्यक्ष-

जब बजट पर सामान्य चर्चा होने लगे तो उस समय आप इन सब बातों को कहियेगा।

श्री सुखेदव राजभर-

मान्यवर, यह प्रदेश की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान में है कि एक मंत्रि-परिषद् गठित होगा और संविधान के अन्तर्गत निर्णय लिये जायेंगे। यह एक औचित्य का प्रश्न है। इस तरह के निर्णय ले करके संविधान के नियमों की अवहेलना की जा रही है।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, माननीय राजभर जी ने जो विषय उठाया है कदाचित वह जानते भी हैं कि यह विषय तर्क संगत नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिये ही यह प्रश्न उठाया है, यह जो विकास परिषद् बना है, यह विकास परिषद् ऋण देने के लिये बनी है। मान्यवर, यह कोई संविधानिक बॉडी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सूचना नियम-300 में आती है कि नहीं। अगर परामर्शदात्री समिति है तो जिसको विचार करना है वह विचार करें अभी यह मामला सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम किया गया है। मान्यवर, आप देख लें पिछले 15 साल में एक पैसे का भी हमारे प्रदेश में निवेश नहीं हुआ है। जहां तक बिजली की दरों की बात है, उसके लिये रेगुलेटरी बाडी बनी हुई है जो तय करती है दरों को और वह स्वतंत्र बाडी है जब कि राजभर जी, कह रहे हैं कि सदन में वह तय होता है, अब आप इस बात को पहले समझ लें कि परामर्श देना कौन सी गलत बात है। कोई भी निर्णय मंत्रि-परिषद् की राय के बगैर नहीं होता है जो राय उस परिषद् की आती है वह मत्रि-परिषद् में जाती है और मंत्रि-परिषद् उस पर अपना

अन्तिम निर्णय लेती है। तो मान्यवर, कौन सी संवैधानिक बात आपने उठा दी। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार यह प्रयास किया है उत्तर प्रदेश के लिये कि वहां पर उद्योग लगें, बिजलीघरों का निर्माण हो। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, पूरे पिछले 15 साल में एक भी नया बिजलीघर प्रदेश में नहीं लगाया गया है। अगले महीने माननीय मुख्य मंत्री जी आनपारा-सी0 की 1000 मेगावाट इकाई का शिलान्यास करेंगे। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह खुशी की बात है।

अब यह संविधान की आड़ लेकर पूरे प्रदेश को गुमराह करने का काम आप न करें।

श्री सुखदेव राजभर-

अभी माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा कि मंत्रि-परिषद् का निर्णय होता है। लेकिन यहां तो मंत्रि-परिषद् की राय के बगैर ही उनकी नीति बाहर उजागर हो गयी है। पूरे प्रदेश में खबर चली गयी है जिसको आप एडमिट करते हैं कि मंत्रि-परिषद् में निर्णय होना चाहिए। अब यह नीति कैसे बाहर चली गई।

श्री अध्यक्ष-

वह मात्र परामर्शदात्री है उनका परामर्श मात्र परामर्श है माननीय परिवहन मंत्री का कहना है कि जब तक मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति उसको नहीं मिलती है तब तक वह नीति नहीं बनती है।

माननीय सदस्य तथा माननीय परिवहन मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं क्योंकि यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह जो भारत का संविधान है इसमें अनुच्छेद 163 देखने का कष्ट करें, इसमें दिया हुआ है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिये मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा। इसी तरीके से आप अनुच्छेद 167 देखें इसमें दिया है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के कर्तव्य।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी पीठ से निर्णय होने के बाद इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् का जो निर्णय होता है उसकी सूचना समय-समय पर राज्यपाल महोदय को दी जाती है यहां एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। आप देखें अभी दो तारीख को बिजली विभाग के 12 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल पर चले गये। मान्यवर, यह नीतिगत मामला है जो उत्तर प्रदेश विकास परिषद् है उसकी गम्भीरता इसलिए बनती है और यह औचित्य का प्रश्न इसलिये है कि आज उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा मनमाने तरीके से फैसले लिये जा रहे हैं उसकी जानकारी सदन में होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में नहीं आती है। मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था दे दी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह 12 लाख कर्मचारियों से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने व्यवस्था दे दी है यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिए निरस्त हुई।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1084/ग्यारह-9(15)99-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 आदेश (8) 2003, दिनांक 25 फरवरी, 2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1084/ग्यारह-9(15)99-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 आदेश (8) 2003, दिनांक 25 फरवरी, 2003 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948 की धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1086/ग्यारह-9(15)99-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 आदेश (10) 2003, दिनांक 25 फरवरी, 2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1086/ग्यारह-9(15)99-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 आदेश (10) 2003, दिनांक 25 फरवरी, 2003 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1324/ग्यारह-9(35)2003-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 नियम 1948-2003(13) दिनांक 7 मार्च, 2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1324/ग्यारह-9(35)2003-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 नियम 1948-2003(13) दिनांक 7 मार्च, 2003 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23क (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2234/ग्यारह-9(152)96-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 नियम 1948-2003(18) दिनांक 30 अप्रैल, 2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2234/ग्यारह-9(152)96-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 नियम 1948-2003(18) दिनांक 30 अप्रैल, 2003 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23क (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2490, ग्यारह-9(81)91-उत्तर प्रदेश अधि0-12-2000 आदेश (20)2003 दिनांक 9 मई, 2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2490/ग्यारह-9(81)91-उत्तर प्रदेश अधि -12-2000 आदेश (20)2003 दिनांक 9 मई, 2003 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनि म, 2000 की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2493/ग्यारह-9(16)99-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 आदेश (23)2003 दिनांक 9 मई, 2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2493/ग्यारह-9(16)99-उत्तर प्रदेश अधि0-15-48 आदेश (23)2003 दिनांक 9 मई, 2003 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट 1948 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1999-2000 का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण ††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से कृषि अनुभाग-5 यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1999-2000 के तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619ए की उपधारा-3 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2000 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-484/30-4-2002/47-95, दिनांक 19 अगस्त, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2002 उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 74 के उपबन्धों के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-- †छापी नहीं गयीं।
†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) नियमावली, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या-सी0पी0 829/29-खा-8-2003 सी0 पी0 35-2001 टी0सी0 दिनांक 29 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) नियमावली, 2003 को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1986 की संगत धारा 31 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000 ††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000 को उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा-4 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 2003 में नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2003 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मद संख्या-14, 15, 16 व 17

श्री अध्यक्ष-

14, 15, 16 व 17 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 02 सितम्बर, 2002 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को वापस लेने की अनुमति दी जाय"।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 02 सितम्बर, 2002 को पुरः स्थापित उत्तर प्रदेश एमिटी सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :-- † छापी नहीं गयीं।

†† छापा नहीं गयां

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 28 फरवरी, 2003 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 28 फरवरी, 2003 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापति करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :-- † दिनांक 18-12-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 को नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2003 को नियम 311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री राम इकबाल सिंह, नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री लालजी टण्डन, श्री विनोद तिवारी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय. श्री राम अचल राजभर की है यह अलग-अलग क्षेत्र के किसानों का गन्ना मूल्य तय न किये जाने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की दो सूचनाएं हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इस पर श्री विनोद तिवारी जी बोलेंगे।

*डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपका ध्यान दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, पूरनपुर जनपद पीलीभीत तहसील एवं विधान सभा पूरनपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मिल को चलाने के लिये सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इस क्षेत्र में लगभग 40-50 किलोमीटर की परिधि में कोई भी चीनी मिल नहीं है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 80 लाख क्विंटल गन्ना मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जिन पांच चीनी मिलों को पुरस्कृत किया गया था उसमें पूरनपुर चीनी मिल का भी नाम था। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें 55 परसेंट

नोट :-- † दिनांक 19-12-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अरली व्रइटी का गन्ना मौजूद है। तमाम घटनाचक्रों के बाद सचिव, चीनी उद्योग के निर्देशानुसार दिनांक 25-11-2003 को जिलाधिकारी को पत्र पहुंचा और उसमें यह निर्देश दिये गये कि चीनी मिल चलायी जाय इसलिये 28 तारीख व चीनी मिल चलाने के लिये कार्ड वितरित कर दिये गये। मैं आपके माध्यम से इस सूचना को पटल पर रखता हूं कि जिलाधिकारी, पीलीभीत इसका शुभारम्भ करेंगे। सारे किसानों को निमंत्रण पत्र भी दे दिये गये और 28 तारीख को किसान अपना गन्ना चीनी मिल पर लाये और 28 तारीख को ही शाम को मुख्य सचिव श्री अखंड प्रताप सिंह द्वारा यह कह दिया गया कि चीनी मिल में तालाबन्दी कर दी जाय। मान्यवर, यह सारी साजिश किसानों को परेशान करने के लिये दी जाय। इस चीनी मिल को चलाने के लिये रिपेयरिंग में दो करोड़ रुपये खर्च किये गये।

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि यदि एक चीनी मिल की एक समिति के अन्दर अगर कोई को-आपरेटिव चीनी मिल चले और उसका गन्ना प्राइवेट मिल को दिया जाता है तो प्राइवेट चीनी मिल रु0 98, 99, 100% तक पेमेंट करता है और वही पेमेंट करेगा। जो यह निर्णय लिया गया है कि पूरनपुर चीनी मिल का सारा गन्ना दूसरी चीनी मिल को डाइवर्ट कर दिया जाय इससे किसानों का बहुत अधिक शोषण होगा इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह चीनी मिल चलनी चाहिये चाहे इसे सरकार चलाये सरकार नहीं चलाती और उसने हाथ खड़े कर लिये हैं तो अगर बजाज ग्रुप से चीनी मिल चलवानी हो तो उससे उस चीनी मिल को चलवायें क्योंकि वह सिक यूनिट नहीं है इसलिये वह चीनी मिल बन्द नहीं होनी चाहिये। इस मिल के न चलने से 700 कर्मचारियों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, 25 हजार किसान इस बात के लिये चिन्तित हैं कि किस तरीके से उसके गन्ने की बिक्री हो पायेगी और गन्ना कहां सप्लाई होगा ? जो किसान अपना गन्ना 28 तारीख को क्रय केन्द्रों पर लायें उससे मिल से वापस ले जाना पड़ा और उस गन्ने को औने पौने दामों पर छोटे-छोटे कोल्हुओं पर बेचना पड़ा। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मिल सरकार नहीं चला सकती तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस मिल के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने प्रस्ताव किया है कि प्रबन्ध समिति, पूरनपुर सहकारी चीनी मिल को चलायेगी। जो गवर्नमेन्ट की गारण्टी है वह सरकार को देना चाहिये। चीनी मिल को प्रबन्ध समिति चलायेगी और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आयेंगे। अगर सरकार इस मिल को नहीं चलाना चाहती है तो उसे बजाज ग्रुप से ही चलवायी जाये लेकिन हमारी यूनिट को बन्द न किया जाये।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने के लिये सारे नियमों को निलम्बित कर दें। मान्यवर, किसानों के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिये सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, 10 नवम्बर, 2003 को डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की एक सूचना आयी थी और वह निरस्त हो गई थी। उसी विषय पर आपकी सूचना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरी सूचना उस विषय पर नहीं है। मेरी सूचना अलग है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी निगम की मिलों का निजी हाथों में पट्टा दिये जाने की एक रणनीति तय की जा रही है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान असमन्जस में है। एक तरफ तो गन्ना किसानों के करोड़ों-करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं हुआ है, दूसरे उन गन्ना मिलों को सुचारु रूप से चलाने के बजाय निजी हाथ में सौंपने का निर्णय लिया जा रहा है। इससे एक ओर जहां गन्ना किसान भयभीत व आशंकित है कि उनका भविष्य क्या होगा, बकाये के भुगतान का क्या होगा, पेराई का क्या होगा तथा जो गन्ना मूल्य तय नहीं किया गया है उसका क्या होगा ? वहीं दूसरी ओर जो गन्ना मिलों के कर्मचारी कार्यरत हैं उनका भी भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश मे गन्ना किसानों के साथ-साथ चीनी मिल में काम करने वाले कर्मचारी भी आज असमंजस की स्थिति में है। नतीजा यह है कि पूरे प्रदेश में जनाक्रोश है तथा किसान व चीनी मिल में काम करने वाले लोग सरकार की नीति से भयाक्रांत हैं और लोगों में असंतोष है। यह एक चिन्तनीय रूप ले सकती है। धरने प्रदर्शन जारी हो गये हैं। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है इसलिये कोई निर्णय लेने से पहले गम्भीरता से विचार कर लें। माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार की मिलों को निजी हाथों में सौपने की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मान्यवर, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह सरकार विश्वास मत हासिल करने जा रही थी मान्यवर, मैंने आशंका जाहिर किया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाया गया है। इसके माध्यम से चीनी मिलें हैं, ऊर्जा है, पर्यटन है एक-एक करके निजी क्षेत्र के हवाले किया जा रहा है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों के सहारे सरकार बनी है। चीनी मिलों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया जा रहा है, बहुत ही दुर्दशा हैं इसलिए इस गम्भीर मामले एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कृपा पूर्वक आप नियमावली के नियम-58 देखने की कृपा करें। नियम-58(5) को देख लें जिसमें कहा गया है कि "प्रस्ताव द्वारा कोई ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।" मान्यवर, चुनाव के पूर्व विधान सभा सत्र चला था। मान्यवर, इस विषय पर इसी सत्र में चर्चा भी हो चुकी है और आज दुबारा चर्चा हो रही है। हम लोगों ने यह सोचकर सूचना नहीं दी कि इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह नया विषय बनता हो। नियम-58(5) के अनुसार यदि इसी सत्र में किसी नियम के अन्तर्गत चर्चा हो चुकी हो तो दुबारा चर्चा नहीं की जा सकती है। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमारे विषय और गौर साहब के विषय में अन्तर है इसलिए सुनने की कृपा करें। मा0 तिवारी जी आपको गन्ना किसानों के हित में बोलना चाहिए। इसमें हमारी भी नोटिस है इसलिए सुना जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम 58(5) की घोषणा की है पुनः इसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती इसलिए 58(5) पर इन्होंने कहा है लेकिन नियम 58(3) यह कहता है कि प्रस्ताव हाल में किसी निर्दिष्ट विषय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर हो तो प्रतिबन्ध नहीं होगा। दि0 28-11-2003 को निमंत्रण पत्र बट गया, पर्ची चली गयी, किसान गन्ना लेकर मिल के पास आ गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी की आपत्ति मा0 मौर्या जी की सूचना पर है।

मा0 गौर जी आप बोलें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कह रहा हूं कि पिछली बार यह बात उठी थी और इस पर चर्चा हो चुकी है। मान्यवर, 24 चीनी निगम की मिलों को निजी क्षेत्र में देने की बात चल रही है जिसमें इनको अनेकों प्रकार के कन्शेसन दिये जा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह जो बातें कह रहे हैं वही बात तो कह रहा हूं। इस विषय पर पिछली बार चर्चा हो चुकी है और मान्यवर, जिस विषय पर एक बार चर्चा हो जाती है फिर उसी बात पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको एक साथ सुनकर इस पर व्यवस्था दे दूंगा। ठीक है अब मैं इस पर व्यवस्था दे ही दूं। अभी 5 नवम्बर को नियम-56 में इस सूचना पर ग्राह्यता हेतु सुना गया था, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। नियम-58, नियम-59, नियम-60, नियम-61, नियम-62 में ग्राह्यता हेतु यह बात सुनी गयी थी, किसी नई बात पर चर्चा नहीं हुई थी और वह सूचना निरस्त कर दी गयी थी।

*श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, यह ऐसे ही बोल रहे हैं, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष-

वह चर्चा नहीं मानी जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई है, चर्चा कहां हुई है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पेराई सत्र आरम्भ हो चुका है। इसे आरम्भ हुए एक माह से अधिक का समय बीत चुका है। उत्तर प्रदेश में सत्ताइस चीनी मिलें हैं, 22 चीनी निगम की, 52 निजी क्षेत्रों की चीनी मिलें हैं और इन सभी चीनी मिलों में से अधिकांश की पेराई आरम्भ हो चुकी है। मान्यवर, किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 30-40 लाख गन्ना किसान हैं। चीनी निगम एवं सहकारी चीनी मिलों द्वारा गत वर्ष गन्ना मूल्य 95/- प्रति क्विंटल किया गया था निजी क्षेत्र की मिलों के 73.50 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 93.10 रुपये का भुगतान किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो इस पर अभी एक घण्टे की चर्चा करा दी जाय तो ठीक है।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मुझे चर्चा में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको सुनने के बाद मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूं अगर आप मेरे उत्तर को सुनने के बाद भी समझते हैं कि चर्चा जरूरी है तो करा लें। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यदि एक साथ सुन लिया जाता तो जो समय बचता उसी में यह चर्चा हो जाती।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुछ अधिक संख्या में ही गन्ना किसान हैं। इसमें निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों ने मनमाने ढंग से किसानों के गन्ने का भुगतान किया है। खलीलाबाद में 75/- रुपये प्रति कुन्तल की दर से गन्ने का भुगतान हुआ है। कप्तानगंज में 77.60 पैसे प्रति कुन्तल की दर से गन्ने का भुगतान किया गया है। इस प्रकार मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीनी मिलें हैं उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, किसानों को सही ढंग से गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, सरकार उस समय गन्ना मूल्य निर्धारित करती थी और चाहे निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हों या सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हों, सरकार जो मूल्य निर्धारित करती थी उसके अनुसार भुगतान होता था। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने भुगतान कम किया है। मान्यवर, अगर 95 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य दिया गया होता तो गन्ना किसानों को 1 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त मिलता। निजी क्षेत्र की मिलों ने न्यूनतम 73.50 रुपये और अधिकतम 93.18 रुपये मूल्य दिया है जिसका औसत 83 रुपये प्रति क्विंटल आता है। अगर 03 रुपये के हिसाब से मूल्य निर्धारित करें तो 534 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को निजी क्षेत्र की मिलों को और देना था। यह सरकार गन्ना किसानों की अनदेखी कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी से जो गन्ना विकास मंत्री भी हैं कि सरकार गन्ना किसानों के हितों की चिन्ता करे और गन्ना मूल्य निर्धारित करें। जब हमारी सरकार थी तो उस समय अर्ली वैरायटी का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य वैरायटी के गन्ने का मूल्य 95 रुपये भुगतान किया गया था। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अर्ली वैराइटीज का मूल्य 105 रुपये और सामान्य वैरायटी का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा करें। इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का और तात्कालिक प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा करायी जाय।

*श्री चन्द्र देव राम यादव-

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की चीनी मिलों का सवाल है। मान्यवर, मुबारकपुर चीनी मिल और सठियांव मिलें हैं। इन पर बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आज गन्ना किसानों की पर्चियों पर रेट नहीं लिखे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश का गन्ना किसान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले साल का बकाया अभी नहीं मिला है। अब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो सरकार घोषणा करे कि 95 रुपये और 100 रुपये रेट पर्चियों पर लिखा जाय और पुराना बकाया दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना में वही है जो गौर साहब की सूचना में है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, पहले तो मैंने एक वचन दिया था कि सदन की कार्यवाही वेल में आकर रोकी नहीं जायेगी लेकिन आज मेरे दल की ओर से ऐसा किया गया। मेरा अभी भी सुझाव है कि आप केवल यह व्यवस्था कर दें कि वेल में आने वालों की कार्यवाही प्रकाशित होने से रोक दी जायेगी तो यह प्रथा खत्म हो जायगी। बहस के बजाय कार्यवाही को रोकने को हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती। कुछ सहयोगी वेल मे कूद जाते हैं और वह ही नहीं बन जाती है। इसलिये यह निर्णय अगर कर दिया जाए कि वेल से बोला गया कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा तो फिर हम अपने वचन का पालन कर सकते हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

यह तो विपक्ष को एब्यूज करना हो गया।

श्री अध्यक्ष-

यह सब कुछ विषय और परिस्थिति पर निर्भर करता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इस प्रस्ताव से सभी लोग सहमत होंगे चाहे तो वोटिंग करा ली जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे हों उस समय किसी को बोलने की अनुमति न दी जाए।

श्री लालजी टण्डन-

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसी सदन में खड़े होकर कहा था कि मैं सरकार की कटु आलोचना करूंगा लेकिन वेल में कूदने की परम्परा को हतोत्साहित करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सबको बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लालजी टण्डन-

अगर यह व्यवस्था ठीक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम भी अपने बचन से बाध्य नहीं रह जायेंगे। आज जो नोटिस दी गई है उससे दो बातें सामने आई हैं। एक तो यह कि नेता सदन तब अपना उत्तर देंगे तो यह आश्वासन देंगे कि हाईकोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया है कि किसानों को पिछले वर्ष जो मूल्य मिला था वही मूल्य दिया जाएगा तो क्या यह प्राइवेट मिलों से इसको दिला पायेंगे। इसे दिलाना होगा अगर न्यायपालिका के प्रति आस्था है। घाटे में जो चलने वाले प्रतिष्ठान हैं उनके विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है हम इसके विरोधी नहीं हैं लेकिन जो काम करिये उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो पूरनपुर चीनी मिल का मामला आया है उसमें सब कुछ हो गया मरम्मत के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसा दे दिया गया उसको चलाने के लिये कार्ड भेज दिये गये सारे किसानों को आमंत्रित किया गया किसान ट्रैक्टर ट्राली पर गन्ना लादकर पहुंच गये उसके बाद एक थानेदार की तरह चीफ सेक्रेट्री कहता है कि इसको बन्द कर दो यह मिल चलेगी नहीं। इसके खिलाफ मैं हूं यह नहीं होना चाहिए। अगर चालू होने की प्रक्रिया हो गई थी तो उसको चालू होना चाहिए। आपकी जो विनिवेश करने की नीति है उसको करिये लेकिन यह परदे के पीछे क्यों हो रहा है मूल प्रश्न यह है। पूरनपुर के लिये पैसा दे दिया गया मिल चालू हो गई किसानों का गन्ना पहुंचने लगा उसके बाद इसको बन्द नहीं करना चाहिए था। वह भी बिना लिखित आदेश के यह नहीं होना चाहिए था। नीतियों को बनाने में स्वायत्तता तो हो लेकिन नीतियां बनाने में स्वच्छन्दता नहीं होनी चाहिए अगर स्वच्छन्दता होगी तो उसका विरोध होगा। इसलिये मैं सख्त विरोध करता हूं जिस तरह से यह मिल बन्द कर दी गई। वह कतई उचित नहीं है और इसके पीछे कोई न कोई मंशा है, षडयंत्र है और अगर कुछ नहीं हे तो यह शंका तो पैदा ही करता है कि आखिर यह हुआ क्यों ? आपने चीनी मिलों को बेचने की बात कही, मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के कुछ बोलने पर)

कुंवर साहब आप कुछ मूल्यों के धनी हैं उसे इस तरह से न लुटाइये जिस तरह से तिवारी जी लूटा देते हैं। जो आज मैंने नोटिस दिया है जिसमें मेरे हस्ताक्षर हैं उसका अर्थ यही है कि इस समय परिस्थितियां बदली हैं पिछले सत्र के मुकाबले में। ऐसे में माननीय मुख्य मंत्री जी को आश्वासन देना होगा कि किसानों के हितों का संरक्षण कैसे होगा। तिवारी जी ने भी बात कही वह भी बहुत गम्भीर हैं आपने मिलें बन्द कर दीं गन्ना दूसरी मिलों को डाइवर्ट कर दिया। प्राइवेट मिलें 82-83 रुपये दे रही है और सहकारी मिलों की घोषणा है कि 95-100। इतना बड़ा घपला होगा बीच में। वह कैसे होगा। कौन बर्दाश्त करेगा और यह भी नहीं पता कि यह मुख्य मंत्री जी के आदेश से हुआ। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे मैं यही अपेक्षा करता हूं। यह भी आपकी मजबूरी थी एक थानेदार को चीफ सेक्रेट्री बनाया वे अपनी समझ से जो चाहते थे करते थे। यह कुछ नहीं कर पाये और सारा कुछ हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, चीनी मिलों के चलाने के बारे में, भुगतान के बारे में और मूल्य निर्धारण के बारे में बातें कही गयीं। चौथी बात कही गयी किसानों के हित के बारे में। जिस तरह से बहस हो गयी उसके अनुसार जरूरी हो गया है कि सही तथ्य प्रदेश की जनता और किसानों की बीच आने चाहिए। जो कुछ कहा गया है वह सच्चाई से बहुत दूर है। असलियत जो आज है और जो पहले थी उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वर्तमान में गन्ना पेराई सत्र में संघ की चीनी मिलों की संख्या 14, चीनी निगम की 12 और निजी क्षेत्र की 12 है। 78 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई प्रारम्भ की जा चुकी है और शेष 13 चीनी मिलों द्वारा 15 दिसम्बर से पहले गन्ना पेराई प्रारम्भ की जायेगी। गत वर्ष गन्ना पेराई सत्र तक कुल गन्ना देय मूल्य जो आपने कहा और गौर साहब ने कहा 4,994 करोड़ में से 4,723 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। संघ की चीनी मिलों पर 120 और चीनी निगम की मिलों पर 64 करोड़ बकाया है उसे तत्काल भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही एक रुपया भी किसी का बकाया नहीं रह जायेगा। जो गौर साहब और माननीय नेता विरोधी दन ने कहा है उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आपने अपनी सरकार में क्या किया वह बहुत शर्मनाक है और किसानों के हितों के खिलाफ हैं जो चीनी मिलें नहीं चल पाई हैं उनका गन्ना अन्य चीनी मिलों को स्थानान्तरित कर दिया गया है और इस वर्ष पिछले सत्र अध्यक्ष

महोदय, इतना चौंकाने वाले तथ्य है पिछले सत्र में इस समय तक 5 हजार 94 टन तक गन्ना पेराई हुआ था अब उसी समय तक 5,954 टन 30 सितम्बर तक पेरा जा चुका है।

(मेजें थपथपाई गईं)

गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये सरकार प्रतिबद्ध है, बचनबद्ध है, एक गन्ना खेत में नहीं रहेगा। जहां तक पूरनपुर की चीनी मिल है आशंका व्यक्त की गई थी तो पूरनपुर की चीनी मिल चलाई जायेगी। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। जो बताया गोरखपुर, सुल्तानपुर, महमूदाबाद है, पुवायां नहीं चल पायेगीं। अध्यक्ष महोदय पिछले वर्ष 2000 तक पांच चीनी मिलें चली थीं.....

(विपक्ष के किसी मा0 सदस्य के कुछ कहने पर)

उस वक्त आप गन्ना मंत्री थे सक्षम थे, सक्षम आप भी थे, हम भी हैं 52 चीनी मिलें रही थीं दिसम्बर तक, अब 78 चल रही हैं इसलिये किसी प्रकार किसानों की अनदेखी नहीं हुई। मान्यवर, जो आंकड़े होते हैं इन आंकड़ों से देश और प्रदेश नहीं चलेगा, किसान अपने खेतों पर बैठा है वह महसूस करेगा पिछली सरकार और इस सरकार में अन्तर क्या है ?

(मेजें थपथपाई)

इसलिये कहना चाहूंगा कि जितना प्रयास किया जायेगा वह सफल होगा प्रदेश के किसानों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है, किसानों के खिलाफ सरकार कोई भी कदम नहीं उठायेगी। मैं घोषणा करता हूं कि किसानों पर किसी प्रकार गोलियां नहीं चलवायेंगे। आपने गोलियां चलवाई थीं हमें आपने सभा नहीं करने दी आपने जगह नहीं दी लेकिन जनता ने सभा का स्थान दिया, जनता ने जगह दी थी। आप जोर से आवाज में कहते हैं कि "अहित-अहित" यह सरकार कभी नहीं कर सकती है न बर्दाश्त कर सकती है। हमें पता है कि किसानों के बिना यह देश, प्रदेश सम्पन्न नहीं हो सकता है। हम पुराने इतिहास पर कभी नहीं जाना चाहते हैं उस रास्ते पर हम नहीं जायेंगे जहां किसानों पर शोषण, अत्याचार, जुल्म को भुलाया नहीं जा सकता है। एक बार नहीं जब-जब आपकी सरकार आई आपकी सरकार ने गोलियां चलवाई। पहले जब हम बनारस गये, हम सभा करने गये थे हम संवेदना व्यक्त करने गये थे उनके परिवारों से मुलाकात करने गये थे। मान्यवर, इसी तरह देवरिया में गेस्ट हाउस में गये वहां रात में दो बजे जेल ले जाया गया। हमारी सरकार गोली चलाने की इजाजत नहीं दे सकती है कहीं हिंसा होगी वहां गोली चलेगी। किसान हथियार लेकर नहीं जाता है किसान गुस्से में ईंटा पत्थर तो चला सकता है गोली नहीं चला सकता है। हाथापाई कर सकता है किसानों की हत्या किसानों के खून से रंगे हाथ जिनके हैं वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। जहां तक गन्ना मूल्य और उसके भुगतान का सवाल है, न्यायालय का हम सम्मान करेंगे, न्यायालय की अवमानना हम नहीं करेंगे। माननीय नेता विरोधी दल, लोक सभा के भी आंकड़े हैं, न्यायालय की अवमानना आपकी सरकार ने जितनी की थी, उतनी कभी नहीं हुई। न्यायालय जैसे ही निर्णय दे देगा, किसानों का गन्ना मूल्य निर्धारित कर दिया जायेगा। किसानों की किसी तरह से अनदेखी नहीं की जायेगा और किसानों के हितों के खिलाफ या किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा चाहे सरकार के पास संसाधन हों या न हों लेकिन हमारी सरकार संसाधन जुटाकर किसी भी प्रकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देगी।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि पूरनपुर सहकारी चीनी मिल सरकार चलवायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह चीनी

मिल सरकार चलायेगी या किसी पूंजीपति द्वारा चलवायी जायेगी। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति यह चीनी मिल चलाता है तो किसानों को वह गन्ना मूल्य नहीं मिलेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, जो नियम-56 में विषय उठ रहे हैं, उसके बारे में मुख्य मंत्री जी मे स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। पिछले सत्र में निजी चीनी मिलों ने 73 से 83 रुपये के बीच गन्ना मूल्य का भुगतान किया था जब कि सरकारी चीनी मिलों द्वारा 95 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य दिया गया था। वर्तमान पेराई सत्र का एक महीना हो गया है, अभी तक गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी यहां पर घोषणा करें कि इस साल गन्ना मूल्य क्या होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

गौर साहब को मैं बताना चाहता हूं, पिछले साल देवरिया, पडरौना के आसपास 50 से 58 रुपये कुन्तल गन्ना मूल्य किसान लेने के लिये मजबूर हो गया था। कहीं-कहीं 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया था, आप 73 रुपये की बात करते हैं। अब एक भी गन्ना खेत में नहीं खड़ा रहेगा। पारदर्शिता की जो बात कही, उसका पूरा का पूरा पालन किया जायेगा। हम गन्ना मूल्य का निर्धारण भी बहुत जल्दी कर देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो मनमाने तरीके से गन्ना किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है, गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है, इस पर कोई मुख्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया चीनी मिलों को पूंजीपतियों को सौंपने का काम किया जा रहा है, गन्ना किसान जो त्रस्त हैं, उस पर मुख्य मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह सरकार किसान विरोधी है, मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता है।

(गन्ना किसानों की समस्याओं पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

एक स्पष्टीकरण डा0 विनोद तिवारी जी ने मांगा था कि जो सहकारी चीनी मिल चलायी जायेगी उसको कोई संस्था चलायेगी अथवा सरकारी क्षेत्र में चलाया जायेगा ?

श्री मुलायम सिह यादव-

मान्यवर, पूरनपुर चीनी मिल सहकारी संघ ही चलायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया है कि आगे भी वह मूल्य तय करेंगें लेकिन जो पिछला मूल्य है क्या वही दिया जायेगा जो उसके पहले दिया जा रहा था। इसका पालन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, हम इंतजार कर रहे हैं केन्द्रीय सरकार के निर्णय का कि वह गन्ना के मामले में क्या करने जा रही है। उसके बाद तो हम तैयार बैठे हैं। हम केन्द्र सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

केन्द्र सरकार और उच्च न्यायालय अलग-अलग हैं। लेकिन जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन आपको करना होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वह तो मैंने कह दिया है। लेकिन केन्द्र सरकार क्या कर रही है ? पिछले साल हम लोगों ने बातचीत की तो कुछ राहत मिली लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार चुप क्यों है ?

श्री अध्यक्ष-

डा0 विनोद तिवारी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि माननीय सदस्यों को तथा शासन की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

विधान सभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य श्री दिलीप कुमार वर्मा द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना लेने के पूर्व जो दो माननीय सदस्य नवनिर्वाचित होकर आये हैं उन्हें शपथ दिलवा दें।

*श्री दिलीप कुमार वर्मा-

"मैं दिलीप कुमार वर्मा जो विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

(मेजें थपथपाई गईं)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, दिनांक 28-11-03 को अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने इस प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी महिला कार्यकर्ता को रासुका में निरुद्ध नहीं किया गया था। यह पहली बार है कि किसी महिला को राजनीतिक दृष्टि से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रासुका में निरुद्ध किया गया है। जिलाधिकारी ने 28-11-0 के अ में कहा कि उन्हें धारा-2 के उपधारा-3 के साधारण श्रेणी में उप कारागार एटा की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये। अलीगढ़ में 15-9-03 को ए0डी0एम0 सिटी ने पत्र सं0-146 में उन्होंने अलीगढ़ के सभी सी0ओ0 और थानाध्यक्षों को लिखित आदेश किया कि...

(इस समय 1 बजकर 40 मि. पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

1-11-03 को घटनास्थल पर जब संजीव राजा और शकुन्तला भारती को मैंने कोतवाली चलकर बात करने को कहा तो वह लोग कोतवाली की ओर चल दिये और उसके बाद उपस्थित दूसरे पक्ष द्वारा पथराव कर दिया गया। यह ए0डी0एम0 सिटी का पत्र है। उसी तरीके से एक पत्र और लिखा गया जो एस0पी0 सिटी ने लिखा है उसकी भी कमोवेश उसी प्रकार की भावना है। उनका भी यह मानना है कि उनका कोई दोष घटनाक्रम में नहीं है। मेरा यह निश्चित मत है कि इस सरकार में शामिल कुछ लोगों के दबाव में राजनीतिक आधार पर शकुन्तला भारती को रासुका में निरुद्ध करके एक इतिहास बनाया गया है। किसी महिला को रासुका में निरुद्ध करके एक इतिहास बनाया गया है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक ख्वाजा हलीम जी ने विधायक निधि से केवल एक दीवाल बनाने के लिए पैसा दिया था जो उन्होंने सहमति दी थी उसे परियोजना निदेशक द्वारा केवल दीवाल बनाने के लिए कार्य की स्वीकृति देकर पैसा दिया गया था तो फिर वहां पर गेट कहां से लग गया। मान्यवर, वहां पर जिला प्रशासन द्वारा गल्तियों को छिपाने के लिए इस प्रकार की घटनाक्रम का निर्माण कराया गया है। वहां के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ट पुलिस अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार हैं वहां की जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहां की जनता आपस में नहीं लड़ रही हैं यह जो पत्र एस0पी0 सिटी और ए0डी0एम0 सिटी का है आप उन दोनों पत्रों को पढ़ लीजिये, मैं आपके पास भिजवा दूंगा, तो आपको पता लग जायेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहां पर अपनी कमी को छिपाने के लिए शकुन्तला भारती को रासुका में निरुद्ध किया गया है। उन्हें निरुद्ध करके एटा की जेल में साधारण श्रेणी में रखने के आदेश दिये गये।

मान्यवर, मैं उपरोक्त पत्रों की रोशनी में यह आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में यह घोषणा करें कि शकुन्तला भारती जिनको कि रासुका में निरुद्ध किया गया है उन्हें जेल से बाहर निकाला जायेगा और इस संबंध में मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अलीगढ़ में कर्फ्यू के दौरान जो इन्टरमीडिएट और हाईस्कूल के फार्म जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में नहीं पहुंच पाये हैं उन्हें तत्काल भेजा जाय। चूंकि वहां पर विषम परिस्थिति थी इस कारण वह निर्धारित तिथि तक नहीं भर पाये थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी कृपापूर्ण अनुमति दे दें। उनकी तिथि को आगे बढ़ा दिया जाय या फिर लेट फीस लेकर उनके फार्म को पूरा कराया जाय। मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बाजपेई जी ने जो गम्भीर मुद्दा उठाया है मैं उसकी गम्भीरता को कम नहीं करना चाहता हूं। यह एक गम्भीर मामला है और जिस तरह की जिज्ञासा दर्शायी गयी है और जिस तरह की फिक्रमंदी की गयी है.. सरकार की फिक्रमन्दी भी लगभग उतनी ही है, लेकिन यह भी सही है कि प्रदेश का वातावरण सरकार के बदलने के बाद बदला है, प्रदेश की

जनता की आकांक्षाएं और उसकी उम्मीदें बदली हैं, सरकार चले और प्रदेश विकास के पथ पर चले यह हम सबकी मिली-जुली नीति होनी चाहिए। मान्यवर, जहां अभी चुनाव हुए हैं और उनका जो रिजल्ट आ रहा है, मध्य प्रदेश वगैरह में, उससे एक रास्ता मिल रहा है। प्रदेश की जनता उन सवालों पर अपना विनाश नहीं चाहती है जिन पर पिछले 50 सालों में उनका विनाश हुआ है, बल्कि विकास के मुद्दों पर ही जनता चलना चाहती है, इसका खुला प्रमाण मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम हैं। अभी गन्ना और चीनी मिलों पर बहस चल रही है, प्रदेश हमें किन हालात में मिला है वह पूरा प्रदेश जानता है, मान्यवर, आप भी जानते हैं और नेता विरोधी दल और उस पक्ष में बैठे माननीय सदस्यगण भी जानते हैं। लखनऊ की जुबां में कहने के लिए गंगा-जमुना तहजीब जिसे कहते हैं उसका सही प्रदर्शन हो और वह पूरे प्रदेश में देखने को मिले, हम यह चाहते हैं, लेकिन मान्यवर, एक व्यक्ति समाज को पत्थर इंगित करे और उसे समाज को मारना चाहे, लेकिन वह पत्थर मारे नहीं, जो ऐसी स्थिति में जो समाज के कमजोर लोग हैं, उसके पत्थर मारे जाने के भय से भाग खड़े होंगे और उस भगदड़ में भीड़ में इकट्ठा बूढ़े और बच्चे दब कर मर जायेंगे। खता करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। सरकार का दायित्व है कि जो पत्थर मारने वाला हाथ है उस हाथ को रोक दिया जाय, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है।

अलीगढ में कुछ इसी तरह से माहौल निरंकुश हो गया था। हमारा मान्यवर आपसे अनुरोध है, नेता विपक्ष से अनुरोध है कि इस निरंकुश माहौल को अच्छा बनाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। जो मान्यताएं टूट गयी थीं, खत्म हो गयीं थीं, उन अच्छी मान्यताओं को हमारी सरकार ने जीवित किया है, सरकार यह नहीं चाहती है कि विपक्ष का रोल खत्म हो जाय। अलीगढ़ में हमें आपका भी सहयोग चाहिए और आपके सहयोग से ही शान्तिपूर्ण वातावरण बन सकता है। वहां की यूनिवर्सिटी जो पढ़ाने का काम करती है वहां भी उस वक्त यह डर रहता है कि कठपुले के उस पार अगर कोई आवाज तेज हुयी तो लगा बम फट गया, कोई चिरागा भी हो गया और उसकी रोशनी वहां तक चली गयी तो छात्र यह समझते थे कि हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय है जहां सिर्फ मुस्लिम वर्ग के ही छात्र नहीं पढ़ते हैं, इन्जीनियरिंग कालेज में वह छात्र हैं जिनका धर्म सिर्फ इस्लाम ही नहीं है, वहां तो सभी वर्ग के छात्र हैं। अगर यूनिवर्सिटी बन्द होती है तो शिक्षा का नुकसान होता है किसी वर्ग का नुकसान नहीं होता है बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है तो वहां का वातावरण अच्छा रहने से सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि पूरे समाज का भला होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जहां ओल्ड ब्वायज एसोसियेशन काम करती है। और वह व्यक्ति मरने के दिन तक ब्वायज रहता है और सारे लोग आपस में मिलते हैं। जब हम विदेश में जाते हैं तो सगा भाई उस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से एक हिन्दू छात्र गले मिलता है। एक ऐतिहासिक शहर, एक ऐतिहासिक जिला वह है अगर वहां पर यह होगा तो हम क्या सबूत देंगे और कैसे देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रश्न गम्भीर है, विचार करने योग्य है। और इसमें मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह है कि आप इसमें सहयोग करें माहौल को सद्भावनापूर्ण बनाने में, माहौल अच्छा रखने में। सरकार इसमें चिंतित है और इसका हल चाहती है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, एन0एस0ए0 लगाया गया है एक महिला पर। तो यह मुख्यमंत्री का काम नहीं हो सकता है इतना गिरा हुआ काम वह नहीं करेंगे। प्रशासन के जिन अधिकारियों ने उस महिला के

मलद्वार पर डण्डा कर दिया है अगर वह वहां बने रहते हैं तो हम मानेंगे कि मुख्यमंत्री के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है और जरा भी संवेदनशील नहीं है। आज ही इनको वहां से हटाया जाना चाहिए जिसने यह कुकृत्य किया है। मान्यवर, यह सारी महिलाओं के सम्मान का प्रश्न है। आपके सामने महिला आयोग की रिपोर्ट आ गई होगी या आ जायेगी इस तरह की घटना होगी अगर यह बातें होगी, मैं यह नहीं कहता कि दंगें होने चाहिए, और जो यह चाहते हैं वह देश के विरोधी हैं। लेकिन इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की मजबूरी है, उन्होंने प्रदेश को तीन हिस्सों में बांट दिया है एक जैसा चाह रहा है वैसा करवाता है। लेकिन जो जिम्मेदारी है वह मुख्यमंत्री पर ही आयेगी। इसलिए पहले उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिसने ऐसा घिनौना काम किया। एन0एस0ए0 के बारे में आपने आश्वासन दिया है लेकिन उस एन0एस0ए0 को लगाने के कारण क्या हैं ?

मा0 मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। वह मजबूर थे ऊपर से निर्देश लेते थे। मैं न मजबूर हूं और न किसी के कहने पर चलता हूं। मैं निष्पक्ष और निर्भिक होकर काम करता हूं' मुझ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने विस्तार से बताया है जो महिला की बात है उसमें मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा। आप खुद को संभालिये। हम तो विचार कर ही लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक दूसरा विषय छात्रों वाला है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उसमें लगभग 20 कालेजों के छात्रों के फार्म जमा नहीं हुए हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आज ही उसमें बात कर लेंगे छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जायेगा। जो भी नियमानुसार रास्ता निकल सकता है निकाला जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

सूचना पर माननीय सदस्य तथा माननीय संसदीय कार्य-मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। इसी के साथ

श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में कोलाघाट व रामगंगा के बीच पुल का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

श्री नवाब सिंह नागर की नोयडा, ग्रेटर नोयडा प्राधिकरणों में हुये घोटालों की जांच से संबंधित जांच अधिकारी को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर में गैस्ट्रो की बीमारी से हुई बच्चों की मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

अब मैं मद संख्या-27 लेता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां स्वयं शिलान्यास करके आये थे।

श्री उपाध्यक्ष-

शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया अब बात समाप्त हो गयी।

आय-व्ययक पर साधारण चर्चा आरम्भ करने हेतु नेता विरोधी दल की अनुपस्थिति पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। बजट प्रस्तुत करने के बाद कटौती का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधीदल लाते हैं आपने उनका नाम पुकार लिया, वह उपस्थित नहीं हैं। इससे यह माना जा सकता है कि उनकी कटौती में कोई रुचि नहीं है तो इस बजट को सर्वसम्मति से पारित समझा जाय। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। आपने माननीय नेता विरोधी दल को पुकारा है और वह हैं नहीं, उन्हीं को कटौती प्रस्ताव रखना है। अगर कटौती का प्रस्ताव नहीं आता है तो सदन को सर्वसम्मति से इसको पारित करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

कटौती तो बाद में आयेगी अभी तो साधारण चर्चा। शुरू करने के लिए पुकारा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चर्चा शुरू करते ही कटौती रखते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जब माननीय नेता सदन ने बजट प्रस्ताव रख दिया और अब नेता विरोधीदल को आप बुला रहें हैं और नेता विरोधीदल आ नहीं रहें हैं तो विपक्ष की क्या इच्छा समझी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष-

विशेष परिस्थिति में कहीं गये होंगे, आ रहे होंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नेता विरोधीदल का न होना गम्भीर प्रश्न है इस बजट को पारित मानिये, नेता विरोधीदल इसका विरोध नहीं करना चाहते। इसको पारित कराइये हम लोग भी घर जांय।

*श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आज की कार्यसूची में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मद संख्या-26 पर लिया जाना था। जो चयनित सूचनाएं थी उन पर ग्राह्यता पर बोलने के लिए, जिसको भी अनुमति माननीय अध्यक्ष जी ने दी थी उनको ग्राह्यता पर सुन लिया गया और निरस्त कर दिया गया। अगली मद 27 है, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा, और यह साधारण चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष शुरू करते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बार-बार बुलाये जाने पर भी आ नहीं रहे हैं लगता है कि इस पर उनको कोई बात नहीं कहनी है।

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय प्रमोद कुमार ने उठाया है, इस संबंध में आप नियमावली को देख लें। जब बजट पर नेता प्रतिपक्ष को कोई बात नहीं कहनी है तो आज आप एक ऐतिहासिक निर्णय दे दीजिये। माननीय नेजा प्रतिपक्ष को कुछ नहीं कहना है तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिपक्ष इस बजट पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप द्वारा इस मद को पुकार लिये जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा न किये जाने की स्थिति में आप इसे सीधे-सीधे विपक्ष द्वारा स्वीकृत बजट मानते हुये इस पर अपना निर्णय दे दें। ऐसी स्थिति में इस सामान्य चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर आपकी व्यवस्था आ जाय।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, क्रम संख्या-27 पर आय-व्ययक पर साधारण चर्चा है। यहां नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई नहीं बोलेगा, यहां तमाम सदस्य बैठे हैं। केवल सेन्ट्रलाइज कर देना, ठीक नहीं है।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, राजभर जी विपक्ष के नेता नहीं हैं। बल्कि टंडन जी सम्पूर्ण विपक्ष के नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष का कोई भी वक्तव्य सम्पूर्ण विपक्ष का स्टैन्ड है। नेता प्रतिपक्ष का आचरण आपने देखा है, जब माननीय आजम खां। जी उधर बैठते थे, उन्होंने पूरा नेतृत्व करके दिखाया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर नेता प्रतिपक्ष चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते हैं तो यह माना जायेगा कि सम्पूर्ण विपक्ष इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। राजभर जी को नियमों, परम्पराओं का ज्ञान होना चाहिये। यह तो संसदीय कार्य-मंत्री रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मेरा कोई आरोप नहीं था। मेरा यह कहना था कि हम लोग भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। मैंने यह कहा था कि आप केवल एक जगह केन्द्रित करके इसको बिना चर्चा के पास कर दीजिये, इस बिन्दु पर मैंने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय टंडन जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि आप अलग हैं और वह अलग हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह चौथाई वर्ष का बजट है, इसलिये इस बजट के लिये यह जिम्मेदारी देना, कि सरकार का कोई यह पूरा आईना है, लेकिन एक बात जरूर है कि बजट की दिशा दिख जाती है, सरकार की कार्य शैली से। पिछली सरकार ने 3-3 महीने का 3 बार लेखानुदान लेकर काम चलाया। आपने उस बजट को पेश किया, लेकिन जो बजट पेश है, इसमें कौन सी दिशा दिखाई दे रही है... विकास के लिए जो बाते हो रही हैं वह क्या हो रही हैं ? इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में कानून और वयवस्था की स्थिति क्या हो गयी है ? सरकार का बजट इस बात का प्रतिबिम्ब होता है कि सरकार की कार्यशैली क्या है ? लेकिन मान्यवर यह एक दिशाहीन बजट है इसमें आगामी वर्ष के लिए कोई भी ऐसी दिशा सहीं दिखायी दे रही है जिससे प्रदेश के संकट दूर होंगे।

आज समाचार छपा कि रोज ओवर ड्राफ्ट के ऊपर खर्चे चलाये जायेंगे। ओवर ड्राफ्ट पहले भी चलता था लेकिन यदि सारा खर्चा ओवर ड्राफ्ट पर चलेगा तो दो महीने में भट्ठा बैठ जायेगा, यह दिवालियापन की निशानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहां पर बैठते थे, जब वह नेता प्रतिपक्ष थे उस समय का एक उद्धरण देकर आपसे कहना चाहता हूं कि उनका ही भाषण था और आज हमारे संसदीय कार्य-मंत्री जी जिस बंगले में रहने जा रहे हैं उसी के सम्बन्ध में उनका एक वक्तव्य है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हटे तो श्री श्रीपति मिश्र आये उन्होंने अपने निवास की साज सज्जा पर 10-12 लाख रुपये खर्च किये और आपने केवल भयग्रस्त मानसिकता के कारण जो बाउंड्रीवाल बनायी है उस पर उससे कहीं ज्यादा रुपये खर्च किये यह कौन सी किफायत है ? आज जितने बंगले हैं उनकी आप जांच कराइये कि कितना-कितना पैसा लगा और कहां-कहां से लगा ? केवल राज्य सम्पत्ति विभाग से ही नहीं लग रहा है। मैं संसदीय कार्य-मंत्री से क्षमा चाहूंगा कि वह अपने ऊपर न लें कई जगह पर ऐसी पुताई है और कई जगह पर फर्श तोड़कर टाइल्स लग रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री के बयान का उद्धरण दे रहा हूं जो कि यह किफायत की बात कर रहे हैं, जिस बंगले के बारे में बात कर रहे थे उस बंगले पर कितना खर्च किया गया, मैं समझता हूं कि इसका उत्तर भी वह अपने जवाब में देंगे। इस समय जो नान-प्रोडक्ट के खर्चे हैं वह किस तरह से बढ़ रहे हैं किफायत के नाम पर। अनुत्पादक खर्चे रहे हैं। हम डेलीवेजिज के ऊपर काम कर रहे हैं। मान्यवर, जहां, तक प्रदेश के विकास की बात है मैंने पहले ही दिन मुख्यमंत्री से कह दिया था कि प्रदेश का विकास हो, यह सारे प्रदेश के हित में है। हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करेंगे लेकिन उसकी कोई एक प्रक्रिया बनायी जाय। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं-एक राजा के पास समाज के बहुत कमजोर लोग पहुंचे। राजा ने कहा कि हम आपकी तरक्की करना चाहते हैं, बोलो तुम्हारे लिये क्या करें ? राजा के पास चार लोग आये उनमें एक अन्धा था, एक चोर, एक वेश्या और एक मवाली था। जो अंधा था उसको कह दिया गया कि तुम इनके अध्यक्ष बन जाओ और बैठ करके तय कर लो। तुम लोग जो कहोगे वह लागू कर देंगे उससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जायेगी। उस अन्धे ने पहली मीटिंग करके कहा कि जो चश्मा राजा साहब लगाये हैं वह अगर हमको दे दें तो लोग यह कहेंगे कि राजा कितना दयालु है और हमारे आँख की रोशनी लौट आयेगी तथा लोग यह भी कहेंगे कि इसके लिए कितना किया गया। जो वेश्या थी उसने कहा कि अगर आप मुझे अपने रहम में रख लें तो इससे सारी नारी समाज का उत्थान हो जायेगा। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर) मैं माननीय नेता सदन से अपेक्षा

करूंगा कि वह अपने सदस्यों को समझा दें। [× × ×] मान्यवर, जो चोर था उसने कहा कि अगर आप अपना खजाना मेरे हवाले कर दें तो सारे चोर समझ जायेंगे कि चोरी करने से कोई फायदा नहीं है।..

*श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यहां राजा-रानी की कहानी नहीं बजट पर चर्चा होनी चाहिए। राजा-रानी की कहानी तो घर पर सुन लेंगे। एक तरफ तो डा0 बाजपेयी जी कहते हैं कि बजट पर चर्चा के लिए समय कम दिया जा रहा है दूसरी तरफ राजा-रानी की कहानी हो रही है। मेरा मान्यवर, से अनुरोध है कि कृपया मुद्दे पर आये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बीच में व्यवधान करना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, सदन में उन परम्पराओं को जीवित करना चाहता हूं कि जिसमें पहले जो हास-परिहास होता था उससे सदन का टेन्शन दूर हो जाता था। इन्हें सीखने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष तो हूं ही सरकारी पक्ष में भी मेरा काम वही है कि अन्धों की बस्ती में आईना बेचता हूं। मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है ? किसानों के लिए तो अभी चर्चा हो चुकी है। आगे आने वाले समय में जो समर्थन मूल्य का प्रश्न है वह सामने है इसका कोई बजट में आंकड़ा दिखाई नहीं देता कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जायेगा। व्यापारियों की आजकल यह सरकार बड़ी तारीफ कर रही है। धारा 3/7, आपने ही कहा था कि लागू नहीं की जायेगी और आपके ही जमाने में धारा 3/7 लागू हो गयी। मान्यवर, आज सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है उस विकेन्द्रीकरण की तरफ कोई दिशा-निर्देश नहीं है। तीन साल का समय बीत रहा है, लेकिन द्वितीय वित्त आयोग की रिपोर्ट का कहीं इसमें प्राविजन नहीं है। द्वितीय वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है तत्कालीन कैबिनेट में पास हो गया। अगर उसकी बात इस बजट में नहीं होगी तो नगर विकास मंत्री यह कहते रहेंगे कि गन्दगी दिखायी देगी तो बर्खास्त कर दूंगा इससे संसाधन नहीं बढ़ेंगे जो संसाधन बढ़ाने की बात है वह नीचे से सुधार होगा तो ऊपर तक आयेगा। मान्यवर, द्वितीय वित्त आयोग को लागू करने में परेशानी क्या है ? मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं जिससे शासन को चलाने में सहयोग मिलेगा। आपने विकास परिषद् बनायी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह पहली बार होगा।

नोट:-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज नहीं तो कल इस बात पर एक बड़े प्रश्न के रूप में आपको उत्तर देना पड़ेगा। आज जो लोग उसमें शामिल है वहीं लोग उन चीजों को ले रहे हैं कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जिसका कोई संवैधानिक वजूद हो।

मान्यवर, विकास के लिए हम कदम पर कदम चलने को तैयार है। प्रदेश को बेचकर क्या विकास होगा ? चंद लोग जो कमेटी बनाये हुए हैं एक चैनल बना देते, मंत्री का पद देते, जो लोग लाभार्थी हैं वह समिति में न रहते तो ज्यादा बेहतर होता। इससे विकास नहीं होगा। क्या पूंजी निवेश हो रहा है। मैं तो देख रहा हूं जिस तरह से छूटें दी जा रही है, जो बचे-खुचे संसाधन हैं समाप्त हो जायेंगे, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। मान्यवर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कर्ज में डूबा हुआ था आज वह मुक्त हो गया है। मान्यवर, कानून का पालन करना पड़ेगा। निजी लोगों को तमाम छूटें दे दी जायेगी तो करोड़ों-अरबों की पूंजी निवेश का क्या होगा, लेकिन एक मर्यादा के अन्दर हो, एक नियम बनाये। यह छूट नहीं होनी चाहिए कि कोई कायदा-कानून नहीं है। विद्युत का निजीकरण करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मान्यवर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जो प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ। उसको अपने काम करने के लिये और कर्ज लेना पड़ता था। वहां कड़ाई करने के लिये जो लोगे बड़े-बड़े दावे करते थे वे वहां अनुशासन बनाने की बात करते थे हमने सारा का सारा कर्जा एक मुश्त अदा कर दिया। हुडको, एल0 आई0 सी0, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और बैंक का सारा कर्ज अदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश सरकार के जो विकास कार्य हैं उनमें सुधार हो इसमें दूसरों को लूटने का मौका न मिले, विकास कार्य में कुछ पूंजी लगे। मान्यवर, यह लालफीताशाही की बात करते हैं, प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ नौकरशाही पर इनका कोई अंकुश नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह की नौकरशाही के साथ यह चल रहे हैं इस तरह से माहौल नहीं बदला जा सकता है।

एक सदस्य-

आपकी तरह से कर रहे हैं।

श्री लालजी अण्डन-

हां मेरी तरह से अगर यह कार्य करते मेरे सुझाव पर ध्यान देते तो आज सरकार की यह हालत न होती। पांचवें तल पर जो बड़े-बड़े आदमी थे, जाते थे वहां पर गरीब आदमी नहीं जा सकता था। यह प्रदेश के विकास की सोच नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह सचेत हो जाये। मान्यवर, देखिये आज सदन खाली पड़ा है। सभी सीटें खाली पड़ी हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मो0 आजम खां)-

मान्यवर, आपकी तरफ खाली होंगे आपके समय में, देखिये यहां पर कितनी संख्या में मंत्री बैठे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

आज आपके सहयोगी इस समय प्रमोद जी यहां पर नहीं हैं। पता ही नहीं चलता है कि वह किधर हैं, कभी इधर होते हैं तो कभी उधर। एक दिन इधर बोलते हैं तो एक दिन उधर बोलते हैं।

मा0 मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, वे उधर कभी नहीं रहे।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो बैठे हैं वह लोग समझ लें कि जब हमारी सरकार थी तो कितनी योजनायें चल रहीं थीं लेकिन जब से आपकी सरकार आई है विकास के सभी कार्य बन्द हो गये हैं जो काम, योजनायें चल रहीं थी वह सब बन्द पड़ी हैं। सारे विकास कार्य ठप्प हो गये हैं। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे मेरे अनुभव से जो लाभ उठाना चाहते हैं उठा लें मैं उनको सहयोग करूंगा। मैं इसी शहर/प्रदेश का निवासी हूं इसका विकास होगा तो हमारा विकास होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विकास के मामले में या अन्य किसी मामले में आपकी बराबरी शासन में बैठे हुये लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो क्या कहते हैं, पूरा-पूरा अर्शीवाद प्राप्त था।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं आपका कुछ बिगाड़ने की नहीं आपकी बात बनाने की बात कर रहा हूं। आपकी सरकार बनते ही सौ करोड़ की योजनायें ठप्प हो गई हैं। वह आपका पैसा नहीं था वह सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट का पैसा था मैं तो कह रहा था कि वहां से जो पैसा आया है वह अभी तक निर्गत नहीं हुआ है वह पैसा वित्त विभाग में फंसा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब कोई पैसा नहीं है, सब चुक गया है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर चूक गया है तो बड़ी अजीब बात है। मैं आपके सामने बार-बार आपको सलाह देने के लिये बात कर रहा हूं, मैं बात टालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये तो सरकार के आने-जाने की निरन्तरता बनी रहती है।

एक सदस्य-

यह सलाह आपने बहिन जी को नहीं दिया।

श्री लालजी टण्डन-

यह बात अगर वह लोग कहें [× × ×] तब और ज्यादा हास्यास्पद हो जाता है। हमको जो कहना था, जिस तरह से कहना था, कहा और कोइलीशन धर्म का पालन करने के लिये मुंह नहीं खोला, अखबार में नहीं आये। लेकिन आज तक श्री अमर सिंह और मुलायम सिंह अगर यह पोटा में बाहर हैं तो यह मेरी वजह से हैं।

नोटः-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर है। आप मंत्रि-परिषद् के सदस्य थे, टण्डन जी। आप एक दल का नेतृत्व कर रहे हैं और जो बात कह रहें हैं वह गम्भीर हैं। आपने कहा है कि पोटा श्री मुलायम सिंह पर इसलिये नहीं लगा कि मैंने विरोध किया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि श्री मुलायम सिंह पर पोटा लगाने के लिये तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था। मैं आपका आभारी हूं कि बहुत ही गम्भीर रहस्योद्घाटन हुआ है। आप उन परिरिस्थतियों को बता दें कि क्यों लगा रहे थे और कैसे आपने समझाया कि पोटा राजनीति के लोगों पर नहीं लगना चाहिये ? पोटा लगा रहे थे तो यह बहुत गम्भीर है इसकी जांच होनी चाहिये। हम इसकी निन्दा करते हैं कि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति पर पोटा लगाने का प्रयास हुआ।

श्री लाल जी टण्डन-

कुछ के बारे में प्रमोद जी अच्छी तरह से नानते हैं कि कैसे लगा और किसने सूचना जाकर दी जिसके आधार पर लगा। दीवार पर पत्थर मत मारो नहीं तो सर पर ही लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

हम लोग अपने विचार बजट पर ही केन्द्रित रखें।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहीं से पोटा लग रहा था।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, टण्डन जी ने एक बात का रहस्योद्घाटन किया । यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदन इसे जानता है और प्रदेश भी नहीं जानता है कि कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस तरह की बात हुयी ? टण्डन जी जानते होंगे क्योंकि वह मंत्रि-परिषद् के सदस्य थे। इसके लिये कौन लोग जिम्मेदार थे इसका पता चलना चाहिये। यह बहुत गम्भीर बात है किसी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर इस तरह से राजनीति से प्रभावित होकर ऐसा प्रयास किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि टण्डन जी उन सारी परिस्थितियों को मुख्यमंत्री को अवगत करा दें एवं मा0 मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर है। मैं आश्वस्त करता हूं कि टण्डन जी वायदा माफ गवाह बन जायं तो उन पर कोई प्रासीक्यूशन नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग विषयांतर हो रहे हैं।

*श्री अजीम भाई-

मान्यवर, पूरा सदन टण्डन जी से आग्रह करता है। जो यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने रहस्योद्घाटन किया है, जिस रहस्य से पर्दा उठाया है उसे पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि किस साजिश के तहत नेता सदन श्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर पोटा लगाने की कार्यवाई की शुरूआत हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि पोटा उनकी वजह से नहीं लगा। अगर पोटा लगता तो प्रदेश और देश गृह युद्ध में जल जाता। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को यह पूरे सदन को बताना चाहिये कि पोटा क्यों लगाया जा रहा था नेता सदन के ऊपर यह पूरा देश और प्रदेश जानना चाहता है

श्री उपाध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से वह बहुत गम्भीर मामला है। इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिये नेता सदन इस पूरे प्रकरण की जांच कर लें।

श्री लालजी टण्डन-

मैं सत्ता में रहा लेकिन मैंने मूल्यों से समझौता नहीं किया प्रदेश के हित में व लोकतंत्र को बचाने के लिये जो कुछ कोशिशें कर सकते थे, उनको किया। लेकिन आपमें विपक्ष की बात को सुनने की शक्ति नहीं है तो हमारे सारे प्रयास बेकार जायेंगे। नेता सदन इस पर गौर करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसमें आपकी तारीफ हो रही है प्रमोद जी ने व राम नरेश जी ने जो कुछ कहा है उससे आपका सम्मान बढ़ा है। आप सच बोले हैं इससे आपका सम्मान बढ़ा है। मैं इससे सहमत हूं । मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। राजनीति में जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था उसको बचाने की यह शुरुवात है। प्रमोद जी और राम नरेश जी ने आपके सम्मान के लिये कहा है।

श्री राम इकबाल सिंह-

कांग्रेस के समय तो मुलायम सिंह जी को जेल में बन्द कर दिया गया था उसके लिये भी प्रमोद जी को माफी मांगनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है इसीलिये शासन से अनुरोध किया है कि इसकी जांच करा लें। अब यह बात खत्म हो गई ।

श्री सुखेदव राजभर-

मान्यवर, यह नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के बीच एक साजिश के तहत रहस्योद्घाटन किया जा रहा है। यह जानबूझकर व्यवधान पैदा करने के लिये बवाल पैदा कर रहे हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने श्री टण्डन जी ने जो रहस्योद्घाटन किया है उसकी आलोचना करने के लिये नहीं कहा है मैंने उनकी प्रशंसा करने के लिये अपनी बात कही है। श्री टण्डन जी प्रशंसनीय हैं, अतुलनीय हैं। जो-जो यह चाहें वह सब हैं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

आपको बजट पर बोलने का मौका मिलेगा तब बोलियेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, उस समय टण्डन जी किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं थे बल्कि तत्कालीन मंत्रि-परिषद् के सदस्य थे और मंत्रि-परिषद् में उनकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार। इन्होंने कहा कि हमने पोटा रोका। यानी कि पोटा लगाये जाने की पूरी तैयारी थी और वह भी विधान सभा में जिस दल के 150 सदस्य थे और वह उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके ऊपर। मान्यवर, मुलायम सिंह जी की राष्ट्रभक्ति पर कोई संदेह नहीं हो सकता है तो फिर क्या कारण था ?

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रमोद कुमार जी आप बैठ जायं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं टण्डन जी की तारीफ कर रहा हूं लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिये। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पोटा का विरोध किया है। यह जो पोटा लगाने की साजिश की गई इसकी जांच होनी चाहिये। हमने तो पोटा की हमेशा आलोचना की है।

श्री लालजी टण्डन-

प्रमोद जी ने बहुत कुछ कह दिया। बात निकलेगी तो बहुत दूर जायेगी इसलिये मैं केवल इसको उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। मैं किसी भी दायित्व के रूप में रहा हूं मैंने मूल्यों से समझौता नहीं किया। कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जब पहले दिन इस सदन में आपने कुछ घोषणायें की थीं। क्या उन घोषणाओं का कुछ प्रतिबिम्ब इस बजट में दिखाई दे रहा है ? आपने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आज तक कहीं उस घोषणा की झलक नहीं दिखाई दी। आप वह कहां से देंगे कैसे देंगे ? आपने कहीं पर यह जिक्र नहीं किया है कि आपके पास कितने लोग बेरोजगार हैं आप उनको नौकरी कहां से देंगे ? भत्ता देंगे तो कहां से देंगे और उसका व्ययभार कितना होगा ओर किस तरह से वहन किया जायेगा ? इन सब का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आपके अधिकारी यहां पर घोषणा आपसे करवाते हैं लेकिन वह वास्तव में पूरी नहीं होती है। यहां पर कहा गया था कि अस्पताल में पर्चे का दाम 8 रुपये के स्थान पर 1 रुपये होगा लेकिन उसके बाद जो आपरेशन 150 रुपये में होता था वह 800 रुपये में कर दिया गया। जहां पलंग पहले 5 रूपये में मिलता था वह अब 25 रुपये में मिलेगा।

(व्यवधान)

मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करवा लें। हो सकता है कि मेरी जानकारी सही न हो। यह सब तो रोज समाचार पत्रों में भी आता रहता है। कुशीनगर में एक घटना हुई। मैं वहां गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त कार्यवाही करने के लिये कहा मृतक परिवार को 2 लाख रुपये देने की बात कही गई लेकिन अभी तक नहीं दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

एक लाख दे दिया है और एक लाख और दे दिया जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं अभी गया नहीं है। आप इसको दिखवा लें। मान्यवर, जो सबसे खतरनाक बात है। अगर आपके लिये सम्मान की बात है तो मैं सम्मान के रूप में प्रस्तुत करता हूं सितम्बर और अक्टूबर में अपराधों में कितनी वृद्धि हुई हैं आंकड़े बता रहा हूं। दो महीने के अन्दर 439 हत्यायें हुई हैं।

(व्यवधान)

48 अपहरण हुये हैं।

एक सदस्य-

जब बजट प्रस्तुत करते थे तब चर्चा होती थी।

श्री लालजी टण्डन-

सामान्य चर्चा के ऊपर खासतौर से जो मुख्यमंत्री जी के विभाग हैं पुलिसे विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, सबसे जयादा इसमें आलोचना होनी चाहिये अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है ? यह कहते हैं बजट से संबंधित है, बजट का अंश है, अधिकारियों को तनख्वाह दे रहे हैं ...

(व्यवधान)

दो दिन पहले 13 लोगों का सामूहिक अपहरण हो गया इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा इधर के सदस्य हों चाहें उधर बैठे सदस्य हों उन्हें सोचना चाहिये, दिल पर हाथ रखकर देंखें किस तरह से लोग दुकानों से सामान लेकर उतरते हैं, पिस्तौल दिखाकर दुकान को लूट लिया गया, अपहरण कर लिया, हत्या कर दी गई। कितने उदाहरण दूं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। कितने केस ऐसे आये हैं जिन्होंने अपराध किये उनकी रिपोर्ट पहले लिखी गई और जिनका उत्पीड़न हुआ जब रिपोर्ट लिखाने गये तो उनको उल्टे बंद कर दिया गया इस तरह हो रहा है चोर कोतवाल बन जाएगा तो कैसे होगा। इसलिये प्रदेश की दशा को सुधारना है तो इन पर कठोरता से कार्यवाही करनी होगी। शर्मनाक बात है 25 बलात्कार दो महीने में हो जाएं, यह हो सकता है यह सही आंकड़े न हों इससे ज्यादा हों। यह किसकी जिम्मेदारी है मैं नहीं कहता, आपने घोषणा की दो महीने के अन्दर व्यवस्था ठीक करने के लिये, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। श्रीमन् 242 लोग दंगों में मारे गये। छोटे-मोटे साम्प्रदायिक व्यक्तिगत दंगे भी साम्प्रदायिकता पर कलंक है इस प्रदेश की परिभाषा बदल गई है अब राम का नाम लेना दंड है आप लोहिया जी की बात करते हैं बहुत आदर करते हैं, आपके प्रेरणा स्रोत हैं डा0 लोहिया ने कहा है एक स्थान पर उनकी पंक्तियां हैं-"शिव का मस्तिष्क बोले, कृष्ण का हृदय और राम का कर्म, वचन दो" हम रामराज्य की बात करते हैं वह सीताराम राज्य की बात करते हैं इसको साम्प्रदायिकता के दायरे में बांधा गया तो लोहिया जी की आत्मा बख्शेगी नहीं। जब आए तो लोहिया जी का साहित्य लेकर आये थे लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे बजट का एक तिहाई या 25 परसेंट कह लें कि जो आज मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, साम्प्रदायिकता का पाखण्ड करके दंगे कराये जा रहे हैं। अलीगढ़ में दंगा कराया गया, आगरा में जी हो रहा है, आज भी अखबार में आया है, वैसे यहां उद्धरण देने की प्रथा नहीं है। आज भी एक मंत्री

के बारे में है कि उनके काफिले से गोली चली इसकी जांच करनी होगी। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन एक निरीह महिला को एन0एस0ए0 में डाल दिया जाता है, यह साम्प्रदायिकता के नाम पर क्या हो रहा है, इस पाखण्ड को खत्म करना होगा। वह हिन्दू है या मुसलमान है, अगर देश की धरती में पैदा हुआ है तो वह भारत माता का बेटा है। जो भी हो उसे भी इसे "मां" मानकर चलना चाहिये और हमें भाई मानकर चलना चाहिये। अगर चुनाव जीतने के लिये, लोकप्रियता बढ़ाने के लिये कोई साम्प्रदायिकता और दंगे का सहारा लेता है तो वह देशद्रोही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे सामने कोई मजबूरी नहीं है। आप हृदय पर हाथ रखकर कहें कि उस महिला के साथ जो कुछ हुआ है, वह उचित हुआ है। ये जवाब दें या न दें लेकिन मैं कहता हूं कि उचित नहीं हुआ। इतने दिन तक वह महिला जेल में सड़ती रही। आप और मेरे में एक ही अन्तर हो सकता है, आप आगरा गये थे और आपने कह दिया कि जिस मंत्री पर आरोप है वह निर्दोष है। मैं भी गया था लेकिन मैंने कहा कि बिना आरोप सिद्ध हुये मैं दोषारोपण नहीं कर सकता हूं। किसी को अपराध की सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसकी जांच न हो जाये। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। प्रदेश में बार-बार चुनाव हों, बार-बार अस्थिरता पैदा हो, लेकिन मान्यवर, खतरा दूसरों से नहीं है, खतरा डोली के कहारों से है। इसलिये जिनके कंधों पर आप सरकार को लेकर चल रहे हैं, वही इस सरकार को गिरायेंगे और आप जो कुछ करना चाहते हैं वह कुछ कर नहीं पायेंगे। मैं संक्षेप में ही बोलना चाहता हूं, नहीं तो मैं इसे कल तक जारी रख सकता हूं।

आपने किसी उद्देश्य से कहा हो लेकिन जब लोकल बाडी के चुनाव हो रहे थे, उस समय नामित सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का औचित्य क्या था ? यह अधिनियम आपका बनाया हुआ था, ऐक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट फैसला आया है कि नामित होने वाले सदस्य मरसी पर होंगे। एक ही आदेश से सरकार इन्हें खारिज कर सकती और एक ही आदेश से सरकार उन्हें नामित कर सकती है।.....

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह ऐक्ट में संशोधन करने की बात है। आप ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संशोधन करें। एक जी0 ओ0 इश्यू करके अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र की सारी व्यवस्था अपनी मर्जी से चले यह संभव नहीं हो पायेगा। मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के पास एक अखाड़ा था वहां पर एक पहलवान श्री वजीर हसन थे, जब वह कभी-कभी खाली होते थे तो मस्ती के साथ खालगोई किया करते थे वह कहते थे कि "दगा किसी का सगा नहीं होता, आजमाकर देखो, और जिन्होंने-जिन्होंने दगा किया है उनके-उनके घर देखो। मान्यवर, मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता लेकिन कानपुर में जो कालगर्ल रैकेट पकड़ा गया है अगर वह सारे नाम इस सदन में बताये जायें तो बहुतों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इसलिये कि मैं इस सदन को [× × ×] नहीं बनाना चाहता अगर [× × ×] चलाने वाले लोग इस सदन के सम्मानित सदस्य व मंत्री बनकर बैठेंगे तो या खुदा खैर करें।

नोटः-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष-

यह शब्द आप न इस्तेमाल करें। यह [xxx] शब्द अशोभनीय है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैंने रैकेट का नाम लिया है।

श्री उपाध्याक्ष-

इस सम्मानित सदन में जहां पर महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं इस सदन का गौरव न गिरायें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अगर कोई अशोभनीय शब्द या बात है तो उसको कार्यवाही से निकलवा दें। मैं अपेक्षा करता हूं कि मैंने जो बातें कहीं हैं जब मुख्यमंत्री उत्तर देंगे तो उसमें इन बातों का उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हों वह अपनी पार्टी के नेता को अपना नाम लिखकर यहां भिजवा दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मैंने सदन में प्रस्तुत बजट भाषण पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण यहां प्रस्तुत किया था वह केवल ख्याली पुलाव और झूठ का पुलिंदा के अलावा और कुछ नहीं रहा है और साथ ही साथ पूरे बजट भाषण में आपके वक्तव्य के माध्यम से जो निष्कर्ष निकला है, वह पूरे का पूरा विरोधाभाष का पर्याय है। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश में कानून राज की बहाली की बात तो करते हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर [× × ×] यह तो वही हुआ कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए कहा जाय। जिस प्रकार से बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती उसी प्रकार से गुण्डे माफिया उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी यह बजट भाषण चल रहा है इसलिये जो सार्थक सुझाव हैं वहीं दीजिये। इस प्रकार की बातें तो आप बाद में भी कर सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप तो हम सबके संरक्षक हैं। हमें अपनी बात रखने में टोका-टाकी करेंगें तो हमें अपनी बात रखने में कठिनाई होगी। यदि आप कहें तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं चाहता हूं कि सार्थक सुझाव आयें। आप बोलें।

नोट:-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सरकार जो पूरे उत्तर प्रदेश में [× ××]की पर्याय बन गयी है, अतः कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है और न ही सत्ता का शासन में कोई नियंत्रण रह गया है। आज उसी का परिणाम यह है कि इस प्रदेश में तीन बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, भले ही साझे में रही लेकिन जब हमारा शासन था तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा मजबूत था।

(झूठ-झूठ की आवाजें)

भाईचारा का सबसे बड़ा निशान यह है कि पूरे प्रदेश में एक भी मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी मिसाल है।

(बी0जे0पी0 साथ थी की आवाज आयी)

बी0 जे0पी0 साथ थी फिर भी हिन्दू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने जो वचन जनता को दिया था हम कानून राज की स्थापना करेंगे और भाईचारा पैदा करेंगे उसे करके दिखाया। जो हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई आपस में भाई-भाई की भाईचारे की भावना थी उसका यह सरकार चारा बना रही है। इनके आते ही क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में हिन्दू मुसलमान दंगा की शुरुआत हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं और तीसरे दिन बरेली में शुरूआत हो जाती है। वहां पर दंगा हो जाता है और उसके ठीक बाद ही बरेली में दो समुदायों के बीच में मारपीट हो जाती है और साम्प्रदायिक दंगा होते-होते रह जाता है। इसी तरह से 22 तारीख को मेरठ में बड़े पैमाने पर दंगा होता है, उन्माद होता है और हिंसा होती है, आगजनी होती है। इसी तरह से अलीगढ़ में हिन्दू मुसलमान के बीच में जातीय हिंसा होती है और भाईचारे को तोड़ने की साजिश की जाती है। पूरे प्रदेश में इन दंगों के माध्यम से हिन्दू मुसलमान के भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है एक गठित साजिश के तहत हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे कराने की साजिश की जाती है। मान्यवर, इसी के ठीक बाद देवरिया में बड़े पैमाने पर हिंसा और कुशीनगर में इसी तरीके की घटना होती है, जिसमें डी0 एम0 और एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही होती है। मान्यवर, इसी तरीके से आपके आगरा में एक घटना में दो-दो जानें गयीं मैं यहां के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपके लखनऊ में भी हिन्दू-मुस्लिम भाई-चारे के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया लेकिन मान्यवर, हम सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठाते हैं कि क्या कारण है कि जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब-तब हिन्दू-मुस्लिम दंगे की शुरूआत होती है, यह दंगे बहुजन समाज पार्टी की तीन बार सरकार बनने पर उसकी हुकूमत में क्यों नहीं हुए ? इसका मतलब है कि सत्ता में बैठने वाले लोगों की नीयत में कहीं न कहीं खोट है जो हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ करके हिन्दु और मुसलमान के खून पर उनकी लाश पर सत्ता में जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह मानवता के लिये बहुत बड़ा कलंक है, इस साजिश को हम बेनकाब कर देना चाहते हैं। इस घिनौने खेल को खेलने वालों को बाज आना चाहिये। मान्यवर,

---

नोट :— [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अभी ये रोज कहते हैं कि सरकार में कानूनी राज बड़ा तेज चल रहा है, सरकार में कानूनी नियंत्रण है, आपके इसी लखनऊ में मान्यवर, कम से कम एक दर्जन वारदातें जिसमें हत्या, लूट, अपहरण आदि की घटनायें रहती हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता हूं। मान्यवर, अगर पूरे प्रदेश का संज्ञान लें तो हम जानते हैं सरकार कभी भी आंकड़े सामने इसलिये नहीं रखेगी क्योंकि उससे उसका चेहरा बेनकाब हो जायेगा, पूरे प्रदेश में, जनपदों में हत्याओं का जोर चल रहा है, आपराधिक घटनाओं की भरमार आयी है, उसे देखते हुये यह लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और असहाय हो चुकी है, कर्तव्यविमूढ़ हो चुकी है, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, आज के इसके कार्यों को देखने से जो मिलता है उसका परिणाम यह आता है कि पूरे प्रदेश में और जनपदों में साढ़े तीन सौ से लेकर चार सौ हत्यायें प्रतिदिन हो रही हैं, जो चौकाने लायक हैं, मैं कह देना चाहता हूं, मान्यवर, इसी तरीके से पूरे प्रदेश

(व्यवधान)

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कोई भी माननीय सदस्य विधान सभा में अपनी बात रखता है तो वह तथ्यात्मक बात रखें। प्रतिदिन साढ़े तीन सौ, चार सौ हत्याओं की जो बात माननीय सदस्य ने कही है, इस बात की आप जांच करवा लीजिये, नहीं तो आप इस बात को कार्यवाही से निकलवाइये, आपको पूरा अधिकार है, आपके कहने से जो आदमी या सदस्य बोलता है वह कुछ भी बोलने के लिये अधिकारी नही है, यह सदन है, यहां नियम, संविधान और परम्पराओं का ख्याल रख कर बोलेगा, यहां कोई बात ऐसे ही बोल देने की छूट नहीं दी जा सकती है।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, जो छिनरा वही डोली संग, जब डोली उठाने वालों की ही नीयत सही नहीं है तो औरत की इज्जत कैसे सुरक्षित रह सकती है। मान्यवर, अभी इसी अक्टूबर महीने में इसी सरकार के एक मंत्री के साथ ही साथ कुछ और 45 सहयोगियों के खिलाफ मान्यवर, बलिया में डकैती, हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ। मान्यवर, मैं आपसे यह कह रहा हूं, यह तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। यह एक मैंने एक बात रखी। सरकार के मंत्री के खिलाफ जब एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जा रही थी तब मजिस्ट्रेट की अदालत से आदेश होता है, हत्या, डकैती जैसे जघन्य अपराधों पर कार्यवाई करने का रिपोर्ट लिखने का ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

चूंकि आपने बलिया के एक मंत्री का उल्लेख किया है भले ही नाम नहीं लिया है मैं बलिया से आता हूं और इस मंत्रि परिषद् का सदस्य भी हूं मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजनीतिक आन्दोलन में कभी भी एफ0 आई0 आर0 दर्ज होती है तो उसमें राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक आन्दोलन करते हुये यह कर्म हुआ, नहीं आता है। मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य पर कोई आपराधिक मुकदमा ऐसा नहीं लिखा गया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। राजनीतिक आन्दोलनों में शामिल होने के कारण कोई एफ0 आई0 आर0 लिखवाई गई हो वह अलग है, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और न लम्बित है। मैं जब मान्यवर, इस बात को कह रहा हूं तो जिम्मेदारी लेता हूं मैं चुनौती के तौर पर यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में यह छोटा-मोटा पद है, मौर्या जी इस बात को सुनिश्चित कर ले कि अगर उसके बाद भी यह बात कहना चाहते हैं तो उनको तथ्य सदन में देना पड़ेगा। किसी राजनीतिक आन्दोलन के तहत कोई मुकदमा किसी सदस्य या राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ लगाया जाता है तो वह डकैती नहीं है भले ही उसमें डकैती लिखी जाये।

मान्यवर, इमरजेन्सी में बहुत से लोग 19 महीनों तक जेलों में रहे हैं उनके विरुद्ध इसी तरह के मुकदमें दर्ज होते थे कि बैंक लूट लिया गया, डकैती पड़ गयी या हत्या की घटना हुई। तो यह गैर जिम्मेदारी भरी बात सदन मे कहना ठीक नहीं है। आप सदन में मंत्री भी रहे हैं और कभी-कभी 48 घंटे के लिये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं आपको इतनी गैर जिम्मेदारी से कोई बात कहना शोभा नहीं देता ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह जो मैंने कहा मैंने बताया कि मजिस्ट्रेट की अदालत से आदेश हुए थे।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय अम्बिका चौधरी जी जिम्मेदार आदमी है उन्होंने जो बात कही है उसमें यदि आपके पास कोई सही प्रमाण हो जो उनकी बात के विपरीत हो तो आप बता दें अन्यथा ऐसा आक्षेप न लगाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हो सकता है कोई दूसरी बात रही हो लेकिन हत्या, डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मौर्य जी जो तथ्य यहां पर रख रहे हैं वह पूरी तरह से सदन को गुमराह कर रहे हैं और जितना भी उन्होंने अब तक भाषण दिया है वह सारा फर्जी है और झूठ का पुलिन्दा है। मान्यवर, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से मौर्या जी को जानता हूं। माननीय मौर्या जी और मैंने युवा लोक दल में काम किया है हम लोग दरी पर कार्यालय में सोते थे। तब भी माननीय मौर्या जी को ऐसी बातें कहते रहने की बीमारी थी। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी उनसे कहते थे कि तुम अपना इलाज नूर मंजिल में करवा लो। और जो पैसा लगेगा हम दे देंगे। मान्यवर, आज भी मौर्या जी को वह आदत नहीं गयी है वह नूर मंजिल में अपना इलाज करवा लें ताकि उनका दिमाक फूलप्रूफ रहे और जो भी खर्चा आयेगा वह मैं देने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

यह आपकी आपस की बातें हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह हमारे पुराने दोस्त हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब भी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि इनकी आदत हल्लाबोल की है इसलिए अच्छी बात को भी ये हल्लाबोल में ले जाना चाहते हैं इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहता हूं। मान्यवर, सबसे पहली बात माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊं दूर जाने की बात नहीं है, इटावा की सीमा पर चम्बल की घाटी लगी हुई है तीन-तीन कुख्यात डकैतों के गिरोह सक्रिय हैं उसमें से मुख्यमंत्री जी जब से शपथ लिये हैं तब से कम से कम तीन दर्जन लोगों की पकड़ हो गयी है आज तक उसमें से एक दो वापस आये हैं शेष अभी लापता हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले का हाल है। इसी तरीके से आपके लखनऊ में आये दिन हत्यायें हो जाती हैं। अभी कैसरबाग में एक हत्या हो गयी थी, मोहनलाल गंज में हो गयी। अगर इस तरह से गिनवाने लगें तो बहुत हो जायेगा, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मान्यवर, अभी-अभी पडरौना में 34 लाख की बैंक डकैती हो गयी थी, कानपुर में इसी प्रकार की डकैती हो गयी, इसी तरह से पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। इससे परिलक्षित हो जाता है कि स्थिति ठीक नहीं है। इसी के साथ-साथ दलित उत्पीड़न की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं और भाईचारा इतना बिगड़ा कि केवल हिन्दू मुस्लिम दंगे ही नहीं जातीय दंगें भी शुरू हो गये, जातीय उन्माद भी शुरू हो गये। पड़ौसी जिले उन्नाव में ही देख लें। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रदेश रहेगा, यह देश रहेगा तो हम सभी रहेंगे अगर देश और प्रदेश नहीं रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा इसलिए मान्यवर, हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ता हुआ भाईचारा है जो साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है उस भाईचारा को बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है आपको अपने दामन में झांककर देखना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारे ही सत्ता में आने के बाद बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, हिन्दू-मुस्लिम के दंगे होते हैं, जातीय उन्माद के दंगे होते हैं।

इसी के साथ-साथ मान्यवर, जगह-जगह पर जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रहीं हैं और इससे भी बढ़कर आज तो जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। अभी हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन यह सरकार जब से आयी है बदले की भावना में बहुजन समाज पार्टी के एक नहीं लगभग दर्जन भर विधायकों के साथ घिनौना खेल खेलने से बाज नहीं आ रही हैं, छोटी-छोटी बात पर उतारू हो गयी है। यह हमारी व्यवस्था नहीं है, सरकार की व्यवस्था है कि प्रत्येक विधायक को एक निःशुल्क गनर दिया जाता है। मान्यवर, हम 2-3 लोगों की बात नहीं करते हो सकता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में न हो, आगरा के हमारे विधायक किशन लाल बघेल जी हैं और प्रेम प्रकाश भारती जी एम0एल0सी0 हैं मान्यवर, जो सरकार ने सर्वमान्य तौर से एक व्यवस्था की है वह व्यवस्था भी उनसे हटा ली गयी। किशन लाल बघेल जी के पास एक गनर था, वह उनसे हटा लिया गया। इसी तरह धर्म प्रकाश भारती के पास एक गनर था, वह भी हटा लिया गया, इससे कहीं न कहीं सरकार की दुर्भावनायें जाहिर होती हैं। इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हसंवा के विधायक श्री अयोध्या प्रसाद पाल पर 24 घन्टे के अन्दर 3 मुकदमें दर्ज कराये जाते हैं, हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने उन पर रोक लगा दी। इसी तरह फतेहपुर के विधायक श्री आनन्द प्रकाश लोधी के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज कराये गये, उस पर भी माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी। यह सारी बातें रखकर मैं नेता सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि यह सारी चीजें उनकी जानकारी में हो रही हैं। इसी तरह विनय

शाक्य, जिनके ऊपर एक भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, उन पर भी 24 घन्टे में 3-3 मुकदमें दर्ज कराये जाते हैं और कुर्की के आदेश हो जाते हैं। आज वह विधायक अपनी जान बचाकर भागा-भागा फिर रहा है।

इसी तरह रमेश बिन्द जो डिग्री होल्डर डाक्टर हैं और आज तक वह कभी प्रैक्टिस किये ही नहीं। फिर भी उनको फर्जी प्रैक्टिस के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार को सहयोग देने से मना कर दिया था। यह इस सरकार के काम करने की मंशा है। इसी प्रकार मदन सिंह गौतम का सरकार के इशारे पर घर कुर्क किया गया और उनको परेशान किया गया। इसी प्रकार सुरेन्द्र पाल वर्मा, घूराम, मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, अनिल कुमार को सरकार को सहयोग देने से मना करने पर प्रताड़ित किया जाता है, उनसे कहा गया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मुजतबा सिद्दीकी के मामले में बताना चाहता हूं कि लोन किसी ने लिया, आर0सी0 किसी के नाम पर और कुर्की हुयी विधायक की। इस तरह पूरे प्रदेश में सरकारी [x x x] चल रहा है तो फिर यह सरकार [x x x] पर कैसे अकुंश लगायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें, आपको काफी समय हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अब मैं घोषणाओं की बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, अच्छी भावना में करते होंगे। लेकिन चूंकि आपकी चल नहीं रही है, इसलिये सब निष्प्रभावी हैं। जैसे 14 घन्टे बिजली, कहीं भी नहीं है।

आपको विकास करने की इच्छा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के माध्यम से जो प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और दबे कुचले लोगों का विकास होता था वह गांव जो बहुत पिछड़े थे वहा इस योजना के माध्यम से सड़क, बिजली पानी, स्कूल पंचायत भवन इत्यादि मुहैया कराये जा रहे थे, आज उस पर रोक लगी है। सरकार द्वारा विधायकों से अम्बेडकर ग्राम की सूची का प्रस्ताव मांगा गया था और चूंकि विधायकों के माध्यम से प्रस्ताव आया था इसलिए जनता यह सोचती थी कि विधायकों के द्वारा नाम दिया गया है इसलिए उनका विकास हो जायेगा और वह जनता अब विधायकों से पूछती है कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ ? इस सरकार ने इन सारे विकास कार्यों को रोक दिया है।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सदन चूंकि भ्रमित किया जा रहा है और प्रदेश की जनता को गलत सूचना दी जा रही है कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बात कहे जिसकी सच्चाई ही न हो, मान्यवर, आप विदित हैं आप भी इसी सदन के सदस्य हैं, इन्हीं की सरकार के समय में विद्युतीकरण वापस लिया गया था, माननीय सदस्यों से यह अधिकार वापस लिया गया था। इसलिए यह आप का पाप है, आप अपना पाप हमारे सर कैसे मढ़ सकते हैं।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं जो कुछ कह रहा हूं, तथ्यात्मक कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के उत्पाद का सही मूल्य दिलाने की इच्छा रखते हैं लेकिन 3 महीनें बीत जाने के बाद भी आज तक गन्ना किसानों के गन्ने का दाम सुनिश्चित नहीं हो पाया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं बिल्कुल संक्षेप में करके समाप्त ही करने जा रहा हूं। मैं कह रहा था कि सरकार करना चाहती है लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं है इसलिए गन्ना किसानों के गन्ने का दाम आज तक तय नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से अभी माननीय नेता विरोधी दल ने इशारा किया कि अस्पतालों के पर्चे में कमी कर दी गयी लेकिन जो दवायें हैं उसमें दो गुने की बढ़ोत्तरी कर दी गयी। इसलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए यह [× × ×] आश्वासन दिये जा रहे हैं। यह सरकार अपने ही कदमों से बेनकाब हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज यह उत्तर प्रदेश की सरकार पंगु हो गयी है, असहाय है इसलिए उत्तर प्रदेश में एक समानान्तर सरकार है। उत्तर प्रदेश की समानान्तर सरकार है उत्तर प्रदेश विकास परिषद् । एक तरफ तो कहते हैं कि फिजूलखर्ची में कटौती करनी है और दूसरी तरफ खर्च में वृद्धि के लिए 100 मंत्रियों का अमलीजामा है। जब इतने मंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाने का औचित्य क्या है ?

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल क्यों झोंकना चाहते हैं अगर आप वाकई विकास करना चाहते हैं तो जो आपके पास मंत्रियों का अमलीजामा है उससे काम लीजिए। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बना करके और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथों में प्रदेश को देने से उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, यह बहुत सोचनीय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम-187 देखें। नियम-187 आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के संबंध में है। इसका उप नियम-3 देख लें-"यदि अध्यक्ष उपयुक्त समझें तो वे भाषणों की समय सीमा विहित कर सकेंगे।" यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। जब भी बजट पर सामान्य चर्चा होती है तो श्रीमन् नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, इन दो के लिए कभी कोई समय-सीमा नहीं होती। अगर अन्य किसी विषय पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं तो क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। उनको विशेषाधिकार होता है और बीच में भी कोई बात रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त चर्चा में भाग लेने के लिये सदस्य संख्या के हिसाब से जिस दल की जितनी संख्या है उसके हिसाब से समय का आवंटन होता है और दलीय नेताओं के लिए समय-सीमा निश्चित होती है। मान्यवर, पूर्व परम्पराओं को देख लें। किसी भी स्थिति में दलीय नेताओं को 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया गया।

नोटः-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दूसरी बात मान्यवर, यह पीठ का अधिक र है आपकी अनुमति के बाद जितना बोला गया वही कार्यवाही का भाग माना जायेगा। आपकी अनुमति न होने के बाद मौर्या जी प्रलाप कर रहे थे उसको समाप्त कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

मौर्य जी, अब आप समाप्त करिये आप निर्धारित समय से ज्यादा बोल गये हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जिस नियम का उल्लेख किया गया उससे सहमत हूं लेकिन उसी नियम में यह भी दिया गया है कि सामान्य चर्चा 5 दिन की होनी चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

पांच दिन की चर्चा में ही 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। दो दिन की चर्चा में 15 मिनट नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कहां तक आप नियमों का उल्लेख करेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने को पंगु मानकर उत्तर प्रदेश विकास परिषद् को ऊर्जा, चीनी, मिल आवास एवं पर्यटन उद्योग को सौंप करके इस बात को साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी निर्णय लेने में समक्ष नहीं है। [xxx] .....

श्री अम्बिका चौधरी-

[xxx] इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए उनके संबंध में जो बोला गया है उसे कार्यवाही से निकाल दिय जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसलिये बोल रहे हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, यह सदन नियमों से चलता है। इस सदन के सदस्य नहीं है इसलिए उनके संबंध में कहना उचित नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जब सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है तो इस सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया बैठ जाइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट:-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने जो भी कहा है वह मर्यादा के विपरीत है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मा0 सदस्य के इस आचरण की निन्दा करता है और ऐसे शब्द जो इस सदन में इस सरकार के लिए और ऐसे सदस्य के लिए बोले गये हैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्य सभा के सदस्य है उनके लिए बोले गये हैं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे सदस्य के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव लाया जाय।

(व्यवधान)

मा0 उपाध्यक्ष जी, मेरे मन को बहुत कष्ट है और इसलिए कि मैं इस सदन का बहुत पुराना सदस्य हूं। मेरे साथ-साथ इस सदन के सदस्यों की खामोशी, उनकी जिज्ञासा साबित कर रही है कि सदस्यों को कितना कष्ट है। सदन को चलाने की कोशिश यह होनी चाहिए कि उसकी खोई हुई मर्यादा वापस आनी चाहिए। मा0 नेता सदन जो आचरण रखते हैं उसको यह लोग मिटाना चाहते हैं, और पुराना माहौल लाना चाहते हैं, कटुता का माहौल लाना चाहते हैं। मैंने कहा था कि बहुत दिन हो गये हमें एक-दूसरे से नफरत करते हुए आओ प्यार करके देखे। केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका संज्ञान लें।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी आपने जो शब्द बोले हैं, उन्हें वापस लेते हैं या मैं इनका संज्ञान ले लूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो निन्दनीय हो, मैंने तो वही बात कही है जो सच है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है वह सच कहा है तो फिर इन्हें मिर्ची क्यों लगी ? मान्यवर, [×××] मैं आपके माध्यम से सही बात तो इस सदन में रखूंगा ही।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सदन में यह जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो उत्तेजनात्मक माहौल पैदा हो गया है यदि ऐसी बातें होंगी तो ऐसी बातों से यह स्थिति स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाएगी। मान्यवर, यह जो स्थितियां हैं यह सदन में नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा हुई हैं। मान्यवर,यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज माननीय मुलायम सिंह यादव इस सदन के नेता हैं, यहां उपस्थित सदस्यों में यह सबसे पुराने सदस्य हैं। मान्यवर, इस सदन में बहुत सी बातें हैं जो काफी बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती हैं निश्चित रूप से यह स्थिति जो पैदा हुई है इससे बुरा लगना स्वाभाविक है। मान्यवर, लेकिन इसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो संज्ञान लेने की बात कही है, इसी को आपस में बात-चीत करके भी हल किया जा सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने संज्ञान में लेने के लिए कहा था।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन नियमों के अनुसार ही चले। सदन की मर्यादा कैसे बनी रहे हम सबको इस विषय पर मिलकर विचार करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी सन् 1977 से बल्कि 1974 से माननीय नेता सदन के साथ मिलकर काम किया है। हमें ऐसे कई अवसर मिले हैं, मैंने माननीय नेता सदन को देखा है कि उन्होंने कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। इस सदन में परम्परागत तरीके से ही सभी बातें होती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है जब उसके बारे में अनाप-शनाप, अनर्गल बातें की जायेंगी तो अ:श्य कष्ट होगा। हम सबका प्रयास तो यह होना चाहिए कि सदन कैसे शान्तिपूर्वक चले, कैसे सदन में मर्यादा स्थापित हो। मान्यवर, ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। मान्यवर, यह जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं यह व्यवहारिक अन्तर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन में ऐसा कोई आचरण न किया जाय जिससे आपसी मतभेद पैदा हों, इससे कष्ट होता है। इस सदन में ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जो परम्परा के अनुकूल न हो और मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जिन बातों से आपसी मतभेद पैदा हो रहे हैं, जो मन को कष्ट पहुंचाने वाली बातें हैं, ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय जो उत्तेजनात्मक माहौल पैदा करते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने जो कहा है कि हम लोग साथ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़े-बड़े नेताओं के साथ रहा हूं मैं माननीय चौधरी साहब के साथ रहा हूं, मैं माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के साथ रहा हूं, श्री नारायण दत्त तिवारी जी के साथ रहा हूं और सौभाग्य से मैं सात साल लोक सभा में भी रहा हूं। कहना नहीं चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री जी किसी का नाम लेते थे उत्तर देते हुए तो हमारा नाम लेते हैं। अनावश्यक रूप से कटुतापूर्ण भाषा का प्रयोग न हो। मैंने शुरू में कहा था ऐसे लोग संसदीय राजनीति में पारंगत नहीं हो सकते। माननीय सदस्य के बारे में जो कुछ कहा गया है, हम समझते हैं कि वह पढ़े-लिखे हैं, वकील हैं लेकिन वह लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

वैचारिक दृष्टि से हम बहस चाहते हैं और वैचारिक दृष्टि से बहस न होने से कटुता बढ़ती है। हम प्रदेश में कटुता दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन किस तरह से गरीबों की जमीनों पर कब्जे किये हैं, किस तरह से हेराफेरी करके कई एकड़ जमीन ले ली गयी लेकिन उसके बारे में हमने आजतक नही कहा। आपने बिना सोचे समझे बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाये। आज ही नहीं लगातार मैं देख रहा हूं, आप मंत्री रह चुके हैं, आप बे-बुनियाद आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दुखी होकर संज्ञान में लाने की बात कही है। निन्दा का प्रस्ताव आवश्यक नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय संज्ञान में ले सकते हैं। आपने भी कहा है कि आरोप या तो वापस लें नहीं तो मैं संज्ञान में लूंगा। उसके बाद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। संसदीय प्रणाली इस तरह नहीं चलती है। यह सदन उत्तर प्रदेश का दर्पण है। जो हम यहां करते हैं उसको जनता देखती है। जो राजनीति में आये हैं वह इसको देख रहे हैं। वह इससे क्या प्रेरणा लेंगे। दुखी होकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने संज्ञान में लेने की बात कही है। किसी के

खिलाफ दुर्भावना से कार्यवाही करने के पक्ष में हम नहीं हैं। उनका ... आचरण ऐसा है। आपके चेंबर में भी यही बात होती है। पता नहीं दिमाग में क्या भर हुआ है। ... माण देकर कटघरे में खड़ा कर दूंगा। ऐसे प्रमाण हैं कि बहुतों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है लेकिन जैसा मैंने कहा बदले की भावना से कोई कार्य हमने नहीं किया है। आपने जिनका नाम लिया थोड़ा सा आपको लिहाज करना चाहिये। ऐसी बातों पर नियंत्रण होना चाहिये। सदन में यदि ऐसा आचरण करेंगे तो कैसे होगा, इससे क्या लोग सीखेंगे। कहीं न कहीं खूंटा गाड़ना पड़ेगा नहीं तो मजबूरी में हमें कदम उठाना पड़ेगा, प्रदेश की जनता के हित में, ईमानदारी के हित में, । आप बतायें, एक भी उदाहरण कि कहीं भी बदले की भावना से किसी को जेल भेजा हो अभी तक मेरे पास 10-10, 5-5 फाइलें आई हैं कितने लोगों को आपने जेल भेजा है। क्या टंडन जी मामूली बात कह गए उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में कहा है और बड़े उच्च स्तर पर कहा है क्या यह मामूली बात है ? जो बात प्रमोद कुमार जी और राम नरेश यादव जी ने उठाई है वह क्या मामूली बात है। मेरी देश भक्ति पर क्या कोई शक कर सकता है। मैंने जब-जब लोक सभा में भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्यादा मेजें थपथपाई लाबी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पास आकर चूमा व छाती से लगा लिया। मेरा मामूली इतिहास नहीं है। आप उस इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं तो यह तय करना पड़ेगा कि किस सीमा में यह बोलेंगे और किस सीमा तक हम चुप रहेंगे ? हमने अभी बदले की भावना से काम नहीं किया है जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं अगर हमने कलम मारी तो मुश्किल होगा। हमें मजबूर मत करिए।

श्री उपाध्यक्ष-

स्वामी प्रसाद मौर्य जी वरिष्ठ सदस्य हैं। नेता सदन ने अपने विशाल हृदय का इस वक्त प्रदर्शन किया है। श्री मौर्य जी द्वारा कही गई वह सारी बातें जो संसदीय नहीं हैं वह कार्यवाही से निकाल दी जाऐगी। यह पूरे सदन की गरिमा कि बात है माननीय सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जो असंसदीय हों।

जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उसको वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय नेता सदन के कहने के बाद मेरी बात का औचित्य नहीं रह जाता है। मैंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार-

उपाध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे श्री मुलायम सिंह जी नेता सदन द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले अपनी ओर से और अपने विधान मण्डल दल की ओर से श्री मुलायम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का स्वागत करता हूं। और इसका समर्थन करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी कटुता हुई यह कटुता क्यों हुई उसके लिए आपने गलत कारण बताया। यह कटुता इनकी भाषा की वजह से नहीं यह कटुता इसलिए हुई क्योंकि बजट की आलोचना करने के लिए कुछ है ही नहीं तो कटुता के सिवाय क्या कर सकते हैं ? मैं बहुत गम्भीरता से श्री लाल जी टण्डन और श्री मौर्य जी के भाषण को सुन रहा था मैं भी 23 साल से इस सदन का सदस्य हूं। दोनों नेताओं ने बजट भाषण के एक अंश की आलोचना नहीं की न ही वह कर पाए वह कानून व्यवस्था पर.....

पता नहीं कौन-कौन कहां चला गया खुद ही नहीं मालूम। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इन दोनों नेताओं का जो भाषण है उसमें एक बिन्दु की भी आलोचना नहीं है। यही इस सरकार की सफलता का सबसे बड़ा नमूना है (मेजें थपथपाई गई) टंडन जी के भाषण से बाजपेई जी आप बता दें अगर उसमें कहीं बजट की आलोचना आई हो। नहीं हुई है तो मैं इतना कह सकता हूं कि एक दुःखद अध्याय की तरह इस सारे अध्याय को समाप्त कर दिया जाय। मौर्या जी सबक लेना चाहिए। हो सकता है कि गलती से निकल गया होगा। मैं कष्ट समझ सकता हूं। आगे भाषा के प्रयोग में हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ।

मैं एक बार फिर से इस बजट का स्वागत करता हूं। मैं दो तीन बातें जोड़ना चाहता हूं जिस पर आज विचार करने की आवश्यकता है। मेरे से वरिष्ठ सदस्य हैं वह बता दें कि कब किसकी सरकार के तीन महीने के बजट पर चर्चा हुई है। मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है। यह तीन महीने का बजट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जब आपको मार्च में मौका मिला था तो आपको अप्रैल में बजट प्रस्तुत कर देना चाहिए था। मैं बहुत ही गम्भीर बात कह रहा हूं और आज प्रदेश जवाब चाहता है इसका। आपकी सरकार थी आपको 31 मार्च, 2003 के पूर्व इस प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत कर देना चाहिए था। आपकी सरकार उसके बहुत पहले बन चुकी थी। आपने यह बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया ? नहीं प्रस्तुत किया तो क्या कारण था ? गुनहगार निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबन्धन की सरकार है। मैंने आज तक अपने जीवन में सुना था कि एक महीने दो महीने ज्यादा से ज्यादा तीन महीने का लेखानुदान होता था लेकिन यह 6 महीने का क्या कारण है, इसका जवाब जानना चाहता हूं और सदन को भी चाहिए ? मैं समझता था कि भाजपा और बसपा के नेता खड़े होकर बतायेंगे कि कहां पर गलती हुई क्यों हुई ? प्रदेश में कोई योजना नहीं चल पाई इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह सरकार नहीं है। इसका कारण आपकी सरकार है और अभी टंडन जी कह रहे थे कि उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि इस सरकार का खर्चा रोज ओवरड्राफ्ट से चलेगा। इस प्रदेश में आने वाली सरकार को ओवरड्राफ्ट की तरफ ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है ? आप लोगों ने इस बजट की आलोचना इसलिये नहीं की क्योंकि यदि आप इस बजट की आलोचना करते तो इनको अपनी सरकार की आलोचना करनी पड़ती और अपनी आलोचना करनी पड़ती। इसीलिये यह इस बजट की आलोचना नहीं कर पाये। आपने जो कमियाँ छोड़ी थीं उसको मुलायम सिंह सरकार ठीक कर रही है। लेखानुदान क्यों लाना पड़ा मुलायम सिंह सरकार को ? इस कारण लाना पड़ा क्योंकि सरकार बनी उसके तीन दिन बाद 6 महीने पूरे हो रहे थे और 6 महीने का अंतराल नहीं हो सकता था। 3/4 दिन रह गये थे तो इस सरकार के सामने रास्ता क्या था ? अगर यह लेखानुदान नहीं लाते तो सरकार और प्रदेश कैसे चलता ? आपको शालीनतापूर्वक खड़ा होकर कहना चाहिए था हमसे गल्ती हुई थी मुलायम सिंह यादव जी सुधार रहे हैं मैं धन्यवाद देता हूं आभार व्यक्त करता हूं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

जैसा टंडन जी ने कहा टंडन जी ने धूप में अपने बाल नहीं सुखाएं हैं उनके बाल ऐसे ही नहीं गिरे हैं अब आपने काले करा लिए यह और बात है मैं एक गम्भीर बात कहना चाहता हूं लेखानुदान क्यों लेना पड़ा अगर न लेते तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाता, संवैधानिक संकट से बचने के लिए लेखानुदान लिया था। मैं गम्भीरतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं राजनीति में विरोध में हम कहां तक

जाएंगे ? टंडन जी ने अभी एक बात कही, महत्वपूर्ण बात कही कि मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह जी और अखिलेश जी यह तीनों लोग हैं मुख्य विरोधी दल के नेता, सांसद और मुख्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी के रूप में इन्होंने गोपनीयता भंग की है, इन्होंने शपथ ली होगी, मुझे तो शपथ लिए बहुत दिन हो गए इसलिए शब्द याद नहीं है लेकिन जहां तक मुझे याद है उसमें लिखा है कि जब तक अति आवश्यक नहीं होगा, संविधान के लिए आवश्यक नहीं होगा तब तक गोपनीयता भंग नहीं करेंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गोपनीयता भंग की है। कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो गोपनीयता को भंग किया गया है टंडन जी को क्यों बताना जरूरी लगा ?

(व्यवधान)

एक बात टंडन जी ने कही उनका मतलब साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाले देशद्रोही से है क्या यह आपकी पार्टी से नाराज चल रहे हैं ?

(हंसी)

रथ यात्रा निकली उस समय कमीशन बैठा उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि [× × ×] यह कमीशन की रिपोर्ट है। [× × ×] टंडन जी की बात मान लें तो [× × ×] हो गये तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं नहीं कह रहा हूं [× × ×] कमीशन कह रहा है, टंडन जी कह रहे हैं। मान्यवर, [× × ×] ऐसा शब्द है जिसको कहने के पहले सौ बार सोचना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

किसी प्रकार से, किसी माध्यम से ऐसे व्यक्ति से विरुद्ध दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। यह माननीय टंडन जी ने विरोध में अर्थ का अनर्थ करते हुए [× × ×] शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए और जिस प्रकार बसपा नेता के खिलाफ निर्णय लिया है उसी प्रकार का निर्णय कांग्रेस के नेता के खिलाफ लें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मैं बहुत आदर टण्डन जी का करता हूं, टण्डन जी कुछ कहें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। वह नेता विरोधी दल हैं, वह साधारण सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कहा कि जो साम्प्रदायिकता बढ़ाते हैं, वह [× × ×] हैं, उन्होंने कहा कि नहीं कहा ? मुझे तो कमीशन की रिपोर्ट याद आ गयी जिसमें लिखा है कि [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष-

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था है कि सप्रमाण आरोप दिये जायेंगे और यदि अध्यक्ष पीठ उन आरोपों से सहमत हो जायेगी तब आरोप लगेंगे। अगर कांग्रेस विधान मण्डल दल के माननीय नेता इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

[×××] का नाम कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मुझे जो कहना था कह दिया, जिसे जो समझना था समझ लिया।

श्री उपाध्यक्ष-

अब न कहें।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी दशा देखकर हताश हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

शायद जो बातें मैंने कही थीं, वह इतनी गम्भीरता से न ली जाती, बाजपेयी जी ने टोका-टाकी कर इसे बहुत गम्भीर बना दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात टण्डन जी ने गम्भीरतापूर्वक कही है, उन्होंने कानपुर में एक सेक्स स्कैंडल के बारे में कहा है, उन्होंने तमाम बाते कह दी हैं। मैं नेता सदन से आग्रह करूंगा, माननीय आदरणीय नेता, विरोधी दल ने कहा है कि कानपुर में सेक्स स्कैंडल हुआ है, बहुत गम्भीरतापूर्वक कहा है। उन्होंने कहा है और मैं भी चाहता हूं कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 द्वारा करा लें जिससे ऐसे नाम सामने आ जायेंगे जिससे बहुत दिनों तक बोलने लायक वे लोग नहीं रहेंगे।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

हम तैयार हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा ताकि कोई भ्रम सदन में न हो, माननीय प्रमोद जी को भी न हो और प्रदेश की जनता को भी न हो। एक महिला का नाम इसमें आ रहा है, उसका नाम नहीं लेंगे लेकिन इस महिला का कोई सम्बन्ध समाजवादी पार्टी से नहीं है। समाचार पत्रों में भी इस तरह का आया है, मैं उसका खण्डन भी करता हूं। पत्रकारों को भी अवगत कराना चाहता हूं, यह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया से भी चला जाना चाहिए कि इस महिला के नाम का सम्बन्ध समाजवादी पार्टी से नहीं है और न किसी ऐसी महिला का सम्बन्ध समाजवादी पार्टी से हो सकता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं भी स्पष्ट कर देता हूं कि उसका समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध नहीं है।

मान्यवर, पार्टी की तरफ से 3-4 सुझाव मैं देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आपने जो दिशा निर्देश दिये हैं। कृपया गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और आपसे आग्रह करूंगा कि गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान शीघ्रता से करें। दूसरी बात मैं बेरोजगारी भत्ते के बारे में चाहूंगा कि इस बजट में या अगले बजट में उसके लिए कुछ दिशा संकेत हो। तीसरी बात कि यह प्रदेश अभूतपूर्व ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। परकेपिटा जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप यहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसके लिए वे सरकारें जिम्मेदार हैं जो 1989 से लेकर 2003 तक ज्यादा समय तक सत्ता में रहीं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

1989 से पहले किसकी सरकार थी। उसने ऊर्जा के लिए क्या किया ?

श्री प्रमोद कुमार-

आज जो विद्युत उत्पादन हो रहा है यह कांग्रेस सरकार की ही देन है। 1989 के बाद की सरकारों ने टांडा और थर्मल दोनों पावर हाउस आपने बेच दिये। मेरा सुझाव है कि पावर सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। जब तक बिजली नहीं होगी उद्योग नहीं होगा। आज बिजली के बगैर किसी देश या प्रदेश के विकास की बात नहीं सोची जा सकती। मैं चाहता हूं कि पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो। जब तक यह प्रदेश ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसलिए आप इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दें। एक बात यह कि यह जो घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें यह घाटा क्यों हुआ इसके निराकरण के लिए कुछ करें। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि बीच में गांवों के विकास के नाम पर सारा बजट चला गया था हमारे क्षेत्र में गांवों के लिए कुछ नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा कि विधायक निधि 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दें। यह सही है कि 5 गांवों वाली बात आपने शुरू की थी। यह योजना भाजपा और बसपा सरकार ने गांवों के विद्युतीकरण के नाम पर खत्म कर दी। एक बात और यह कि हर विधायक को कम से कम 100 हैण्डपम्प आप दे दीजिए और यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि उसका जो पानी निकले उससे उनको पानी दे दीजिए, इनको पानी पिला दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष-

नेता राष्ट्रीय लोक दल।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

मान्यवर, मेरा गला ठीक नहीं है मैं कल बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष-

नेता राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी उपस्थित नहीं है, नेता आकपा (माकपा)

*श्री राम स्वरूप सिंह-

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, जो नेता सदन ने बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि जो प्रमोद कुमार जी ने बिजली के बारे में कहा है, उसमें बजट बढ़ाना चाहिए। प्राइमरी शिक्षा की ओर, अध्यापकों की नियुक्ति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि गांव के बच्चों की प्राइमरी स्कूल में अनदेखी की जा रही है जिससे गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। तीसरा जो किसानों की किसी भी प्रकार का धन सरकार पर बकाया है चाहे वह जमीन का हो या किसी भी प्रकार का हो उसका भुगतान इस साल के अन्दर कर दिया जाय। कोई भी धन बकाया न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आपने मुझे समय दिया है उसमें अपनी बात समाप्त करते हुए कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। पहला यह है कि लखनऊ मेडिकल कालेज के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, धन्यवाद, लेकिन गोरखपुर का बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज करीब-करीब बन्द होने की कगार पर है। इसकी मान्यता निरस्त की जा चुकी है। पिछले सत्र में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सुचारू रूप से चले। किसी भी सरकार के मुख्य मंत्री की घोषणा उसके बाद आने वाले मुख्य मंत्री के लिए बराबर महत्व रखती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बजट में प्राविधान करके जितनी भी वित्तीय सुविधाओं की आवश्यकता है उसको करने की घोषणा करें। दूसरी चीज नगरीय विकास और पेयजल की समस्या का समाधान करने का वायदा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था। गोरखपुर में 22 वार्ड ऐसे हैं जहां पाइपलाइन उपस्थित नहीं है और तकरीबन दो तिहाई हिस्सा ऐसा है जहां सीवरेज का सिस्टम नहीं है। एक तिहाई हिस्सा है तो वह काम नहीं कर रहा है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी व्यवस्था करायें। आज नगरीय पेयजल की व्यवस्था इतनी खराब हो गयी है कि तीन अल्पसंख्यक बच्चों की दस दिन पहले मौत हो गयी और किसी भी अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया है। तीसरी बात यह है कि आपने निर्यात प्रोत्साहन के नाम पर विशेष चार आर्थिक जोन की स्थापना की बात कही थी। यह मुरादाबाद, भदोही, कानपुर तथा ग्रेटर नोयडा में स्थगित किये हैं। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर में गीडा की स्थापना की गयी थी और हम यह भी जानते हैं कि यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया था। करीब 70 लाख लोग विदेशों में बसे हैं जिसमें से बीस प्रतिशत परिवार उत्तर प्रदेश के हैं। यह बीस प्रतिशत इस प्रदेश के विकास में योगदान करने वाले हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि गोरखपुर में भी एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की जाय जिससे हम प्रदेश के विकास की कल्पना को साकार कर सके और जो बटवारे की मांग उठायी जा रही है उस समस्या का निदान हो सके। मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे। सिंचाई विभाग के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने नगर सुरक्षा योजना रखी है। 1998 तथा 2001 की भीषण बाढ़ के बाद हावट बांध अर्थात माधोपुर बांध के लिए 456 लाख की व्यवस्था की गयी थी....मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के आने के बाद इस नगर सुरक्षा योजना को बदल दिया गया है और महानगर की सुरक्षा के लिए जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे महत्वपूर्ण बांध है अर्थात् माधवपुर बांध उसके 456 लाख रुपये को घटा करके तकरीबन 90 लाख रुपये कर दिया गया है, इसलिए मेरा आग्रह है कि नगर सुरक्षा योजना में कोई परिवर्तन न किया जाय। यातायात और सड़क के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने लिखा है तो पूर्ववर्ती सरकार ने एक बाई पास का निर्माण गोरखपुर में करने के लिए धन आवंटित किया था, जिसमें कुछ लाख रुपये अवमुक्त भी हुए थे, लेकिन अब उस धनराशि के अवमुक्त होने पर रोक लगा दी गयी है जिसके कारण उस बाई पास के निर्माण का कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने बजट प्रस्ताव में उसका प्रावधान करें और जो रोक पूर्वान्चल विकास निधि पर लगाई गयी है, उसे हटा दें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

रोक हटा दी गयी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जो रोक हटाई गयी है वह राज्यांश है, पूर्वान्चल विकास निधि पर से रोक नहीं हटाई गयी है। मेरा आपसे आग्रह है कि जैसी पूर्व में व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक विधायक को समान अनुपात में पैसा बांट दिया जाता है वैसी ही व्यवस्था, राज्यांश में कर दी जाय और जितने विधायक हों उनकी संख्या घटाकर प्रत्येक विधायक को समान अधिकार दे दिये जायें। एक अन्तिम बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि आप आर्थिक रूप से बहुत मितव्ययी हैं, आपके माननीय अमर सिंह जी ने भी कहा है कि विकास परिषद् की स्थापना प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए की गयी है। मान्यवर, मेरा कहना है कि सरकार के मुख्य सचिव अभी 17 नवम्बर को गोरखपुर अपनी एक व्यक्तिगत परिवार की शादी में शामिल होने के लिए सरकारी जहाज का उपयोग करके गये थे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस सदन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुख्य सचिव ने जो अब सेवा में हों या न हों, अपने व्यक्तिगत परिवार की शादी में सरकारी जहाज का उपयोग करके जो भी सरकारी पैसे खर्च किए हैं, उस पैसे को वसूल किया जाय। यह जरूर है कि उन्होंने इसे सही ठहराने के लिए रामगढ़ ताल की समीक्षा का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन वह वहां पर सिर्फ आधे घण्टे के लिए गए और बाकी पांच घण्टे उन्होंने शादी समारोह में व्यतीत किये। मान्यवर, गोरखपुर में प्रदूषित जल से तीन अल्पसंख्यक बच्चे डायरिया से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन आज तक इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपनी बात समाप्त करें, आपका समय हो गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में हैं मैं चाहूंगा कि वह हमारी बातों का संज्ञान ले करके उस पर प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास करेंगें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री विजय बहादुर पाल-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गयी हैं वह प्रदेश में विकास का द्वार खोलेगी। बजट के विरोध में जो बातें कही गयी हैं वह केवल इसलिए कही गयी हैं क्योंकि उन्हें इस

सम्बन्ध में कुछ न कुछ तो कहना ही था। आज अस्पताल में जब मरीज घुसता है और एक रुपये पर्चा बनवाने के लिए देना पड़ता है तो वह सरकार की उपलब्धियों की जय-जय कार करता है। चौदह घंटे बिजली आती है नहरों में टेल तक पानी अब पहुंचता है जिससे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं। आज लूट की लालसा पर लगाम लगी है।

मान्यवर, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतीड़ित किया जाता था और जिस प्रकार का देवी जी का सिद्धान्त चलता था लूट-लूट लाइये, लखनऊ दे जाइये। उसे देख कर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे प्रदेश में लगता है कि कोई नया परिवर्तन आया है।

मान्यवर, हम सब मानते हैं कि पारिवारिक नागरिकता के गुणों के प्रथम पाठशाला होती है। अभी कहा जा रहा था कि लोग मर्यादित हो, विधान सभा की मर्यादा हो, लोग शिष्ट हों। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी वार्ता सदन में सुन्दर शालीन ढंग से प्रस्तुत करें। मान्यवर, यह तभी संभव हो पायेगा जब स्कूल, कालेज, महाविद्यालय प्रजातांत्रिक प्रणाली की सच्ची प्रयोगशालाएं बने। इसी के मद्देनजर हमारे मुख्य मंत्री जी ने समय पर कालेजों और महाविद्यालयों में छात्रसंघों के चुनाव कराये और उनके लिए विकास के नये द्वार खोले हैं। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, यहां आरोप लगाये जाते हैं, मिथ्या आरोप लगते हैं और लोग वह बातें गिनातें हैं कि यह सरकार ऐसे बन गई सरकार बन गई क्योंकि लोकतांत्रिक जीवन पद्धति और लोकलज्जा मरघट की ओर जा रही थी परिवर्तन समय की मांग थी। सारी सीमाएं टूट रही थी। मान्यवर, जब इस तरह की बातें होती हैं कि सत्ता मद में चूर होकर दिमाग सातवें आसमान पर होता है तो निश्चित रूप से यही परिणाम होता है जो आज जनता की आशाओं के रूप में सामने आया है। किसान, विकलांग, बीमार, व्यापारी, विद्यार्थी सबको लग रहा है। यह एक परिवर्तन है। अब प्रदेश की रोती-बिलखती सड़कें खिलखिलाती दिखाई पड़ेगी। किसान को लग रहा है कि उसका भला होगा। मान्यवर, जिनको किसानी का कोई ज्ञान नहीं है, वह अपना आरोप लगाते हैं। मान्यवर, किसान के हल के फाड़े से मेंढक घायल होकर टें-टें कर रहा था, ढाक पर बैठी तितली उसे सुहावना गीत बता रही थी। लेकिन आज स्थिति बदली है। किसान का बेटा सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा है, उन्हें पता है कि किसानों के लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं और उनका हित किसमें है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, आज इस सरकार से किसानों को आशाएं हैं मजदूरों को आशाएं हैं। मान्यवर, यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है। कुछ दिन पहले मैंने सदन में कहा था जय-जय माया, जय-जय टण्डन, लखनऊ को बनवाना लन्दन। गांवों का मत सुनना क्रन्दन, कहां गया स्वदेशी चन्दन।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज गांवों में शिक्षा का स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है। मान्यवर, तमाम पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बी0पी0एड0सी0पी0एड0 बी0 एड0 पढ़े हुए बेकारी के शिकार हैं। उससे न उनको आनन्द आ रहा है और न पढ़ने लिखे वाले लोगों को आनन्द आ रहा है। वर्षों से बेकारी के शिकार हैं। आपने कृपापूर्वक यह आश्वासन दिया था कि उन्हें रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि गांवों में शिक्षा का जो स्तर है चाहे वह प्राइमरी विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो अध्यापकों की बहुत कमी है, इस कारण शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मान्यवर, शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो विकास बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां सक्रिय

होंगी। प्रदेश का नया चित्र होगा। मान्यवर, इन पढ़े-लिखे बेकारों को [illegible] दे सके तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बेकारी वाली बीमारी का भी उपचार हो सकता है।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 रामबाबू हरित पीठासीन हुए)

मान्यवर, कन्नौज जनपद आलू के लिए बहुत विख्यात है आपका शुरू से ही संकल्प है कि किसानों को उनकी दयनीय दशा से उबारने का और क्रान्तिकारी परिवर्तन आने का। मान्यवर, वहां पर आलू का उद्योग लगे जिसमें चिप्स, पापड़ स्टार्च आदि बने और आलू का सही मूल्य किसानों को मिले। किसानों की दशा सुधारने के लिए आपके जो प्रयास हैं उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है वह वही लोग कह रहे थे जो नहीं जानते कि गन्ना कैसे बोया जाता है और कैसे उसे तोड़ा जाता है। हमारे मुख्य मंत्री जी एक सफल और सर्वश्रेष्ठ किसान हैं। गन्ने की फसल का काफी भुगतान किया गया है और उनका प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें काम करने का कुछ समय दीजिए पूर्णतः ध्वस्त भवन का मलवा, कूड़ा कचरा हटाने प्रदेश उत्तम बनाने सजाने व संवारने से स्थिति सुधरेगी संवरेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं 2-3 बातें विशेष रूप से इस बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। बजट साहित्य हमारे सामने है और मुख्य मंत्री जी का भाषण हमारे सामने है इसमें पृष्ठ संख्या-46 पर है-वर्ष 2003-04 में आरम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 1020.87 करोड़ रुपये होना अनुमानित है इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, न तो इसमें आय के स्रोत का जिक्र है कि कैसे बढ़ाया जायेगा न व्यय में कमी का जिक्र है कि किस-किस मद में कमी की जायेगी। इसी तरह मान्यवर, पृष्ठ 16 पर है जो चिन्ता का विषय है। इसमें है कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 88 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर भुगतान में व्यय हो रहा है। यह पूरे प्रदेश के लिए चिन्ता की बात है कि जितनी भी प्राप्तियां हैं उसका 88 प्रतिशत इन तीन चीजों पर निकल जाता है। चाहे इधर के लोग हों या उधर के, यह सबके लिए चिन्ता का विषय है। हम सत्ता पक्ष को दोष देंगे। सत्ता पक्ष हमारे पाले में गेंद फेंकेगा हम सत्ता में रहे हैं, लेकिन यह सम्पूर्ण सदन के लिए और खासकर वर्तमान सत्ता में जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा चिन्ता की बात है कि इसे कैसे सुधारा जाये।

मुख्य मंत्री जी ने कई कदम विकास की दिशा में उठाये हैं लेकिन जब हम उसकी समीक्षा करेंगे तभी उसके परिणाम सामने आयेंगे। एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो मार्च में धन अवमुक्त करने की व्यवस्था है, मार्च आता है, फरवरी के बाद जो धन अवमुक्त करने की व्यवस्था है इसके बारे में सोचा जाय 12-15-20 मार्च तक धन अवमुक्त होता है और 31 मार्च तक धन खर्च हुआ दिखा दिया जाता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं अगर सरकार में बैठे हुए लोग संकल्प ले लें कि वास्तव में इस व्यवस्था में परिर्वतन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से यह परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन न केवल सत्ता पक्ष व विपक्ष के लिए बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश के लिए लाभदायक होगा क्योंकि जब जनवरी में पैसा देंगे तो दो माह उसे खर्च करने के लिए मिलेंगे। इससे निश्चित रूप से कार्य की क्वालिटी भी मिलेगी और पर्याप्त समय भी मिलेगा तथा लोगों को खर्च करने

का अवसर भी मिल जायेगा। मैं विशेष रूप से इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व भी एक माननीय साथी ने विद्युत उत्पादन पर जोर दिया था। 1992 में प्रदेश में चार विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं। 567 मेगावाट का रोजा थर्मल पावर स्टेशन 1992 में स्वीकृत हुआ था वर्ष 1992 से लेकर आज तक उसी दशा में किसी न किसी कारण में पड़ा हुआ है। यह परियोजना इन्डो गल्फ के पास है। आदित्य बिडला जिसके चेयरमैन हैं वह लगातार आश्वासन देते रहे। मान्यवर, 96 में एग्रीमेन्ट हुआ था और 2002 तक जितनी भी फारमेल्टी थी पूरी करने का समय लेते रहे थे और अन्त में उन्होंने कह दिया कि 2003 में इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर देंगे लेकिन आज तक उसमें एक ईट नहीं लगी जमीन का अधिग्रहण हो गया लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। मान्यवर, 1992 में जिस परियोजना की शुरुआत हुई थी उसमें 11 वर्षों बाद भी आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। मान्यवर, आज विद्युत की मांग 6000 मेगावाट की है और पूर्ति 4600 मेगावाट की है, 1400 मेगावाट का डेफिसिट है इसको पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान शाहजहांपुर की रोजा पावर स्टेशन दे सकता है इसमें सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिए ताकि इण्डोगल्फ ग्रुप के जो आदित्य विक्रम बिडला है वह इस पर कार्य प्रारम्भ कर दें।

मान्यवर, शिक्षा के संबंध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सैकड़ों-करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में लोग अपने बच्चों का दाखिला कराना नहीं चाहते। बल्कि शहर में किराये का मकान लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसन्द करते हैं। वह क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, इसकी वजह क्या है ? हमने विद्यालय तो बना दिया, वहां टीचर्स की तनख्वाह की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन वहां माहौल सुधारने की व्यवस्था नहीं की, जो पढ़ाने के लिये होना चाहिये था। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइमरी और जूनियर विद्यालय हैं, उनके जो अध्यापक हैं, उनकी हमने अभी तक कोई ट्रांसफर पालिसी निर्धारित नहीं की। यदि ऐसी कोई पालिसी निर्धारित कर दी जाती तो यह करोड़ों रुपये जो खर्च हो रहे हैं, वह कामयाब हो सकते थे, उसका कुछ आउटपुट हमको मिल सकता था। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय ले प्रेय हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पोटेंशियल की कमी भी नहीं है, लेकिन केवल वहां माहौल न 3 बातें हैं जो बच्चों को प्रभावित करती हैं। गृहनक्षत्र दूसरा माहौल। बच्चों के गृहनक्षत्र दे रिवर्तित नहीं कर सकते, केवल हम माहौल को परिवर्तित कर सकते हैं। जब तक माहौल नहीं सुधरता तब तक हम किसी तरह की इस ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिये हमको ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों के माहौल को सुधारने के लिए काम करना होगा। अध्यापकों की ट्रांसफर पालिसी बनानी होगी। यह भी करना होगा कि अध्यापक उस न्याय पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में किसी न किसी रूप में निवास करें, ताकि ज्य ा से ज्यादा ूंचि लेकर अध्यापक और गार्जियन्स अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजें।

मान्यवर, इ पूरे बजट साहित्य को मैंने देखा, इसमें एक भी लाइन युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कही ग ई है। केवल एक जगह प्रधान मंत्री की एक योजना का जिक्र किया गया है। जबकि युवकों को प्रोत्साहन देने के लिये इस बजट में होना चाहिए था। जब समाचार-पत्रों के माध्यम से इस बजट साहित्य को लोग पढ़ते हैं तो वह यह देखते हैं कि आपने युवकों के लिये क्या किया ? लेकिन इसमें उनके लिये एक भी लाइन न हीं है। हम शासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना च हैं कि युवक हमारे देश का भावी भविष्य उनके लिये भी हमें कुछ न कुछ सोचना और

होगा। मान्यवर, महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपने एक साक्षात्कार में 13 अगस्त को कहा था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, उन्होंने चाइना के बारे में इस बात को कहा था कि चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा कारण यह है एलीमेन्ट्री एजूकेशन। जब तक हम एलीमेंटरी अच्छी होना बेसिक एजूकेशन की व्यवस्था बेहतर नहीं कर देते, तब तक भविष्य में तरक्की की कल्पना नहीं कर सकते, केवल बातें कर सकते हैं, नारा दे सकते हैं। मैंने समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से नगर विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, नगरों में लगातार बढ़ते हुये अतिक्रमण के बारे में। जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, उसी अनुपात से अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। इस संबंध में 27 शासनादेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमण पर कोई प्रभावी रोक नहीं हो पाई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दो बड़ी समस्यायें हैं, सफाई और नालों की सफाई। जो आजकल की मैनुअली नालों की सफाई व्यवस्था है, वह पर्याप्त नहीं है। उससे सफाई नहीं के बराबर होती है। मेरा सुझाव है कि नालों की सफाई के लिये मशीनों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिये और नालों की सफाई जे0सी0बी0 के माध्यम से होनी चाहिए।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, वह खराब है, उसके बहुत से कारण हैं। 25 से 40 प्रतिशत थानेदारों की कमी है। एक थाना में थानाध्यक्ष के साथ 10 एस0आई0 होने चाहिए तो कहीं 3-4-5 हैं। 25 परसेन्ट से ले करके 40 परसेन्ट तक एस0आई0 पूरे प्रदेश के थानों में कम हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बीच में प्रारम्भ की गयी थी लेकिन फिर रोक दी गयी। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए इस व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बजट भाषण में यह जिक्र है कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 4500 किलोमीटर सड़क इस वर्ष बनाने का प्रस्ताव है। विकास की रीढ़ सड़क है और यह पूरे उत्तर प्रदेश का विकास है। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि है। पिछली सरकार में श्री राजनाथ सिंह के समय में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था मध्यांचल के विकास के लिए की गयी थी, इसमें 14 जिलों के विकास की योजना थी। इस बजट भाषण में एक भी लाइन ऐसी नहीं है कि जो इन 14 जिलों के लिए राहत मुहैया कराये। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मध्यांचल के विकास की जो योजना 2001 में शुरू की गयी थी उसे जारी रखा जाना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले लखनऊ मण्डल, कानुपर मण्डल और रूहेलखण्ड के दो जिले शाहजहांपुर और पीलीभीत लाभान्वित हो सकें। गेहूं और धान की खरीद का दाम वह लोग निर्धारित करते हैं जिनको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है जो राइस मिलों एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री हैं उनसे परामर्श करने के बाद पालिसी बनाई जाय केवल यह कहा जाता है कि वह किसानों को लूटते हैं इस लूट से किसानों को बचाया जाना चाहिए। आज हम चीनी मिलों की व्यवस्था को दोष देते हैं आखिर यह व्यवस्था क्यों बनी ? क्योंकि बिना सोचे समझे हमने गन्ने का दाम बढ़ा दिया लेकिन यह नहीं सोंचा कि यह कहां से दिया जायेगा। हम कहना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में एक कमीशन का गठन होना चाहिए जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर स्टडी करके अपनी रिपोर्ट दे और वह बताये कि मैनेजमेन्ट का कितना पार्ट है और किसानों के लिए दाम किस अनुपात में बढ़ाये जाने चाहिए तथा जितना दाम घोषित किया जाय वह किसानों को जरूर मिले। दो बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, मैं जिस जनपद से आता हूं वहां पर एक कोलाघाट और राम गंगा पर पुल बनना प्रस्तावित है। शाहजहांपुर की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, इसके लिए यदि 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था न होती तो मैं इसे कबका बनवा चुका होता। वर्ष 1990-91 में जब माननीय मुलायम सिंह जी

मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। सुयोग्य वारिस व ; होता है जो अपने पूर्वजों की इच्छाओं का सम्मान करे, सुयोग्य वारिस वह होता है जो अपने पुर्खों की इच्छाओं को पूरा करे। वह सुयोग्य वारिस नहीं ाता है जो इच्छाओं को दफन कर दे। इस कार्य के लिए माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने जो एक करोड़ रुपये दिये थे आज उधर के लोग :स पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके लिए शासनादेश पास हो रहा है कि किसी भी रह से यह पैसा वहां से डायवर्ट करके दूसरे क्षेत्र में खर्च किया जाय। उसका मैं विरोध करता हूं। मै चाहूंगा कि कोलाघाट पर बनने वाला मार्ग और पुल का पैसा डायवर्ट न किया जाय। मान्यवर, पिछली सरकार में मैं पर्यटन मंत्री के रूप में आसीन था और पर्यटन विभाग को देखता था। उत्तर प्रदेश का इतिहास शौर्य और वीरता का इतिहास रहा है उसमें शाहजहापुर की अग्रणी भूमिका रही है। हमने उत्तर प्रदेश लेबिल पर एक विशाल शहीद स्मारक डेवलप करने की एक योजना बनायी थी और 24 जुलाई को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था। उस योजना को समाप्त न किया जाय। यह योजना एन0एच0-24 के पास है और जिस दिन वहां शहीद स्मारक बन जायेगा तो वहां उत्तर प्रदेश ही नहीं देश-विदेश से पर्यटक आयेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के उस स्थान का मूल्यांकन भी होगा जिस क्षेत्र के 40 लोगों ने अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिये और आजादी की लड़ाई में हंसते-हंसते बलिदान हो गये। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके पहले जो सरकारें थी उसका क्या नंगा नांच हुआ, उसे पूरा प्रदेश जानता है। अफसोस इस बात का है कि आज हमारे लायक मित्र वर्तमान सरकार पर झूठे हमला कर रहे हैं और लगता है कि वह ऐसे दूध के धुले हुये हैं जैस वह राजा हरिश्चन्द्र की दूसरी औलाद बनकर आ गये हैं। दो महीने पहले प्रदेश की जो स्थिति थी, जंगल राज कायम हो गया था और मैं फिर कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा प्रदेश आतंकवादियों, अपराधियों और इन लोगों के घेरे में था और आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया था। अभी ब0स0पा0 के नेता ऐसा आंकड़ा पेश कर रहे थे जैसे सबके प्रत्यक्षदर्शी रहे हों। मुझे इस बात का दुख है कि जिस चेयर पर माननीय राजभर जी को होना चाहिए था वहां ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसकी वाणी में कटुता रहती है और उसकी बातें झूठी होतीं हैं। इसलिए मैं विपक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में वही बात कही जाय जो सच हो। क्योंकि यह बात हमारे प्रदेश और देश भर में जाती है। हम कोई बात कहते हैं तो उसका सम्बन्ध केवल सदन तक नहीं रहता है सदन के बाहर भी उसका असर होता है। आज हमारी सरकार को प्रदेश बहुत बुरे हालत में मिला, चारों तरफ जहां देखिये अशान्ति थी हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ था और इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया। उसमें संवैधानिकता की अड़चन डाल रहे थे, माननीय मुख्य मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए था जो हमारी बीमार चीनी मिलें हैं, कानपुर है, आज पूरा का पूरा कानपुर एक तरीके से शमशान बन गया है।

हिन्दुस्तान का मानचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में आज मिलें बन्द हैं। मगहर की कताई मिल बन्द है। आज हजारों मिलें बन्द हैं उनके बन्द हो जाने से हजारों हाथों को काम न मिलने के कारण वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। आज यह सरकार अगर मिलों को नये सिरे से चलाने जा रही है तो सरकार की टीका-टिप्पणी की जा रही है। आप अपने को देखें कि पिछली बार आपने क्या किया। अगर यह जनप्रिय सरकार कुछ करना चाहती है तो टीका-टिप्पणी होती है। आपको हमारा समर्थन करना चाहिए क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ गया है। यहां के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, बेकार हैं। यहां की आबादी सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय है। पूरे भारत का नाम उत्तर प्रदेश से जाना जाता है। यहां पर हरिद्वार, भगवान शंकर की नगरी, गौतमबुद्ध की नगरी है और तमाम पर्यटक स्थल हैं।

हम किसान के विकास की बात करते हैं। जब विपक्ष के लोग सत्ता में थे तो हमारे यहां मुंडेरवा मिल पर किसान अपना बकाया मांग रहे थे। उनके बकाये का भुगतान तो नहीं किया गया बल्कि उनके ऊपर गोली चलायी गयी जिससे 3 किसान मर गये। आज आप किसानों की किस मुंह से बात करते हैं। आपको माननीय मुलायम सिंह को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने किसानों की जो फसल है उसका मूल्य दिलाया है। हमारी समाजवादी पार्टी गांवों का विकास करना चाहती है। हम लोग गांवों से चुनकर आये हैं। आज गांवों में 14 घण्टे बिजली मिल रही है। आज गांव के लोग इसकी सराहना करते हैं कि उन्हें बिजली मिल रही है। आज गांव के किसान माननीय मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं। पहले सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाती थी लेकिन आज बड़े पूंजीपति सरकार के पास आ रहे हैं प्रदेश के विकास के लिये। बजट में 70 प्रतिशत धनराशि गांवों के विकास के लिये रखी गयी है। इससे सड़कों का गांवों का शिक्षा का विकास होगा। आज किसानों ने महसूस किया है कि उनकी सरकार है। किसान जो पहले दरवाजे-दरवाजे मारा-मारा फिरता था आज उसके लिये 1400 करोड़ रुपये फसली ऋण के लिये रखे गये हैं और 800 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण के लिये रखे गये हैं। यह बजट में पहली बार प्राविधान किया गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने बजट में लड़कियों की शिक्षा के लिये ध्यान दिया है। हिन्दुस्तान में जब तक पुरुष और स्त्री दोनों साक्षर नहीं होंगे जब तक संपूर्ण साक्षरता नहीं होगी तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली हमारी बच्चियों, लड़कियों के लिये कन्या विद्या धन योजना हेतु रु0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, हमारे बजट का 88 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन आदि पर खर्च हो जाता है केवल 12 प्रतिशत से विकास का कार्य होता है। आज प्रदेश में पूंजीपतियों को उद्योग लगाने हेतु और नयी मिलें लगाने हेतु तथा जो बन्द मिलें हैं उनको चलाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है जिससे प्रदेश का विकास होगा। बजट में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान सड़क पुलियों, विद्युतीकरण के लिये किया गया है। पिछली सरकार ने जो विद्युतीकरण का पैसा था उसको समाप्त कर दिया था। हम लोग विपक्ष में बैठते थे हम चिल्लाते रहते थे कि हैण्ड पम्प नहीं है, बिजली की समस्या है लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अलग से व्यवस्था की है। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। वृद्धावस्था पेंशन को 125 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया। किसी भी सरकार का बजट जनता के लिए होता है वह जनकल्याणकारी होता है लेकिन इसकी किसी ने चर्चा नहीं की।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य-

जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने कहा कि इन्होंने बजट पर कुछ नहीं कहा यह भाषण ऐसे कर रहे थे जैसे कोई चौराहे पर भाषण दे रहा हो या हजरतगंज में बोल रहा हो।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस जनप्रिय सरकार द्वारा लाए गए बजट का समर्थन करता हूं और विपक्ष के लोगों से निवेदन करता हूं कि वह इस बजट का समर्थन करें। क्योंकि यह जनकल्याणकारी बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। नगर विकास मंत्री जी यहां मौजूद हैं उनका ध्यान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां पर जब प्रशांत त्रिवेदी थे तो वह ईमानदार और कर्मयोगी प्रशासक थे उसके बाद निरन्तर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आय गिरती जा रही है। क्योंकि किसी की दया के आधार पर अधिकारी नियुक्त होते हैं। अधिकारी दिल्ली में रहते हैं और गाजियाबाद आते नहीं है। इसी कारण पहले आमदनी जहां 21 करोड़ रुपए थी वह घटकर 9-10 करोड़ रह गई है। इस बात की तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और कार्यवाही करनी चाहिए। मैं मंत्री जी का ध्यान गाजियाबाद नोयडा दिल्ली, वैशाली के बीच खोड़ा मकनपुर नामक बस्ती की तरफ ले जाना चाहता हूं। यहां पांच लाख की आबादी निवास करती है। इसके चारों तरफ खुशहाली और हरियाली है लेकिन इस कालोनी में कोई सुविधा नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बजट में प्राविधान करके यहां की जनता की थोड़ी मदद करें। उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाला एक पुल मामनगर बाईपास से जाता है वह इतना छोटा है कि आए दिन वहां पर एक-एक डेढ़ कि0मी0 की लाइन लग जाती है। माम नगर बाईपास पर पुल बनना अति आवश्यक है। क्योंकि तमाम मंत्रीगण दिल्ली से आते रहते हैं और वहां घण्टों जाम लगा रहता है। घण्टों आम आदमी निकल नहीं पाता है। लिहाजा इसका भी बजट में प्रोविजन रखने की कृपा करें। तत्कालीन नगर विकास मंत्री माननीय टंडन जी ने ट्रांसपोर्ट नगर की योजना स्वीकृत की थी।

श्री जगदीश नारायन राय-

मान्यवर, कोरम देख लिया जाय। कोरम है कि नहीं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मैं बोल रहा हूं तब ही आपको कोरम नजर आ रहा है।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उप नेता बहुजन समाज पार्टी जब तक यह लोग सरकार में थे तब तक विधान सभा का सत्र चलने नहीं दिया और आज जब सत्र चल रहा है तो उसको भी नहीं चलने देना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मान्यवर, गाजियाबाद एक इण्डस्ट्रियल टाउन है। दिल्ली के नजदीक है। एक बढ़ता हुआ जिला है। यहां पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रक और टैम्पो स्टैण्ड नहीं है। पहले जब माननीय टण्डन जी नगर विकास मंत्री थे तो उस समय ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की बात थी और उसके बोर्ड भी लगे थे लेकिन वहां पर पैसों के हिसाब से कीमत बढ़ गई है और वहां की स्थिति दयनीय हो गयी है। बोर्ड भी हटा दिये गये हैं। मेरा अनुरोध है कि उस ट्रांसपोर्ट नगर की योजना का कार्य पूरा करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समापन कीजिये।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

चेक पोस्ट रामनगर में 1972-73 में बनवाया गया था वहां पर दिल्ली में मोहन नगर से रामनगर, बसुन्धरा, बैशाली, कौशाम्बी, राजेन्द्र नगर, राजीव कालोनी बन गई हैं। चेक पोस्ट पर उत्तर प्रदेश से लोगों का उत्पीड़न होता है। चेक पोस्ट को बार्डर पर स्थापित कराया जाय जिससे लोगों का उत्पीड़न न हो। मान्यवर, मैला ढोने की प्रथा खत्म करने की भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की योजना है लेकिन जब तक सीवेज सिस्टम की व्यवस्था ठीक नहीं होगी इस मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति नहीं मिल सकती है। मेरा निवेदन है कि बजट में इसका भी प्राविधान किया जाय। नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद् में लोग 10-20 साल से कार्य कर रहे हैं और आज भी वे डेली वेजेज पर हैं उनका उत्पीड़न भी होता है। सरकार की योजना थी कि पहले से जो लोग कार्यरत् हैं उनको स्थायी करेंगे तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों के भी स्थायीकरण की कृपा करें जिससे वे लोग अपने को महफूज समझें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच गावों हैं। दुर्भाग्य है कि वे मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। राजस्व में जो वह गौतम बुद्ध नगर में हैं। इन गांवों की स्थिति फुटबाल की सी है। कोई काम होता है तो गौतम बुद्ध नगर जाना होता है। मेरा कहना है कि इनको एक जगह ही रखा जाय ताकि लोगों का उत्पीड़न न हो और वे संकट से बच सकें। नगरीय सुधार योजना जो केन्द्र सरकार की है उसको तीव्रता से लागू करायें ताकि नगरों के विकास में कार्य हो सके और भारत सरकार से जो पैसा नगरों के विकास के लिये मिलता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। अंत में एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि जिला अस्पताल तहसील लेविल अस्पताल में चल रहा है। पूर्व में इसकी मंजूरी हो चुकी है लेकिन किन कारणों से उस पर कार्यवाही नहीं कराई जा रही है। जमीन इसके लिये दी जा चुकी है पैसा मिल जाय तो कार्य हो सके। कार्य शुरू होना चाहिए अन्त में पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कम से कम उनके दर्शन इस सदन में घंटो होते हैं वह अपने मन से बातें सुनते हैं विपक्ष के लोग भी जानते होंगे अंतर देखते होंगे। चर्चा हो रही थी कि जब से मुलायम सिंह जी की सरकार आई है मार-काट दंगे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहा कि चोर को चौकीदार बना देंगे तो चोरी नहीं होगी। जब तक गठबंधन था तब तक कुछ नहीं अब वोटीकरण हो गया है तो चोर चौकीदार हो गया मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से वोटीकरण न करिए प्रदेश पर रहम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छोटेलाल वर्मा-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। संसदीय कार्य मत्री जी बैठे हुए हैं मैं कहना चाहता हूं माननीय नेता सदन को किसानों के मुखिया के रूप में प्रचलित किया

जा रहा है इस पूरे बजट ग में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया है कि किसानों को बिजली कनेक्शन देंगे ट्यूबवेल लगाने लिए। श्रीमन् 2001 में तत्कालीन मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों के लिए सब्सिडी के आधार पर बिजली के ट्यूबवेलों पर छूट दी थी परन्तु दो वर्ष हो गए 2002-2003 में एक भी किसान के लिए ट्यूबवेल लगाने का प्राविधान नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं बजट में किसानों के लिए बिजली कनेक्शन लगाने की बात को और जोड़ा जाना चाहिए। कहीं सिंचाई के लिए टेल तक पानी नहीं पहुचा है कोई व्यवस्था नहीं हुई है बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची है। किसानों के फसल बोने का समय आ गया है। मेरे क्षेत्र में आगरा नहर है वहां पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है। किसान त्राहि-त्राहि मचा रहा है। कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई है तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ सौ चेक डेम क री-बोरिंग का प्राविधान किया था मैं निवेदन करूंगा जो चेक डेम के री-बोरिंग की समस्या है उसको सुनिश्चित करायें। पूरे बजट को गरीबों, किसानों का बजट कहा गया है लेकिन मत्स्य विभाग के मंत्री हैं विभाग है लेकिन बजट में मत्स्य विभाग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कोई प्राविधान नहीं किया गया है जबकि इसके खर्चे के लिए पूरे मंत्रिमंडल में अलग से व्यवस्था है इस बजट में इस विभाग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कोई प्राविधान नहीं है। मछुआरों के लिए कोई प्राविधान नहीं है मैं नेता सदन से अनुरोध करूंगा पूरे प्रदेश के गरीब मछुआरों के समुदाय के लिए कोई प्राविधान किया जाए और उनको लाभान्वित किया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं जिस तरह से आपने शिक्षा के प्रचार प्रसार का प्राविधान किया है....

21 हजार शिक्षकों की भर्ती की जो बात कही गयी है, उसका मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन नियुक्ति के बाद शिक्षक आवास भत्ते के लिए शहर के किनारे आ जाते हैं। मैंने देखा है कि गांवों के विद्यालयों में एक-एक अध्यापक है जब कि शहर के किनारे के विद्यालयों में 8-8, 10-10 अध्यापक हैं, आप इसकी जांच करा लें मैं इसकी खुली जांच के लिए आपसे कहता हूं। जहां पर सौ बच्चे हैं वहां एक-एक अध्यापक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 विद्यालय बन्द पड़े हैं। शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति की गयी थी, वह भी शासनादेश शायद आपने जारी कर दिया है कि उनको निरस्त कर दिया जाये। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनको बन्द न किया जाए नहीं तो सैकड़ों स्कूल बन्द हो जायेंगे और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जायेंगे।

इसी प्रकार मान्यवर, आपने 5 बड़े पुलों का जिक्र किया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आगरा और फिरोजाबाद दो बड़े शहर पड़ते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले ट्रैफिक को दो शहरों के नो इन्ट्री का सामना करना पड़ता है, 4-4 और 6-6 घण्टे ट्रक ड्राइवरों को इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एन0एच0-3 से लेकर एन0एच0-2 तक जोड़ने के लिए सैंया से समसाबाद, समसाबाद से फतेहाबाद, फतेहाबाद से फिरोजाबाद तक जो प्रस्तावित है, यहां हजारों लोगों का आना जाना रहता है, यमुना नदी पर पक्का पुल यदि बन जाता है जो इससे 20 कि0मी0 दूरी कम हो जायेगी। अगर इसे बजट में जोड़ दिया जायेगा तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। इससे जनता के आवागमन में सुविधा होगी और डीजल तथा पेट्रोल की भी काफी बचत होगी। जो 5 पुलों का प्रस्ताव रखा है मैं अनुरोध करूंगा कि इसको भी जोड़ लिया जाय। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 4500 कि0मी0 आप सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बना रहे हैं, लेकिन आज तक यह व्यवस्था नहीं की

गयी कि यह पैसा किसको मिलेगा, उसके पैसे की आप व्यवस्था करें। अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को बजट में जोड़ लिया जाय। इसके साथ ही मैं बजट का जोरदार विरोध करता हूं तथा अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा जारी रहेगी। अब हम मद सं0-28 लेते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुयीं।

पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के ग्राम पहाड़पुर के भाजपा कार्यकर्ता श्री ओम प्रकाश राम के घर पर लूट से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार न किए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर वृद्धि कर नोएडा के बराबर करने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की पूर्वी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों की स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् के 5 मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की ए0डी0ए0 इलाहाबाद की कालोनी सुलेमसराय में पी0डब्लू0डी0 की दीवाल के किनारे अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की जनपद लखनऊ में चारबाग से इंजीनियरिंग कालेज तक टैक्सी सेवा बहाल करने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम हेसरामपुर और जफरपुर के किसानों की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम को विद्युत आपूर्ति उन्नाव जिले से हटाकर हरदोई जिले से किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी तथा निम्नलिखित 4 माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुयी हैं। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह", श्री मो0 इरशाद खां, तथा श्री ओम प्रकाश पाण्डेय।

प्रदेश के पी0 सी0 ओ0 की दुकानों में बने केबिलों को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के पी0सी0ओ0 की दुकानों में कनेक्शन मालिकों द्वारा अपनी दुकान में केबिन बना ली है।

भूतत्व एवं खनिजकर्म मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से शेष वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[इससे असमाजिक, गुण्डे, माफिया इन केबिनों का दुरुपयोग करते हैं और केबिन मालिकों को वार्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जनपद आगरा में तमाम व्यापारियों, संभ्रान्त नागरिकों को ये तत्व परेशान करते हैं और जब टेलीफोन नम्बर मालूम होने पर दुकान मालिकों से वार्ता की जाती है तो यह कहकर पिण्ड छुड़ा लेते हैं कि उस व्यक्ति ने तो केबिन में बैठकर वार्ता की थी, उन्हें नहीं मालूम अतः जनहित में ऐसे असमाजिक तत्वों से बचाव हेतु एस0टी0डी0, आई0एस0डी0 व पी0सी0ओ0 लाइसेंस धारकों (दुकान मालिकों) को शासन स्तर से निर्देशित किया जाय कि वह अपने यहां केबिनों का प्रयोग न करें तथा इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी0सी0ओ0 सम्बन्धी कनेक्शन टेलीफोन विभाग द्वारा दिये जाते हैं, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं आते हैं और न ही उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, जिससे कि प्रदेश के पी0सी0ओ0 की दुकानों में बने केबिनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके। यह कार्य नगर विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री कौशल किशोर.....

भूतत्व एवं खनिजकर्म मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर निकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[श्रीवास्तव व श्री नरेन्द नलनी नाथ वर्मा को दिये गये प्रोन्नत वेतनमान तथा श्री कौशल श्रीवास्तव के ऊपर लगाये गये 05 आरोपों के लिए दण्ड नहीं दिये जाने तथा श्री नरेन्द्र नलनी नाथ वर्मा को रंगे हाथों घूस लेते बनारस के विकलांग कल्याण विभाग में पकड़े जाने, जिसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत कराने का बिन्दु उठाते हुए इन दोनों अधिकारियों को निलम्बित कर जांच कराने तथा दोषियों को दण्डित कर शासकीय धन की वसूली मय ब्याज के किये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री कौशल किशोर तथा श्री नरेन्द्र नलनी नाथ वर्मा की शोध अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति शासनादेश संख्या-3971/26-1-80-2जी(48)/79, दिनांक 15-10-1980 द्वारा की गयी थी। मा0 राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ में श्री कौशल किशोर व अन्य द्वारा दायर की गयी निर्देश याचिका संख्या-2032/1996 में पारित आदेश

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 2-4-1998 तथा अवमानना याचिका संख्या-510/1998 में पारित आदेश दिनांक 11-8-99 के अनुपालन में श्री कौशल किशोर एवं श्री नरेन्द्र नलनी नाथ वर्मा के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, [illegible] तथा उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों की विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 1984 के अन्तर्गत गठित विनियमितीकरण समिति द्वारा विचार किया गया। समिति की संस्तुति के आधार पर उक्त दोनों अधिकारियों का विनियमितीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-4853/2871-99-1(97)/96 दिनांक 14-10-1999 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से किया गया। समता समिति उ0प्र0 (1989) की संस्तुतियें पर लिये गये निर्णयानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में शोध अधिकारी के लिए स्वीकृत वेतनमान रु0 2200-4000 को वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश संख्या-4409/26-1-94-9(96)/89 दिनांक 30-11-94 संशोधित कर कमशः वेतनमान (1) रु0 2200-4000 (2) रु0 3000-4500 (वैयक्तिक वेतनमान) स्वीकृत किया गया है, जिसमें रु0 3000-4500 का वैयक्तिक वेतनमान ऐसे नियमित पदधारकों को अनुमन्य कराया गया जिन्होंने इस पद पर 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। यह सही है कि शोध अधिकारी सेवा नियमावली 01 जून, 2000 को प्रख्यापित हुयी है परन्तु शोध अधिकारियों को वेतनमान समता समिति उ0प्र0 (1989) की संस्तुतियों के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से प्रदान किया गया है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है।

श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव द्वारा की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में उनको 05 आरोपों से आरोपित किया गया था। जांचोपरान्त लगाये गये 05 आरोपों में से आरोप संख्या-2 व 4 आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1828/26-1-92-4(10)/91 दिनांक 8-4-1992 द्वारा श्री कौशल किशोर को भर्त्सना प्रविष्टि प्रदान की गयी। स्पष्ट है कि आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर को दण्डित किया जा चुका है।

श्री नरेन्द्र नलनी नाथ वर्मा, शोध अधिकारी जब प्रतिनियुक्ति पर उप निदेशक, विकलांग कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी में कार्यरत थे तब उनके द्वारा उत्कोच मांगे जाने की जांच सतर्कता विभाग, वाराणसी द्वारा की गयी। सतर्कता विभाग की संस्तुति के अनुसार श्री नरेन्द्र नलनी नाथ वर्मा के विरुद्ध भष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (अधिनियम संख्या-49 सन् 1988) की धारा 19 के अधीन अभियोजित करने और उक्त अपराधों का किसी अधिकारितायुक्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के लिए आदेश संख्या-5239/26-1-2001-4(20)/2001 दिनांक 29-10-2001 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। अतः दोनों अधिकारियों श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव एवं श्री नरेन्द्र नलनी नाथ वर्मा के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की गयी है।]

जनपद बलिया के नरहेजी इण्टर कालेज के लिपिकों के बकाये एरियर का भुगतान न किये जाने एवं कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण नरहेजी इण्टर कालेज, नरही, बलिया के लिपिकों के बकाये के भुगतान न किये जाने एवं इस प्रकरण को लेकर संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हैं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री संजय सेंह पुत्र श्री अखिलानन्द सिंह एवं श्री चन्द्रमा यादव पुत्र श्री कपिल देव यादव का अवशेष 1986 से दिखाया नहीं था वरन् यह अवशेष 1995-96 से देय था। इस प्रकार 1986 से उपरोक्त दोनों कर्मियों का अवशेष देय नहीं है बल्कि दोनों कर्मचारियों को 1995-96 से 2001-2002 तक अवशेष देय था जिसका अवशेष की धनराशि श्री चन्द्रमा प्रसाद यादव व श्री रणन्जय सिंह को चेक द्वारा क्रमशः रुपये 3,38,904 व रुपये 2,45,323 दिनांक 24-11-2003 को उनके खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी है।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में राज्य योजना, जिला योजना, दीन दयाल योजना के फेज 4, 5, 6 में अपूर्ण कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[(1) आर0 आई0 डी0 एफ0 योजना (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 98-99, 99-2000, 2000-01 में कुल 56 कार्य स्वीकृत हुए थे जिनकी स्वीकृत लम्बाई 112 कि0मी0 तथा स्वीकृत लागत कुल रु0 911.52 लाख थी। इसके सापेक्ष अक्टूबर, 2003 तक रु0 679.60 लाख का व्यय हुआ है तथा 27 कार्य पूर्ण हो चुके हैं जिनकी लम्बाई 48.50 कि0मी0 है।

(2) राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 98-99 से 2002-03 तक कुल 13 कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनकी लम्बाई 58.35 कि0मी0 तथा लागत रु0 505.06 लाख है। अक्तूबर, 2003 तक इन कार्यों पर रु0 193.92 लाख का व्यय हुआ तथा 4 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(3) जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 98-99 से वर्ष 2002-03 तक कुल 35 कार्य स्वीकृत हुए है, जिनकी लम्बाई 67.10 कि0मी0 तथा कुल लागत रु0 439.30 लाख है। अक्टूबर, 2003 तक इन कार्यों पर रु0 409.76 लाख का व्यय हुआ तथा 29 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

जहां तक कार्यों की गुणवत्ता तथा मानकों के अनुसार मार्ग निर्माण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं पाई गई है। कार्यों के सम्पादन में भी किसी प्रकार के अपव्यय अथवा घोटाले से सम्बन्धित कोई तथ्य शासन के संज्ञान में नहीं आया हैं जो मार्ग अभी तक पूर्ण नहीं हो पाये हैं उन पर विभिन्न स्तरों पर कार्य छूटा हुआ है तथा अधिकांश मार्गों पर पत्थर की गिट्टी कुटी हुई है। सामान्यतया कुटी हुई गिट्टी पर सतह लेपन न किये जाने से, वर्षा के कारण तथा आवागमन के कारण भी गिट्टी उखड़ने लगती है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जहां तक मूल्य वृद्धि का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे यह अवगत कराना है कि कार्यों के सम्पादन में मूल्य वृद्धि, सामान्यतः मार्ग निर्माण सामग्री कीलागत तथा मजदूरी में वृद्धि के कारण होती है। इस क्षेत्र के अवशेष कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका में प्रदत्त प्राविधानों की सीमा तक स्वीकृत कार्यों पर मूल्य वृद्धि अनुमन्य करते हुए, कार्य सम्पादित कराने का प्रयास किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग मे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपूर्ण कार्यों के लिये मांग के अनुसार पूर्ण धनराशि उपलब्ध न होने के कारण सभी कार्यों के लिये मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाता। विभाग का प्रयास है कि सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक कार्यों को पूर्ण कराया जाय और इसे दृष्टिगत रखते हुए इन कार्यों के लिये भी वांछित धनराशि उपलब्ध कराकर पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा।]

जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल वर्मा आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तेव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

दिनांक 14-11-03 को नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य विधान सभा डा0 रामबाबू हरित एवं श्री छोटे लाल वर्मा द्वारा मा0 सदन के समक्ष यह सूचना दी गयी थी कि प्रदेश सरकार की कमजोरी के कारण रक्षक ही भक्षक का कार्य करने लगे हैं।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ऐसा प्रतीत होता है कि इंस्पेक्टर फतेहाबाद सरकारी गुण्डे के रूप में सामान्य नागरिकों, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। उदाहरणार्थ एक पी0सी0ओ0 संचालक श्री प्रियंक गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता, निवासी फतेहाबाद की श्री उदय प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष फतेहाबाद की उपस्थिति में जमकर धुनाई की गयी। कसूर इतना था कि उसकी कान्फ्रेन्स से इन्सपेक्टर जब बात कर रहा था तो मशीनी त्रुटि के कारण फोन कट गया और इन्सपेक्टर ने पुनः फोन न मिलाकर अपना अपमान समझा तथा अपनी शक्ति का एहसास दिखा दिया। इससे द्रोधित होकर व्यापारियों ने बाजार बन्द कर दिया तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में घबराहट का वातावरण है। हमारे नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल डी0आई0जी0 व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से मिल चुका है परन्तु उन्होंने भी कोई न्यायसंगत कार्यवाही नहीं की है। अतः इस समस्या का निराकरण कराने हेतु श्री उदय प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष का अविलम्ब स्थानान्तरण कर निलम्बन की कार्यवाही करें व उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जांच करायें जिससे क्षेत्रीय जनता का विश्वास शासन प्रशासन पर बना रहे। इस पर शासन द्वारा वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

2-उक्त नोटिस के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से आख्या प्राप्त की गयी। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 21-10-03 को प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा कस्बा फतेहाबाद स्थित पी0सी0ओ0 से कान्फ्रेन्स के माध्यम से कानपुर फोन से वार्तालाप किया गया था। बातचीत के दौरान फोन कट जाने पर पी0सी0ओ0 संचालक श्री अशोक कुमार पुत्र निर्मल चन्द्र, निवासी गली सर्राफ खाना, कस्बा फतेहाबाद के पुत्र प्रियंक जो तत्समय पी0सी0ओ0 पर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपस्थित था, से प्रभारी निरीक्षक का टेलीफोन पर ही वाद-विवाद हुआ था, जिसके उपरान्त प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा आवेदक के पुत्र के साथ मारपीट किया जाना परिलक्षित हुआ है। जांच से आवेदक के पुत्र प्रियंक को कोई गम्भीर चोट आना नहीं पाया गया है। इस प्रकार प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद श्री उदय प्रताप सिंह फोन कटने की बात को लेकर आवेदक के पुत्र प्रियंक के साथ मारपीट किये जाने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं, जिस हेतु प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद श्री उदय प्रताप सिंह को थाने से हटा कर पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा प्रभारी निरीक्षक उपरोक्त को विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त घटना को लेकर क्षेत्र में सम्प्रति किसी प्रकार का तनाव नहीं है।]

प्रदेश में विकास मदों की विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत धनराशि का सदुपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उ0 प्र0 की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 14-11-03 में प्रमुख रूप से सूचना दी गयी है कि...

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 15 हजार करोड़ रुपये में से उ0प्र0 को 1500 करोड़ रुपये दिये थे, जिसमें से ग्रामीण रोजगार के लिए प्राप्त धन का 71 प्रतिशत तथा ग्रामीण पेयजल योजना के लिए दिये गये धन का मात्र 60 प्रतिशत ही व्यय हुआ है, जो चिन्ता का विषय है।

मा0 सदस्य द्वारा इंगित बिन्दुओं/तथ्यों के संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी, जिसका विवरण योजनावार निम्न प्रकार है :-

(क) <u>सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना</u>

योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 में प्रारम्भिक अवशेष रु0 38209.00 लाख था। उक्त वर्ष में भारत सरकार से रु0 66092.00 लाख प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 25 प्रतिशत राज्यांश रु0 26321.00 लाख की धनराशि जनपदों को उपलब्ध हुई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2002-03 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 130622.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2003 तक रु0 92846.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी, जो उपलब्ध धनराशि का 71 प्रतिशत है। वर्ष में उपलब्ध धनराशि का 29 प्रतिशत व्यय वित्तीय वर्ष के अन्दर न हो पाने का मुख्य कारण यह रहा कि भारत सरकार से माह फरवरी एवं मार्च, 2003 में द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त हुई। जनपदों को धनराशि व्यय करने एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यों को पूर्ण करने में समय कम मिलने के कारण पूरी धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्त में नहीं हो सका। उक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2003-2004 में व्यय करते हुए कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है।

(ख) ग्रामीण पेयजल

केन्द्रपोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में भारत सरकार से निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि प्राप्त हुई :-

क्र0 सं0	धनराशि प्राप्त होने की तिथि	प्राप्त धनराशि (लाख रु0 में)
1	दिनांक 9-5-2002	3980.70
2	दिनांक 15-7-2002	2530.30
3	दिनांक 7-3-2003	3938.46

ज्ञातव्य है कि उक्त कार्यक्रम के लिए दिनांक 1-4-2002 को अप्रयुक्त धनराशि रु0 4407.37 लाख उपलब्ध रही। इस प्रकार वर्ष 2003 में केन्द्रपोषित उक्त कार्यक्रम हेतु रु0 14856.83 लाख की कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 12683.41 लाख व्यय किया गया जो कुल धनराशि का 85 प्रतिशत है। दिनांक 1-4-2003 को रु0 2173.42 लाख की धनराशि अप्रयुक्त रही।

उक्त के अतिरिक्त त्वरित ग्रामीण (सूखा) कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 900.00 लाख की धनराशि दिनांक 25-3-2003 को स्वीकृति हुई, जो माह अप्रैल, 2003 में प्राप्त हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण पेयजल हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण व्यय नहीं हो सकी।]

जनपद मिर्जापुर में विकास सम्बन्धी बैठकों में जनप्रतिनिधियों/विभागीय अधिकारियों के स्थान पर राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों के प्रस्तावों को शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कैलाश चौरसिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद मिर्जापुर की शासी निकाय की बैठक दिनांक 9-08-03 से पूर्व इन्दिरा आवास के आवंटन के संबंध में किसी भी जनप्रतिनिधि से प्रस्ताव की मांग जिला ग्राम विकास अभिकरण, मिर्जापुर द्वारा नहीं की गयी थी।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां:

[बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं इस तरह के प्रस्ताव अभिकरण को प्रेषित किए गये थे, जिनका समादर करते हुए अभिकरण द्वारा मात्र उन प्रस्तावों को शासी निकाय की उक्त बैठक में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रस्तुत कर दिया गया था। इसी क्रम में उक्त बैठक में प्रस्तुत बुकलेट के पृष्ठ-47 पर मा0 अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी द्वारा दिया गया प्रस्ताव भी सम्मिलित था। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिकरण की मंशा कदापि नहीं थी।

शासी निकाय की उक्त बैठक में इन्दिरा आवास आवंटन के सम्बन्ध में जितने भी प्रस्ताव उक्त बैठक से पूर्व जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मिर्जापुर को प्राप्त हुए थे उन सभी को संकलित कर शासी निकाय की बैठक में मात्र विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया था, जिस पर इन्दिरा आवास आवंटन के सम्बन्ध में शासी निकाय, नियमों तथा शासनादेशानुसार स्थानीय आवश्यकता/लाभार्थियों के पात्रता के आधार पर स्वयं अन्तिम निर्णय लेती। बुकलेट में प्रस्ताव को प्रस्तुत कर देने मात्र से यह निर्णय/निष्कर्ष निकाला जाना कि इस पर कार्यवाही की ही जायेगी, यह निराधार है। उक्त बैठक में लिए गये निर्णयानुसार इस प्रस्ताव को स्वीकार भी नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जनपद मिर्जापुर के संबंधित अधिकारियों की राजनैतिक प्रतिबद्धता इस प्रकरण में नहीं है।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। कल सुबह 11.00 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 4 दिसम्बर, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 10 विधान सभा-(24)-30-4-04-813 (कम्प्यूटर) ।